खण्ड-193, अंक-4
मंगलवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(18 मार्च, 1958 ई0)

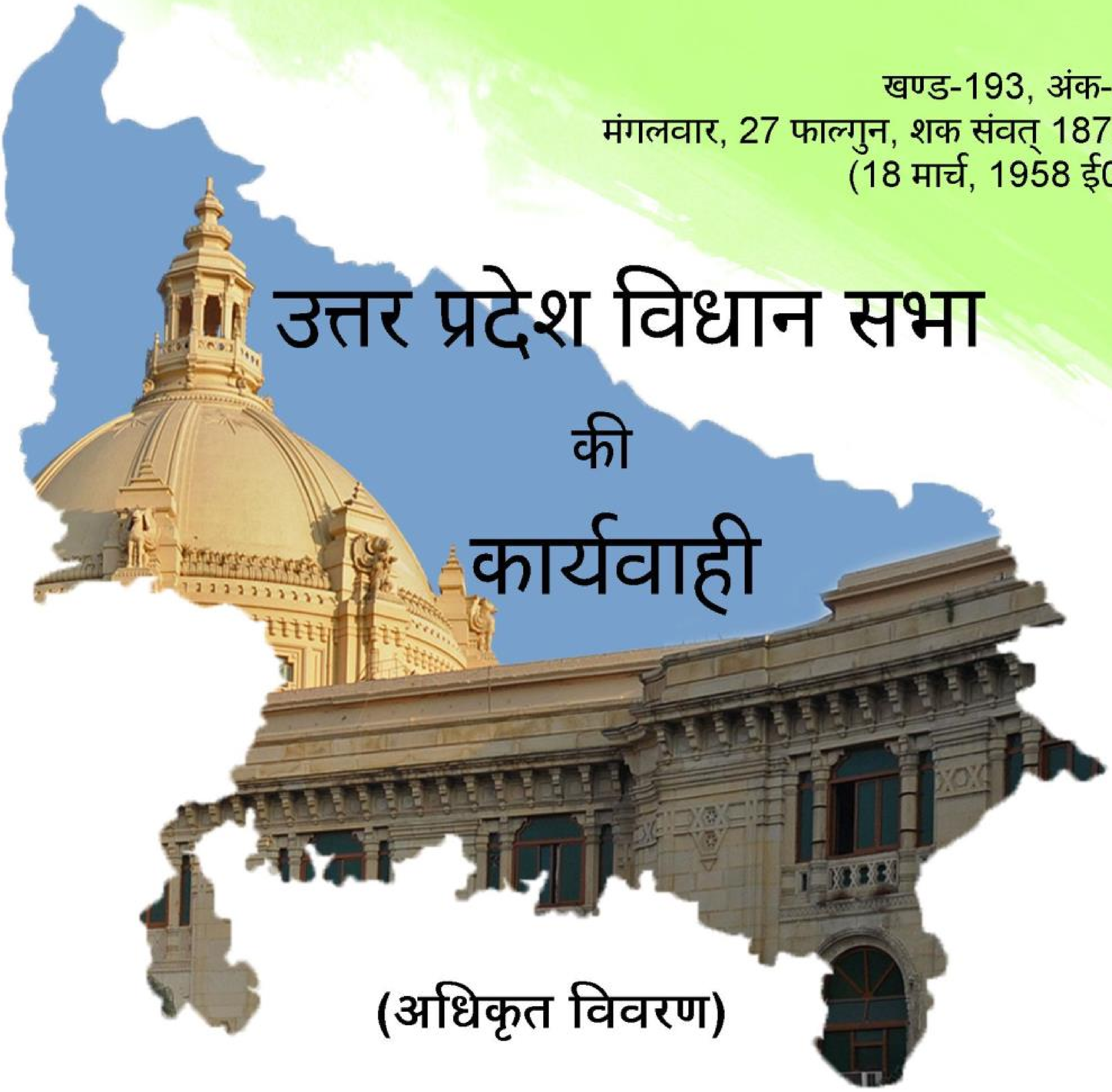

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छतरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगीतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहजनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरत देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री

लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट वर्कशाप रुड़की के मजदूरों की हड़ताल

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २७ फरवरी, ५८ की रात से गवर्नमेन्ट वर्कशाप, रुड़की के पांच सौ से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां, क्योंकि उनकी मांगों को जो अनधिकृत हैं, सरकार स्वीकार करने में असमर्थ है ।

**२—श्री झारखंडेराय—सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—२७ फरवरी, १९५८ को हड़ताल आरम्भ होने से पहले विभाग के मुख्य अभियन्ता ने मजदूर संघ के सभापति तथा सचिव से बातचीत की थी और उनको समझाया था कि इस हड़ताल से मजदूरों को लाभ के बजाय हानि होगी ।

मुख्य अभियन्ता ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को भी कह दिया, किन्तु मजदूर संघ के सभापति व और कर्मचारी जो उनसे मिलने आये थे राजी नहीं हुये और हड़ताल की धमकी देकर चले गये ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मजदूरों की मांगें क्या थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उनकी मुख्य मांगें चार थीं । एक तो यह कि इनको इतवार की तनख्वाह दी जाय । दूसरी यह कि पांच रुपये प्रति माह की तरक्की जो अन्य सौ रुपये पाने वाले कर्मचारियों को दी जा रही है, उनको भी दी जाय । तीसरी यह कि जितने मजदूर वर्कशाप से निकाल दिये गये हैं उनको या तो फिर से नौकरी दी जाय या फिर एक माह के नोटिस के बजाय, एक माह की तनख्वाह दी जाय । चौथी बात यह कि २२ तथा २३ जनवरी, १९५८ को मजदूरों ने जो टूल डाउन हड़ताल की थी उसकी तनख्वाह भी दी जाय ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कुछ गिरफ्तार मजदूरों पर लाठी चार्ज भी हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सत्य है कि ज्यादातर मजदूर दैनिक वृत्ति पर काम करते हैं, इसलिये वह रविवार के वेतन के अधिकारी नहीं हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह सही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि यह हड़ताल इस कारण से हुई है कि जो इंजीनियर हैं उन्होंने मजदूरों से समझौता कर लिया और उनकी मांगों को मंजूर कर लिया था लेकिन यहां से कह दिया गया है कि यह समझौता नहीं होना चाहिये ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं। इसकी तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है कि वह इतवार की तनख्वाह मांगते थे किसी लेबर कमिश्नर के आर्डर के अनुसार जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार हुआ कि इतवार की भी तनख्वाह मजदूरों को मिलनी चाहिये। यह उनको भ्रम था लेकिन यह आदेश रुड़की वर्कशाप के मजदूरों के लिये लागू नहीं होता था।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जो नम्बर १ पर जवाब लिखा है कि "क्योंकि उनकी मांगों को जो अनधिकृत हैं" इस शब्द 'अनधिकृत' से क्या मतलब है ?

श्री कैलाशप्रकाश---अनधिकृत से यही मतलब है कि वे नियमानुसार नहीं थीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार जो ५ रुपया डियरनेस अलाउन्स अन्य सरकारी कर्मचारियों को सारे प्रदेश में दिया जाता है उसको रुड़की वर्कशाप के कर्मचारियों को भी देने का विचार करेगी, जो हड़ताल का मुख्य कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह जो ५ रुपया दिया जाता है यह तो सरकारी कर्मचारियों को जो सामान्यरूप से रखे गये हैं, उनके लिये है। ये जो मजदूर वहां पर हैं, वे डेली वेजेज पर रहते हैं इसलिये वे इसके अधिकारी नहीं हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रुड़की वर्कशाप के मजदूरों की हड़ताल कितने दिनों तक चलती रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो यहां पर सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह पता लगता है कि यह हड़ताल अब समाप्त हो गई है और ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन सम्भवतः १२,१३ या १४ तारीख को यह समाप्त हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जहां गवर्नमेन्ट के वर्कशाप हैं और ५०० या इससे अधिक मजदूर काम करते हैं वहां उनको डेली वेजेज पर क्यों रखा जाता है, स्थायीरूप से क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो जो वहां आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार जो काम होता है उसके अनुसार ही उनको रखा जाता है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हड़ताल समाप्त हुई है वह हड़ताल किस आधार पर समाप्त हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह ज्ञात हुआ है कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उनकी जो मांगों की बात थी उसको नियमित रूप से अधिकारियों के सामने रखा गया है जो उन पर विचार करेंगे, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने को तैयार हैं।

नगरपालिका सुल्तानपुर द्वारा जलकल व्यवस्था के लिए ऋण की मांग

****३---श्री गयाबख्शसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका सुल्तानपुर ने जलकल व्यवस्था के लिये कोई ऋण मांगा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां, नगरपालिका सुल्तानपुर ने जलकल योजना को कार्यान्वित करने के लिये ७.१८ लाख रुपये का ऋण मांगा है। इस योजना का आर्थिक पहलू और नगरपालिका की आर्थिक स्थिति जानने के लिये एक प्रश्नोत्तरी

में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्तशासन इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा सूचना देने को नगरपालिका सुल्तानपुर से कहा गया था। मुख्य अभियन्ता को समीक्षा सहित उक्त प्रश्नोत्तरों की प्रतीक्षा हो रही है।

**४—श्री गयाबख्शसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस कार्य के लिये नलकूप वहां काफी दिनों से तैयार हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। यह नलकूप प्रयोगात्मक उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान से बनाया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि पर्याप्त जल मिल सकता है या नहीं।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के पिछड़े भूभागों में कच्ची सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज-गोला सड़क के सम्बन्ध में १० सितम्बर, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह पक्की, सीमेंटेड तारकोल की सड़कों को धनाभाव के कारण और चौड़ी कराने का कार्य-स्थगित करके अविकसित एवं पिछड़े भू-भागों में कच्ची सड़कों को पक्की करने के बारे में विचार कर रही है?

हरिजन कल्याण मन्त्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी नहीं।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'जी नहीं' का क्या मतलब है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वर्तमान सड़कों पर गमनागमन बहुत अधिक हो गया है और भारी गाड़ियां भी चलने लगी हैं इसलिये उचित नहीं जान पड़ता है कि कंकड़ की सड़क रखी जायं और सड़कों को पक्की बनाने से रोक दिया जाय। इसलिये सरकार का यह विचार नहीं है कि आधुनीकरण रोक दे और पुराने पर वापस चली जाय।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलायेगी कि सरकार की नीति इस प्रकार की है कि जो मुख्य सड़कें हैं वे पहले तारकोल की या सीमेन्ट की हो जायं तो उसके बाद पिछड़े इलाके की सड़कों को बनाया जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसा नहीं है। कुछ सड़कें तारकोल की बनाई जा रही हैं और कुछ सड़कें सीमेन्ट की बनाई जा रही हैं और कंकड़ की भी बनाई जा रही हैं।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट का कोटा

*४—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के लिये १९५६-५७ में कितना सीमेंट का कोटा एलाट किया गया था और कितना मिला?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—

निर्धारित कोटा—३,२२४ टन
प्राप्ति—३,४७६ टन।

*५-६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी सुपरवाइजर की पदोन्नति के लिए उम्र का प्रतिबन्ध

*७--श्री मुक्तिना राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी सुपरवाइजर से आडीटर या सहकारी इन्सपेक्टर के पदोन्नति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने अधिक से अधिक उम्र का प्रतिबन्ध कितना रखा है और रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने क्या रक्खा है ? क्या दोनों में कोई भिन्नता है ? यदि है, तो इसका क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---सहकारी सुपरवाइजर से आडीटर या सहकारी इन्सपेक्टर की पदोन्नति के लिये सबार्डिनेट कोआपरेटिव सर्विस रूल्स के अनुसार जिस वर्ष सुपरवाइजर की पदोन्नति का चुनाव हो उस वर्ष की पहिली अगस्त को उसकी उम्र २३ वर्ष से कम और ४० वर्ष से अधिक न होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में न तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने और न चीफ आडिट आफिसर तथा रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने उम्र का कोई प्रतिबन्ध रखा है ।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट का कोटा

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में गत छः मास से प्रत्येक मास में कितना-कितना कोटा सीमेंट का एलाट किया गया है और कितना-कितना दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---(इसकी सूची मेज पर रखी है ।)

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब २,११२ टन का एलाटमेंट था तो २,०५९ टन ही क्यों दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सिर्फ ५३ टन ही कम दिया गया है । यह संभव हो सकता है कि उस वक्त उसको रेल से ले जाने की सुविधा न मिली हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो कोटा नहीं दिया जा सका है, क्या सुविधा मिलने पर अगली बार में दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

देवरिया जिले की सहकारी समिति सलेमपुर में गबन की जांच

*९---श्री उग्रसेन---क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि अध्यक्ष, सहकारी समिति, सलेमपुर, (देवरिया) के ९ नवम्बर, १९५७ के उस आवेदन-पत्र पर उन्होंने कौन सी व्यवस्था दी जिसमें उक्त समिति में ३०,००० से अधिक रुपये के गबन का गम्भीर आरोप लगाया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष, सहकारी समिति, सलेमपुर (देवरिया) का ९ नवम्बर, १९५७ का कोई भी आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में विभाग को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि १० सितम्बर, १९५७ का एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जिला सहकारी अधिकारी, देवरिया तथा उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, गोरखपुर ने जांच की है ।

*१०---श्री उग्रसेन---क्या सहकारिता मन्त्री उसकी खुली जांच कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, गोरखपुर द्वारा २९ जनवरी, १९५८ को मामलें की खुली जांच की जा चुकी है । अतएव पुनः खुली जांच के आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*११—श्री उग्रसेन—क्या देवरिया जिले की अन्य समितियों के भी गबन की जांच का आदेश-पत्र उनके पास हैं ? यदि हां, तो वे कौन-सी समितियां हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय सदस्य का 'आदेश-पत्र' शब्द से क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं है । वैसे देवरिया जिले के जिन अन्य सहकारी समितियों में सामान्य निरीक्षण के पश्चात् गबन का सन्देह हुआ है, उन निम्नलिखित समितियों में जांच हो रही है—

१—शिववंश छपरा उर्फ गढ़रामपुर,
२—कनकपुर,
३—मदरिया,
४—बसन्तपुर धूसी,
५—लाल छपरा,
६—रामपुर बड़हम ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उप-निबंधक द्वारा जांच हुई उससे समिति में कितने रुपये का गबन मालूम हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जो जांच हुई है उसका जोड़ होता है २९,७७३ रुपया १५ आना ६ पाई । यह है सहकारी समिति सलेमपुर का ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देवरिया जिले में अन्य ६ सोसाइटियां हैं उन पर कितनी रकम गबन करने का गम्भीर आरोप है ?

श्री मोहनलाल गौतम—शिववंश-छपरा, कनकपुर, मदरिया और बसन्तपुर धूसी का सब मिला कर, पहले ही सवाल के जवाब में कहा जा चुका है । १७,३०० रुपये का इसके अलावा लालछपरा सोसाइटी का ७,३५२ रुपये ६१ नये पैसे और रामपुर, बड़हम का १,५८५ रुपये ३६ नये पैसे का है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गबन के रुपये की वसूली का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जांच हो रही है । जो आडिट रिपोर्ट २९,००० रुपये के गबन की है, जांच से यह मालूम हुआ है कि सब गबन नहीं है । उदाहरण के रूप में, एक पम्प को आडिट ने मान लिया है कि ५ महीने चला, ३० दिन चला, हर रोज ८ घंटे चला । इस हिसाब से ७,२०० रुपये की आमदनी उसमें होनी चाहिये, लेकिन हुई है १,८६९ रुपये की । यह गबन है या नहीं, इसकी जांच हो रही है । यदि किसी को दे दिया और वसूल नहीं हो रहा है, तो इसे गबन कैसे कहा जाय, इसकी जांच हो रही है । वसूली के लिये आरबिट्रेशन हो रहा है और वह रुपया वसूल किया जा रहा है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि पहले उन्होंने कहा कि जांच हो चुकी है और अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जांच हो रही है. इन दोनों बातों में कौन-सी बात सही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—दोनों बातें सही हैं । पहली आडिट रिपोर्ट की बात है । विभाग यह देख रहा है कि आडिट में गबन कैसे हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—आडिट रिपोर्ट में यह गबन कहा गया है या मिसएप्रोप्रियेशन के नाम से रिपोर्ट हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—मेरे सामने वह रिपोर्ट इस समय नहीं है । जो रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार से आई है उसमें एम्बेजिलमेन्ट लिखा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---आडिटर महोदय ने रिपोर्ट कब दी और किस साल के गबन की रिपोर्ट उन्होंने दी ?

श्री मोहनलाल गौतम---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मंत्री जी ने बतलाया कि सन् ५८ में जांच मुकम्मल हो चुकी है, जनवरी ५८ में रिपोर्ट दी होगी । जो कर्मचारी दोषी पाये जा रहे हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जांच मुकम्मल हो चुकी, ऐसा मैंने नहीं कहा । खुली जांच हुई, इसलिये खुली जांच का प्रश्न नहीं उठता । दो वी० एल० डब्ल्यू० ससपेन्ड हो चुके हैं ।

एडीशनल जज, मैनपुरी की अदालत में अपीलें

*१२---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५६ ई० से १५ दिसम्बर, १९५७ ई० तक ऐडीशनल जज, मैनपुरी ने फौजदारी से ताल्लुक रखने वाले पुलिस चालानी मुकद्दमों का और इस्तगासों की अलहदा-अलहदा कितनी-कितनी अपीलें तय की हैं और उनमें कितनी मंजूर हुईं और कितनी खारिज हुईं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---दोनों प्रकार अपीलों के संबंध में अलहदा-अलहदा संख्या अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन संयुक्त सूचना निम्नलिखित है:---

(१) कुल अपीलों की संख्या	..	३४८
(२) जो खारिज हुईं	..	१५३
(३) जो मंजूर हुईं	..	१७७
(४) जो फिर से विचार करने के लिये वापस की गईं	..	१७
(५) जिनमें समझौता हो गया	..	१

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस चालानी मुकदमों की अपीलों की संख्या और इस्तगासों के मुकदमों की संख्या कब तक मिल जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैजिस्ट्रेटों के यहां से इत्तला के लिये लिखा गया है, कम से कम २ महीने लग जावेंगे ।

*१३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[११ मार्च, १९५८ के प्रश्न संख्या १६-१७ की पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

*१४-१५---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१८---**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में सीमेंट का वितरण

*१९---**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत सीमेंट वितरण की क्या व्यवस्था है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---परगनाधीश, महराजगंज, महराजगंज तहसील में सीमेंट का वितरण करते हैं । परगनाधीश ने एक तहसील परामर्शदात्री समिति बनाई है जो उनको इस कार्य में सहायता देती है । इस समिति के सदस्य विधान सभा तथा लोक सभा के सदस्य, विकास क्षेत्र के अधिकारी तथा विकास क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति होते हैं । इस समिति की बैठक प्रत्येक माह की ३० तारीख को होती है जिसमें अगले महीने के सीमेंट वितरण करने पर विचार होता है ।

गोरखपुर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*२०—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जो सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं उन दुकानों पर प्रतिदिन कितना गल्ला बेचने का अधिकार है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रतिदिन बेचे जाने वाले गल्ले की मात्रा आवश्यकतानुसार गल्ले के स्टाक को देखते हुये घटाई व बढ़ाई जाती रहती है। वर्तमान समय में गोरखपुर शहर तथा देहाती क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति दुकान पर निम्नलिखित मात्रा में गल्ला बेचने का अधिकार है :—

	गेहूं			मोटा अनाज
गोरखपुर शहर	४० मन	..	..	२० मन
देहाती क्षेत्र	३० मन	..	..	२० मन

*२१—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले को तथा खासतौर पर महराजगंज तहसील को कितना गल्ला महीने में दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—गोरखपुर जिला तथा उसकी महराजगंज तहसील को अगस्त, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक दिये गये कुल गल्ले के हिसाब से प्रतिमास दिये गये गल्ले की औसत मात्रा निम्नलिखित है:—

नाम	प्रतिमास दिये गये गल्ले की औसत मात्रा	
	गेहूं	मोटा अनाज
	मन	मन
गोरखपुर	६०,३०४	१३,८७३
तहसील महराजगंज	६,२३१	१,९१८

सहकारी विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रारों का वेतन

*२२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सहकारी विभाग में जो लोग अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के पदों पर काम कर रहे हैं उनमें से कौन-कौन डिप्टी कलेक्टरी से लिये गये हैं और कौन-कौन संबंधित मुहकमों से लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के तीन पदों में से दो पदों पर सर्वश्री एन० एस० माथुर तथा शशि भूषण सरन डिप्टी कलेक्टरी से लिये गये हैं और तीसरे पद पर श्री एम० एस० मित्र सहकारी विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार के पद से लिये गये हैं।

*२३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार डिप्टी कलेक्टरी से अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पदों पर लिये गये व्यक्तियों के ग्रेड व एलाउन्स तथा संबंधित मुहकमों से लिये गये व्यक्तियों के ग्रेड व एलाउन्स बताने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—(१) डिप्टी कलेक्टरी से लिये गये व्यक्तियों का ग्रेड और एलाउन्स उनका निजी ग्रेड २५०—८५० और २०० रु० मासिक विशेष वेतन।

(२) विभागीय व्यक्तियों के ग्रेड और एलाउन्स ५००—५०—१,२०० का ग्रेड और १०० रु० मासिक विशेष वेतन।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी उन विशेष कारणों को सदन के सामने रखेंगे जिनकी वजह से अन्य विभागों से लोगों को लेना पड़ा ?

श्री मोहनलाल गौतम---रूल्स के मुताबिक जो रेक्रूटमेन्ट है उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार और डिप्टी कलेक्टर दोनों हैं। कोई आउट-आफ-दि-वे जाकर काम नहीं हुआ है।

श्री झारखंडेराय---जो डिप्टी कलेक्टर लिये गये वे सीनियारिटी के या किस आधार पर लिये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह बिलकुल साफ है जो जिस पद पर है वह अपने नीचे के पद वालों से सबसे सीनियर है ?

*२४-२६---**श्री रूपसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

करनैलगंज, जिला गोंडा में सस्ते गल्ले की दुकानों की मांग

*२७---**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---क्या सरकार के विचाराधीन करनैलगंज (गोंडा) में सस्ते गल्ले की दूकाने खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी दुकानें पहले से चल रही हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---करनैलगंज में जो दुकानें सस्ते गल्ले की चल रही थीं उन्हें कब तक चलाने की जरूरत है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इससे संबंधित नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

गढ़मुक्तेश्वर के समीप गंगा पर पुल बनाने की योजना

*२८---**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़मुक्तेश्वर के समीप गंगा पर बनने वाले पुल की योजना स्थगित हो गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---जी नहीं।

अल्प-आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत नगरों में दिया गया ऋण तथा ग्रामीण गृह निर्माण योजना

*२९---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प-आय ग्रुप गृह योजना में गत वर्ष कितना-कितना रुपया कवाल टाउन्स तथा मेरठ, बरेली, अलीगढ़ जिलों के लिये स्वीकृत किया गया और कितने मकान इन जिलों में बने ?

श्री सैयद अली जहीर---राज्य सरकार ने अल्प-आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ में कवाल नगरों को १,२७,९७,९४० रुपया स्वीकृत किया था, जिससे गत वर्ष तक १,६०१ मकान बनाये गये हैं। मेरठ को ८,१८,५०० रुपया बरेली को ९,३४,३०० रुपया तथा अलीगढ़ को ९,२५,००० रुपया स्वीकृत किया गया। इन जिलों में क्रमशः ८७,९२ तथा ५४ मकानों का निर्माण हो चुका है।

*३०—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी इस योजना में ऋण देने की कोई व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*३१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—सरकारी ग्रामीण गृह योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री सैयदअली जहीर—राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनवाने के लिये Village Housing Projects Scheme नामक योजना अभी हाल में भारत सरकार ने स्वीकृत की है । इस योजना के अन्तर्गत N. E. S. Blocks तथा Community Development Projects के अन्तर्गत ग्रामों में मकान बनाये जायंगे । योजना अभी पूर्ण गति से प्रारम्भ नहीं हुई है । अभी केवल एक Rural Housing Cell का निर्माण हुआ है जो उन ग्रामों का सर्वेक्षण कर रहा है जहां योजना चलाना उपयुक्त होगा ।

बदायूं जिले में सरकारी वकील श्री फ़ख्र आलम की नियुक्ति

*३२—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बदायूं में नये नियुक्त किये गये सरकारी वकीलों की सूची मेज पर रखेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—बदायूं जिले में केवल एक नया जिला सरकारी वकील (सिविल), जिनका नाम फ़ख्र आलम है, नियुक्त किये गये हैं ।

श्री टीकाराम—क्या यह सन् ४८ में इस ओहदे पर थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, सन् ५१ से पहले तो यह थे ।

श्री टीकाराम—इनकी अलहदगी का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस समय जिलाधीश ने यह पाया था कि किसी मुकदमे की पैरवी के लिये यह समय पर नहीं पहुंचे थे ।

श्री टीकाराम—तो ऐसा एतराज होने पर दोबारा क्यों रखा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह राय का प्रश्न है । जिले से फिर से सिफारिश आई, इस वजह से फिर रख लिया गया ।

गोंडा जिले में कर्नेलगंज—नवाबगंज सड़क के निर्माण में अव्वल ईंटा न प्रयोग करने की शिकायत

*३३—श्री शीतलाप्रसादसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले में कर्नेलगंज-नवाबगंज रोड जो कि बन रही है उसमें वेल्सर और तरबगंज के बीच में ५० प्रतिशत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—जी नहीं । पूरी सड़क पर प्रथम श्रेणी की ईंटें लगाई गई हैं । ईंटों का रंग देखने में अव्वल दर्जे की भांति गहरा लाल नहीं है इसका कारण वहां की मिट्टी है ।

द्वितीय भाग— प्रश्न नहीं उठता ।

*३४—श्री शीतलाप्रसादसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कब तक सड़क बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—कथित सड़क के दो भाग हैं जिसमें से प्रथम भाग करनैलगंज से परसपुर की, स्वीकृत धनराशि ३,४०,७०० रुपये है तथा द्वितीय भाग परसपुर से नवाबगंज की, स्वीकृति धनराशि ९,७३,६८६ रुपये है । पूरी सड़क के निर्माण में लगभग दो वर्ष लगेंगे ।

श्री शीतलाप्रसादसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वहां जो ईंटा लगाया गया है वह धूल बनता जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैंने कहा कि सेकंड और थर्ड क्लास की ईंट नहीं लगायी गयी बल्कि फर्स्ट क्लास की ईंट लगायी गयी है केवल उसका रंग लाल नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस अधिकारी की जांच की बिना पर यह उत्तर दिया गया है कि ईंटें देखने में पीली हैं लेकिन वास्तव में अव्वल हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यह सूचना विभाग ने दी है ।

श्री बलदेवसिंह---क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य द्वारा दी गयी जानकारी से लाभ उठाकर यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि वास्तव में कैसी ईंटें हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैंने बता दिया कि ईंटें अव्वल हैं लेकिन अगर माननीय मित्र चाहेंगे तो दुबारा जांच करा ली जायगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---ये ईंटें सहकारी भट्टे से ली गयी थीं या पी० डब्ल्यू० डी० के भट्ठे से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुराने होने से वहीं की ईंटें पीली हो गयीं या और भी कहीं हुईं ?

श्री अध्यक्ष---पुरानी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहां की मिट्टी की वजह से वे पीली हैं ।

बदायूं जिले में फौजदारी के मुकदमें

*३५---**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)---क्या सरकार जिला बदायूं की हर तहसील के संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि कितने फौजदारी के मुकदमें गत पांच वर्षों में दायर हुये और उनमें से कितने मैजिस्ट्रेट द्वारा तय किये गये और कितने अवैतनिक मैजिस्ट्रेट्स तथा अवैतनिक मैजिस्ट्रेट बेंचेज द्वारा तय किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९५३ के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। शेष चार वर्षों के संबंध में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५४ पर)

*३६---**श्री शिवराजसिंह यादव**---क्या सरकार यह भी तहसीलवार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुकदमों में से कितने छः महीने से अधिक काल में तय हुये और कितने छः माह से अधिक समय से फैसले होने को पड़े हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इन मुकदमों में से किसी के तय होने में छः मास से अधिक नहीं लगे और न कोई छः मास से अधिक से फैसला होने को पड़ा है।

श्री शिवराजसिंह यादव---क्या सरकार बिसौली और दातागंज तहसीलों के दायरे की भारी संख्या को देखते हुये और जनता की सुविधा को देखते हुये आनरेरी मैजिस्ट्रेट पुनः नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तो विचार नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य आवश्यकता समझते हैं तो माननीय मंत्री जी से इस संबंध में बातें कर लें।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार किसी तहसील में आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की अपनी नीति व तरीका बतायेगी ?

श्री अध्यक्ष—नीति के बारे में आप सवाल नहीं कर सकते।

बदायूं जिले के सलेमपुर परगने में पक्की सड़कों की कमी तथा नरहा नदी के पुल के पुनर्निर्माण की प्रार्थना

*३७—**श्री हरिश्चन्द्रसिंह** (जिला बदायूं)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं में कुल कितनी पक्की सड़क है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कथित तहसील में पक्की सड़कों की लम्बाई ७ मील है।

*३८—**श्री हरिश्चन्द्रसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पंचवर्षीय योजना में वहां किसी और सड़क के बनाने की योजना है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—धनाभाव व योजना का सीमित आकार होने के कारण।

*३९—**श्री हरिश्चन्द्रसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज के ग्राम सादुल्लागंज के पास नरहा नदी पर पुल कब बना और कब टूट गया ? क्या सरकार उस पुल के पुनःनिर्माण का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—कथित पुल दातागंज से सादुल्ला गंज तक जाने वाली सड़क जो जिला बोर्ड के अधीन है पर १९२८-२९ में जिला बोर्ड द्वारा निर्मित हुआ था। पुल के बनने के बाद पहली बाढ़ में ही पानी ने इस पुल के दोनों ओर की सड़क को बहा दिया और पुल बेकार खड़ा है।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ७ मील सड़क तहसील दातागंज में है वह पी० डब्ल्यू० डी० की है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पी० डब्ल्यू० डी० की है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—यह सड़क कब बनी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के बह जाने और पुल के टूट जाने का जो जिक्र आपने किया है, वह कब का जिक्र है, किस सन् का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सड़क के टूट जाने की बात नहीं है, इसमें पुल के टूट जाने की बात दी है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है और २८-२९ में यह पुल बना था।

श्री शिवप्रसाद नागर—टूटने की बात मैंने नहीं पूछी है, बनने की पूछी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब में दिया गया है कि बनने के २ साल के बाद ही यह बात हुई।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुल के आस-पास की सड़क बह गयी है या पुल टूट गया है ? माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट नहीं हुआ। मालूम होता है कि पुल अभी मौजूद है, आस-पास की सड़क बह गयी है।

श्री अध्यक्ष—इसमें लिखा है कि पुल बेकार खड़ा है ।

श्री देवनारायण भारतीय—इसका मतलब तो यह है कि पुल मौजूद है और सड़क बह गयी है ।

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर में लिखा हुआ है। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सड़क जो टूट गयी है, उसकी मरम्मत कराने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है, वही उसकी मरम्मत कराना चाहे तो करा सकता है। पी० डब्ल्यू० डी० का कोई सवाल नहीं है।

मेरठ जिले में अल्प-आय गृह निर्माण योजनान्तर्गत दिया गया ऋण

*४०—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में Low Income Group Housing Loan Scheme में इस समय तक कितने व्यक्तियों को और कितना-कितना रुपया दिया गया है? क्या यह धन नये भवन बनाने के लिये दिया जाता है या पुराने भवनों की मरम्मत के लिये भी?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय तक मेरठ में ९५ व्यक्तियों को तीन किस्तों में ४,७१,५०० रुपया दिया जा चुका है जिसकी सूची† सदन की मेज पर रखी गई। इस योजना के अन्तर्गत केवल नये मकानों के निर्माण के लिये ही ऋण दिया जाता है ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मद के लिये मेरठ जिले के लिये कितना रुपया दिया गया था और वह सारा रुपया क्यों खर्च नहीं किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरठ जिले को कुल ८,१८,५०० रुपया ऋण के रूप में दिया गया था, उसमें से सब खर्च नहीं हो सका। कुल आवेदन-पत्र १५८ आये जिनमें से ९५ को दिया गया है और ६१ के आवेदन-पत्र स्वीकार हो चुके हैं, उनके कागजात वगैरह जब मुकम्मल हो जायंगे तो उनको भी रुपया दे दिया जायगा। २ के आवेदन-पत्र खारिज कर दिये गय हैं।

श्री तेजासिंह—यह ऋण जो इन व्यक्तियों को दिया गया है वह कोआपरेटिव सोसाइटियों की मार्फत दिया गया है या इनडिविजुअल्स को दिया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, वह कोआपरेटिव बैंक, मेरठ द्वारा दिया गया है।

श्री तेजासिंह—जिन व्यक्तियों को रुपया दिया गया वह तो बैंक की मार्फत दिया गया है लेकिन मैंने यह पूछा कि जो प्रार्थना-पत्र आये थे वह कोआपरेटिव सोसाइटियों की मार्फत आये थे या सीधे बैंक को दिये गये थे?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास यह सूचना है कि वह आवेदन-पत्र कोआपरेटिव बैंक के पास आये थे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में जो रुपया दिया गया है वह हाउसिंग सोसाइटियों को दिया गया है या व्यक्तियों को दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—वह तो स्पष्ट हो चुका कि व्यक्तियों को दिया गया है।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री तेजासिंह—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि पुराने मकानों की मरम्मत के लिये यह रुपया नहीं दिया जाता तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मकान पुराने हैं और उन में कोई नये कमरे बनाना चाहे तो उसके लिये भी यह रुपया दिया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मरम्मत के लिये नहीं दिया जाता, नवनिर्माण करना हो तो दिया जाता है ।

गोरखपुर जिले की कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां

*४१—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में कोई कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, वहां ऐसी २ सोसाइटियां हैं ।

गाजीपुर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*४२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी मील लम्बी पक्की सड़क बनाने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१८ मील ।

*४३—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले में बुर्जुगा रोड को पक्की बनवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्र न्न शर्मा—जी नहीं ।

*४४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर व बहरियाबाद रोड पर भीमापार तक मिट्टी पड़ चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष भीमापार से बहरियाबाद तक सड़क ऊंची करवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—यह सड़क अब जिला बोर्ड के अधीन है और इसके ऊंचा कराने का भार जिला बोर्ड पर है ।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह १८ मील सड़क जो बनने जा रही है वह जिले के किन-किन भागों में बनेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—११ मील का टुकड़ा चालू योजना के अन्तर्गत बहरियाबाद से सैदपुर तक बनेगा और नई योजना के अन्तर्गत कासिमाबाद मऊ का ७ मील का टुकड़ा बनेगा ।

श्री यमुनासिंह—इस १८ मील सड़क पर कितना राजकीय धन व्यय होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कासिमाबाद-मऊ रोड पर २,५२,००० रुपया की स्वीकृति भेजी गई है और बाकी ११ मील के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । सूचना चाहिये ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर कौन सा मेटीरियल इस्तेमाल होगा, डामर की बनेगी या सीमेंट की बनेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वह पक्की सड़क बनेगी ।

डी० सी० डी० एफ० के सेक्रेटरी के चुनाव के सम्बन्ध में आदेश

*४५—**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सहकारी विभाग की ओर से पिछले ४ साल के अन्दर कोई आदेश डी० सी० डी० एफ० के सेक्रेटरी के चुनाव के संबंध में जारी हुए ? यदि हां, तो किन जिलों में वह लागू हुआ और किनमें नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह आदेश निम्नलिखित जिलों में लागू हुआ:—
१—इलाहाबाद, २—कानपुर, ३—इटावा, ४—मैनपुरी, ५—नैनीताल, ६—अल्मोड़ा, ७—जालौन, ८—झांसी, ९—बलिया, १०—जौनपुर, ११—गाजीपुर, १२—मिर्जापुर १३—वाराणसी, १४—बिजनौर, १५—बरेली, १६—मुरादाबाद, १७—बदायूं, १८—रामपुर, १९—सुल्तानपुर, २०—गोंडा, २१—फैजाबाद, २२—बाराबंकी, २३—बस्ती, २४—गोरखपुर, २५—देवरिया, २६—सहारनपुर, २७—मुजफ्फरनगर, २८—बुलन्दशहर, २९—मेरठ, ३०—उन्नाव ।

जिन जिलों में यह आदेश लागू नहीं हुआ, वे ये हैं —
१—फर्रुखाबाद, २—फतेहपुर, ३—मथुरा, ४—अलीगढ़, ५—एटा, ६—आगरा, ७—गढ़वाल, (पौड़ी) ८—टेहरी गढ़वाल, ९—बांदा, १०—पीलीभीत, ११—शाहजहांपुर, १२—प्रतापगढ़, १३—बहराइच, १४—आजमगढ़, १५—रायबरेली, १६—लखनऊ, १७—सीतापुर, १८—खेरी ।

*४६—**श्री हरकेशबहादुर** (अनुपस्थित)—प्रतापगढ़ जिले में क्या यह आदेश अब भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, पूर्व प्रेषित शासकीय आदेश में यह संशोधन किया गया था कि निबन्धक सहकारी समितियां, जहां उचित समझें, सरकारी अधिकारी को सहकारी संस्था का मंत्री नियुक्त कर सकते हैं । चूंकि जिलाधीश, प्रतापगढ़ ने उस जिले की कोआपरेटिव फेडरेशन के तत्कालीन गैर सरकारी अवैतनिक मंत्री के विरुद्ध शिकायत की थी, इसलिये निबन्धक ने वहां सरकारी मंत्री नियुक्त कर दिया ।

*४७—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—[हटा दिया गया ।]

लखनऊ जिले में हरिजन व पिछड़ी जातियों के पंचायत सेक्रेटरी

*४८—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ में कितने पंचायत सेक्रेटरी हरिजन और पिछड़े वर्ग के हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—लखनऊ जिले में ३ हरिजन और १५ पिछड़े वर्ग के पंचायत सेक्रेटरी हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मेरठ जिले की सरधना तहसील में बनने वाली सड़कें

*४९—**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले की सरधना तहसील की कौन-कौन सड़कें दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनायी जा रही हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—एक विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५५ पर)

*५०—**श्री रामजीलाल सहायक**—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त योजना में सरधना तहसील के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नदियों के कितने पुल बनाये जाने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बड़े पुल बनाने की कोई योजना नहीं है। जो छोटी पुलिया प्रश्न ४९ के उत्तर में कही गई सड़कों पर पड़ेंगी, उनके निर्माण के लिये उन सड़कों के आगणन में ही प्राविधान रहेगा।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरनावा तक का ६ मील लम्बा टुकड़ा बनाने की लिखा-पढ़ी की गई थी और उसकी योजना भी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—लिखा-पढ़ी की गई होगी।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वहां पर लगभग ३ मील सड़क बन रही है।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बरनावा के घाट पर पुल बनाने की मांग थी और योजना भी थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस वक्त कोई योजना नहीं है। समय आने पर वह भी बना दिया जायगा।

झांसी जिले में सड़कों तथा बेतवा नदी के नोटघाट पर रपटा के निर्माण की योजना

*५१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर रपटा कब तक बनेगा और उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—रपटा के निर्माण का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इसके निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २.४३ लाख रुपया प्रस्तावित है।

*५२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में बेतवा नदी के बराटा घाट पर मोटर बोट चलाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि जिला बोर्ड, झांसी को बराटाघाट पर चलाने के लिये दो मोटर बोट दे दी जायं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और मुख्य अभियन्ता से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

*५३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में कितनी मील नई पक्की सड़कें बनेंगी और कौन-कौन सी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसका विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इस रपटा को ऊंचा बनाने के लिए गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के संक्षिप्त विवरण में ७,५९,००० हजार रुपये की योजना बताई गई थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—रपटा का प्रश्न था। अब तो यहां ऊंचा पुल बनाने की बात चल रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि २५ जनवरी, १९५८ को झरलघाट पुल का उद्घाटन करते समय माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने यह घोषणा की थी कि जितना रुपया इस पुल पर उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी उससे एक लाख रुपया अधिक केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बल्देवसिंह—श्रीमन्, इन प्रश्नों को आज स्थगित कर दिया जाय क्योंकि जवाब ऐसा मिल रहा है कि उससे लोगों को संतोष नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, बात यह है कि उसमें वे बहुत पिछड़ जायंगे।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करते हुए कि गत वर्ष जो लगभग ६ लाख रुपया अधिक खर्च दिखाया गया था और १ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार देने को तैयार है, इस योजना को स्वीकार करने की कोशिश करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—रपटा घाट पर हाई लेवेल ओवर लोड ब्रिज बनाने का प्रश्न है जिसके संबंध में माननीया सुशीला नायर ने दिल्ली में इस बात को कहा था। हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भारत सरकार से बातचीत चल रही है। जिस वक्त स्वीकृति आ जायगी तो हाई लेवेल ब्रिज बनाने की बात देखी जायगी।

कानपुर से बूचड़खानों को हटाने का विचार

*५४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कानपुर शहर में (करनेलगंज के पास) जानवरों के बूचड़खानों के बीच शहर से हटाने की व्यवस्था डेवलपमेंट बोर्ड ने की है ? यदि हां, तो क्या और कब ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन बूचड़खानों को शहर से हटाने के संबंध में नगरपालिका कानपुर आवश्यक कार्यवाही कर रही है। प्रशासक, कानपुर ने विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के स्थानीय सदस्यों से इस प्रश्न पर परामर्श किया है। कुछ सदस्यों ने मौके का निरीक्षण भी किया है। नगरपालिका कानपुर ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है और उक्त सदस्यों की अगली बैठक में इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जायगा।

*५५—श्री मुरलीधर कुरील—[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*५६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बलिया जिले में कितनी मील लम्बी सड़क बनायी जायेगी और सर्वप्रथम किस सड़क पर कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—७१ मील।

द्वितीय भाग—दहतल-बांसडीह सड़क पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

*५७—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बलिया के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से नगरा जाने वाली सड़क पक्की करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ७१ मील नयी सड़कें बनायी जा रही हैं उनमें कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—नयी पक्की सड़कें दहतल-बांसडीह—४ मील, पचखोरा रतसन्ड—३ मील, बलिया-बैरिया-देवलगंज—३८ मील। कच्ची सड़कों को पक्की करना—सिकन्दरपुर-दहतल—१४ मील, बांसडीह-रेउती रेलवे स्टेशन—१२ मील, इस तरह से ७१ मील।

श्री जगन्नाथ चौधरी—सिकन्दरपुर स कुतुमपुर घाट जो बाढ़ एरिया में पड़ता है, उस सड़क को बाढ़ विभाग ने ऊंचा कर दिया है, क्या सरकार उसको पक्का करने पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अभी तो यह विचाराधीन नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में जो ७१ मील पक्की सड़क बनने वाली है, यह ग्रिड एंड स्टार फार्मूले के अन्तर्गत बनने वाली है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय सिकन्दरपुर से नगरा जाने वाली सड़क को वहां के क्षेत्र की जनता की अनवरत मांग को तथा व्यापारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पक्की कराने का विचार करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—अभी तो जो यह सड़कें हैं यह पक्की बनेंगी उसके बाद अगर धन प्राप्त होगा तो उसको भी पक्की बनाने का विचार किया जायगा।

उन्नाव जिले से पंचायत करके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*५८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गत सितम्बर मास में उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों के प्रार्थना-पत्र इस आशय के प्राप्त हुए थे कि पंचायत टैक्स अवैधानिक रूप से लगाया गया है और जो सात साल तक का बकाया में है और यह प्रार्थना की गयी थी कि वह रद्द किया जाये ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां, इन पत्रों को जिलाधीश उन्नाव के पास जांच तथा रिपोर्ट के हेतु भेज दिया गया है। जिन प्रार्थना-पत्रों की जांच हो चुकी है, उनसे विदित हुआ कि जो टैक्स लगाया गया है वह नियमानुसार है और प्रार्थना-पत्र फर्जी दिये गये हैं। कुछ स्थानों से यह भी रिपोर्ट मिली है कि प्रार्थना-पत्र देने वालों ने भ्रमवश हस्ताक्षर या निशानी अंगूठे कर दिये और उन्हें पंचायत-कर के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है।

फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क को सीमेंटेड करने की जानकारी

*५९—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में फैजाबाद-आजमगढ़ रोड के कितने भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट रोड बनायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—कथित रोड के किसी भाग में सीमेंट कांक्रीट करने का प्रस्ताव नहीं है।

*६०-६१—श्री गनेशीलाल चौधरी—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२--डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)--[नवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १४४ से स्थानान्तरित किया गया ।]

इलाहाबाद में साफ्ट कोक का कोटा तथा मलाका साइडिंग को बदलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*६३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में (साफ्ट कोक) तथा लकड़ी का कितना कोटा इस साल के लिये था ? उसमें से कितनी लकड़ी तथा (साफ्ट कोक) के कितने वैगन आ चुके और कितने वैगन आना बाकी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--नियंत्रित लकड़ी की पूर्ति की योजना इलाहाबाद में नहीं है । इसलिये लकड़ी के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता । अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९५८ तक साफ्ट कोक का कोटा १,२१२ वैगन था जिसमें से ७४० वैगन प्राप्त हुये, १४० लैप्स हो गये और ३३२ वैगन आना बाकी हैं ।

*६४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले (मलाका साइडिंग) जहां पर कोयला तथा लकड़ी के वैगन गिराये जाते थे और उसी स्थान से लकड़ी तथा कोयला जनता खरीद कर ले जाती थी, उस स्थान पर स्टाक किया जाता है ? यदि हां, तो यह आज्ञा कब दी गयी और क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--राज्य सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है । लकड़ी और कोयला के व्यापारियों ने मलाका साइडिंग के प्लाट, रेलवे से किराये पर लिये थे और वे वहां अपना माल वैगनों से उतारते और रखते थे । राज्य सरकार का आज्ञा देने या न देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास मलाका साइडिंग के स्थान को बदलने पर वहां के लकड़ी व कोयले के स्टाकिस्ट ने विरोध के पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयदअली जहीर--जी हां । इस सम्बन्ध में मलाका साइडिंग के लकड़ी और कोयले के व्यापारियों ने विरोध-पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने दूसरे उपयुक्त स्थान की मांग की है ।

*६६--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--[माननीय सदस्य का चुनाव अवैध और स्थान रिक्त घोषित होने के कारण सूची से हटा दिया गया ।]

कुशीनगर-देवरिया रेलवे लाइन बनाने की योजना

*६७--श्री रामायण राय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या राज्य सरकार ने कुशीनगर को शीघ्र देवरिया से रेल द्वारा मिलाने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां ।

मौलाबख्श कबरिस्तान, लखनऊ में मुर्दे गाड़ने की मनाही

*६८--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर स्थित मुहल्ला न्यु बशीरतगंज, ऐशबाग रोड पर मौलाबख्श नामी कबरिस्तान में नये मुर्दे गाड़ने में प्रबन्धक द्वारा रुकावट डालने के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--लखनऊ के मौलाबख्श नामी कुरैश कबरिस्तान में अब मुर्दों को नगरपालिका द्वारा न गाड़े दिये जाने का कारण उस कबरिस्तान के चारों ओर निवासित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचना है ।

मुकदमों के निर्णय में शीघ्रता के लिए कार्य

*६९--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या न्याय मन्त्री यह बतलायेंगे कि प्रदेश की विभिन्न अदालतों में मुकदमों के निर्णय में जो देर लगती है इस दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र निर्णय कराने के संबंध में सरकार ने कदम उठाये है जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं--

१--उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की संख्या बढ़ा दी गयी है और नयी अदालतें स्थापित की गयी हैं ;

२--विभिन्न अधिनियम, विधि तथा नियम संशोधित किये गये हैं ;

३--मुकदमों के शीघ्र और नियमित रूप से फैसले कराने के विषय में समय-समय पर बहुत से प्रशासकीय आदेश जारी किये गये हैं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नये कदम उठाने के बाद इस कार्य में सरकार को कितने प्रतिशत की सफलता मिली है ?

श्री रामस्वरूप यादव--हां, फैसले कुछ जल्दी होने शुरू हो गये हैं ।

*७०--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

अवक्रान्त नगरपालिकाओं के चुनाव

*७१--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश की मुअत्तल नगरपालिकाओं के चुनाव वह कब कराने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रदेश की ८ अवक्रांत एवं भंग नगरपालिकाओं में से अल्मोड़ा में अप्रैल के महीने में, रामपुर और गोरखपुर में अप्रैल के अन्त तक या मई के आरम्भ में कोंच (जिला जालौन) में जुलाई के महीने में और सहारनपुर में नवम्बर-दिसम्बर तक चुनाव कराने का शासन का विचार है । नगरपालिका बलिया में भी चुनाव शीघ्र होंगे । नजीबाबाद (जिला बिजनौर) और मुरादाबाद नगरपालिकाओं के विषय में इनके अवक्रांत काल की समाप्ति से कुछ काल पूर्व इनकी स्थिति देखते हुए निर्णय किया जायगा ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि अवक्रान्त काल कितनी अवधि का होता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप आम सवाल पूछ रहे हैं । किसी विशेष नगरपालिका के बारे में आप पूछना चाहें तो पूछें । आप फिर से प्रश्न पूछें स्पष्ट करके ।

श्री दीनदयालु शास्त्री--मंत्री जी ने कहा है कि नजीबाबाद जिला बिजनौर और मुरादाबाद की नगरपालिकाओं का अवक्रान्त काल बीतने के बाद बतलाया जा सकेगा । तो वह अवक्रान्तकाल क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नजीबाबाद का २९ जून, १९५८, मुरादाबाद का १९ सितम्बर, १९५८ ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अवक्रान्त काल से पूर्व चुनाव कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अवक्रान्त करने के कारण यही होते हैं कि वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है और उससे पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि वहां की अवस्था अच्छी हो गयी होगी। अगर हालत सुधर जाती है तो पहले भी सरकार चुनाव करा सकती है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बलिया का चुनाव कब होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—बलिया का भी चुनाव कराने का जल्दी प्रयत्न है। अभी हाल में कुछ गांव बलिया नगरपालिका के क्षेत्र में आते थे उनके बारे में नोटीफिकेशन किया गया है। वह सब तय हो गया है। इन सबके बाद जल्दी सरकार की मंशा है चुनाव करवाने की।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर नगरपालिका का चुनाव कराने के लिये आदेश दिये गये थे वह क्यों रोक दिये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, यह सही है कि गोरखपुर का इस समय चुनाव रोक दिया गया है। कारण यह है कि सभी दलों के कई सदस्यों ने मंत्री महोदय से कहा कि गोरखपुर का चुनाव इतनी जल्दी नहीं होना चाहिये जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो जाय और जितना बकाया है टैक्स का वह वसूल न हो जाय। इसी वजह से सरकार ने बाद में आदेश दे दिये कि अभी यह चुनाव न हो।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री उन दलों और व्यक्तियों के नाम बतलायेंगे जिन्होंने गोरखपुर का चुनाव स्थगित करने के लिये निवेदन किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—व्यक्तियों का नाम बतलाना संभव नहीं है। अक्सर मंत्री महोदय से सज्जन आ कर मिलते हैं और वही सुझाव देते हैं।

श्री मदन पांडेय—दलों का क्या नाम है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। मंत्री महोदय ही इसे बतला सकते हैं।

गाजीपुर जिले में सैदपुर टाउन एरिया के वाटरवर्क्स के लिए जमीन न मिल सकना

*७२—**श्री आत्माराम पाण्डेय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस कारण से जिला गाजीपुर के सैदपुर टाउन एरिया के वाटरवर्क्स निर्माण हेतु गत ८ सितम्बर, १९५६ को लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत नोटीफिकेशन होने के बाद भी आज तक जमीन पर टाउन एरिया को कब्जा नहीं दिलाया जा सका ?

श्री रामस्वरूप यादव—लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ९ के अन्तर्गत जमीन के मालिकों को मुआवजे की नोटिस दी गयी। नोटिस पर आपत्तियां की गयीं, जो अभी विचाराधीन हैं।

*७३—**श्री आत्माराम पांडेय**—उपर्युक्त वाटरवर्क्स का काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—वाटर वर्क्स का काम भूमि उपलब्ध होने के बाद ही प्रारम्भ हो सकेगा।

*७४—श्री आत्माराम पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सैदपुर वाटरवर्क्स से कब तक नागरिकों को पानी मिलने लगेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी कोई निश्चित समय उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्री आत्माराम पांडेय—क्या सरकार बतलायेगी कि नोटिस कब दिया गया, उसमें आपत्ति हुए कितने दिन हुए और इसका फैसला कब तक होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस कब दिया गया इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। फैसला करना सरकार के हाथ में नहीं है। लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर नियुक्त है। वह उनकी आपत्तियों को सुन कर कानून के मुताबिक फैसला करेगा तभी फैसला हो सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उन आपत्तियों को सुनने के लिये कोई तारीख मुकर्रर की गयी है अथवा नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वे आपत्तियां तो लैंड एक्वीजीशन आफिसर के कार्यालय में सुनी जाती हैं और वहीं तारीख नियुक्त की जाती है ?

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सरकार बनाम मोहन लाल वगैरह से संबंधित अपील पर व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

*७५—श्री शम्भुदयाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि State vs. Mohanlal and others, Criminal Appeal No. 900 of 1954 जो High Court (Lucknow Bench) में चल रही थी उसमें सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—हर मुकदमे का खर्च अलग-अलग नहीं रखा जाता है। जो श्रम और खर्च इस सूचना को प्राप्त करने में लगेगा वह परिणाम से संगत न होगा। इसके अतिरिक्त इस सूचना का देना जन-हित में भी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सूचना देना जनहित में क्यों नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जनहित के लिये कोई रीजन नहीं होता। सरकार का खयाल है कि वह जनहित में नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह अपील वही है जिसमें हाईकोर्ट की एक बेंच ने और जस्टिस मुल्ला ने स्ट्रिक्चर्स पास किये कि राज्य सरकार को इस प्रकार की अपील नहीं करनी चाहिये थी ? बिलकुल अवैधानिक और नियमों के विरुद्ध यह अपील की गयी है। ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस निर्णय को देखने का मुझे अवसर नहीं मिला है।

मैनपुरी जिले में कुरावली और नगला चैनी के बीच मार्ग बनाने की प्रार्थना

*७६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार ग्राम नगला चैनी, तहसील मैनपुरी, जिला मैनपुरी तथा उक्त जिले व तहसील के टाउन एरिया कुरावली के बीच बैलगाड़ी, मोटर तांगा आदि जाने के लिये मार्ग निकालने की किसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुरावली टाउन एरिया और नगला चैनी तक करीब एक फर्लांग का डिस्टेंस रह जाता है। उस कच्चे रास्ते को बना देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य स्वयं कहते हैं कि वह सड़क ग्रान्ड ट्रंक रोड है और एक फर्लांग पर यह एक गांव है जिसमें १० मकान हैं। उसके लिये सरकार को सड़क बनाना चाहिये या नहीं इस पर माननीय सदस्य स्वयं विचार कर सकते हैं।

*७७-७८—श्री प्रतापसिंह—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७९-८०—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में सीमेंट का कोटा

*८१—श्री मलिखानसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में सीमेंट का कोटा जून व जुलाई, १९५७ की अपेक्षा अगस्त, १९५७ में कम दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, इन महीनों के कोटे इस प्रकार थे—

जून	..	..	..	१९० टन
जुलाई	..	..	..	१९८ टन
अगस्त	..	..	..	१९८ टन

श्री मलिखान सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जून से अगस्त तक जो कोटा बढ़ाया गया है वह बाढ़ के कारण बढ़ाया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह जो स्वाभाविक कोटा मिला करता था उसी हिसाब से मिला है।

श्री हरदयाल सिंह—माननीय मन्त्री जी सीमेंट पर से कंट्रोल हटाने की सोच रहे हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया गया है कि ऐसा विचार कोई नहीं है।

फीरोजाबाद, जिला आगरा में भंगी बस्ती बनाने के लिए अनुदान

*८२—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा फिरोजाबाद नगरपालिका, जिला आगरा को भंगी बस्ती (मेहतरों के लिये क्वार्टर्स) बनाने के लिये कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो यह अनुदान कब और कितना दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका फीरोजाबाद को सन् १९५५ में १२,००० रु० की धनराशि अनुदान के रूप में भंगी बस्ती बनाने के लिये दी गयी थी।

*८३—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद नगरपालिका ने जो भंगी बस्ती के २० क्वार्टर्स का टेन्डर स्वीकृत किया था उसका अनुमानित व्यय क्या था ? तथा अब निर्माण विभाग द्वारा जो भंगी बस्ती के १६ क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगरपालिका फीरोजाबाद ने जो २० क्वार्टरों का टेन्डर स्वीकृत किया था उसका अनुमानित व्यय ३६,५८० रुपये था। लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार की हुई योजना के अनुसार २२ क्वार्टर बनाने की योजना है जिसका अनुमानित व्यय ८१,५०० रुपये है।

*८४--श्री जगन्नाथ लहरी--क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भंगी बस्ती में यह क्वार्टर्स मेहतरों को किन-किन शर्तों पर दिये जायेंगे और क्या वे उन शर्तों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिन शर्तों के आधार पर ये क्वार्टर्स मेहतरों को दिये जायेंगे अभी तय नहीं हुई हैं। क्वार्टर्स के निर्माण हो जाने के बाद ये शर्तें बोर्ड द्वारा निश्चित की जावेंगी।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ८३ में जो उत्तर दिया गया है कि नगरपालिका ने २० क्वार्टर पर ३६,५८० रुपये में टेन्डर स्वीकार किया था, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा २२ क्वार्टर पर, यानी २ अधिक क्वार्टर पर ८१,५०० में टेन्डर स्वीकार किये गये हैं, इसका मतलब यह है कि केवल २ क्वार्टर पर ४५,००० रुपया अधिक व्यय किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जो दोबारा अनुमान तैयार किया गया है उसमें शौचालय, नालियां और बिजली वगैरह सब की और पानी लेने की व्यवस्था का, सब का प्रबन्ध था और पहले जो नगरपालिका ने बनाया था उसमें ऐसा नहीं था।

आजमगढ़ जिले के पंचायत इंस्पेक्टर तथा पंचायत मंत्री

*८५--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने पंचायत इंस्पेक्टर तथा पंचायत मन्त्री हैं तथा उनमें से कितने पंचायत मन्त्री ऐसे हैं जिनका घर उनके कार्यक्षेत्र के समीप है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आजमगढ़ जिले में कुल १७ पंचायत इंस्पेक्टर और ३६१ पंचायत मन्त्री हैं जिनमें ५२ पंचायत मन्त्री ही केवल ऐसे हैं जिनका घर उनके कार्यक्षेत्र के ५ मील के अन्तर्गत है। पंचायत इंस्पेक्टरों में कोई भी कार्यक्षेत्र के समीप नहीं रहते हैं।

*८६-८७--श्री झारखंडे राय--[सोलह वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ९-१० से स्थानान्तरित किये गये।]

*८८--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--[स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में सड़कों की निर्माण योजना

*८९--श्री सजीवन लाल--क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज में कितनी पक्की सड़कें बनेंगी, उनमें कितनी धनराशि व्यय होगी और उनकी लम्बाई कितनी होगी ?

श्री गिरधारी लाल--यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५७ पर)

उन्नाव जिले में ग्राम समाज मकदूमपुर की भूमि वृक्षारोपण के लिए लेना

*९०--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में १९५१ से जुलाई, १९५७ तक किन-किन ग्राम सभाओं की भूमि वन विभाग ने अपने अधिकार में ले ली है और उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री सैयदअली जहीर--वन विभाग ने ग्राम मकदूमपुर, परगना अजगैन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव की ग्राम समाज से ६० एकड़ भूमि ली है। इस भूमि में वृक्षारोपण किया गया है।

नोट--तारांकित प्रश्न ८४ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

टेहरी गढ़वाल जिले में नवीन सड़कों के निर्माण की जानकारी

*९१—श्री सूरतचन्द रमोला—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में धरासू-डुन्डा मोटर मार्ग कब तक खुल जायेगा ?

श्री गिरधारी लाल—इस मार्ग के आगामी अप्रैल के अन्त तक खुल जाने की आशा की जाती है ।

*९२—श्री सूरतचन्द रमोला—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत जिला टेहरी-गढ़वाल में नौगढ़ व कालसी रोड पर काम कब तक शुरू किया जावेगा ?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में काम शुरू किया जायेगा ।

वन विभाग द्वारा जिला टेहरी गढ़वाल में सड़क व टेलीफोन का काम

*९३—श्री सूरतचन्द रमोला—सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या जिला टेहरी-गढ़वाल में जो वन विभाग द्वारा ४० मील लम्बी सड़क व टेलीफोन लगाये जाने थे उसके सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री सैयद अली जही—दोनों कामों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि (१९६०-६१) के अन्त तक पूरा करने का विचार है । सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा टेलीफोन के खम्भे लग गये हैं । मार्च ३१, १९५८ तक ७१ मील तक टेलीफोन का तार खिंच जायेगा तथा ३ मील लम्बी सड़क भी तैयार हो जायगी ।

*९४—श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)—[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९५—श्री शिववचन राव—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

अल्मोड़ा से पीपार तक सड़क के निर्माण की योजना

*९६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा-लमगड़ा-मोरौली रोड को बनाने का सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस पर कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क के ८ मील अल्मोड़ा से पीपार तक के निर्माण पर विचार किया जा रहा है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्य शुरू किया जायेगा ।

हरदोई जिला बोर्ड के कर्मचारियों को ५ रुपया मंहगाई भत्ता न मिलने की शिकायत

*९७—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई बोर्ड के ९५ रुपये मासिक से कम पाने वाले कर्मचारियों की ५ रुपया मंहगाई वृद्धि अभी तक क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड, हरदोई के ९५ रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ५ रुपये की मंहगाई वृद्धि माह अगस्त, १९५७ से दे दी गई है

*९८—श्री मोतीलाल अवस्थी—यह वृद्धि किस मास से लागू करने का विचार है ?।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगरपालिका की गन्दगी के संबंध में शिकायत

*९९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वाराणसी नगर-पालिका में गन्दगी के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास दिसम्बर, सन् १९५७ में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ५ रुपया महंगाई भत्ता देने की सिफारिश

*१००—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की, जिनकी तनख्वाह ९५ रुपये से कम है, ५ रुपया मासिक की वेतन वृद्धि करने के सम्बन्ध में सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में पंचायत क्लर्कों से इन्सपेक्टर

*१०१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् १९५५ जून से दिसम्बर, १९५७ तक कितने पंचायत क्लर्क इन्सपेक्टर बने ? उनमें क्रमशः परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कितने थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इटावा जिले में जून, सन् १९५५ से दिसम्बर, १९५७ तक तीन पंचायत क्लर्क इंस्पेक्टर बने। उनमें से परिगणित या पिछड़ी जातियों का एक भी नहीं था।

इटावा जिले में साफ्ट तथा हार्ड कोक के लाइसेन्सदार

*१०२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कोयला (साफ्ट तथा हार्ड कोक) के कितने लाइसेंसदार हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—७।

*१०३-१०४—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[बारहवें सोमवार में प्रश्न संख्या ९२-९३ से स्थानान्तरित किये गये।]

गोंडा-लखनऊ सड़क पर टेढ़ी नदी के टूटे पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण

*१०५—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में टेढ़ी नदी पर गोंडा-लखनऊ सड़क पर कोई पुल पी० डब्ल्यू० डी० ने सन् १९४९ में लकड़ी का बनाया था ? यदि हां, तो कितने रुपये में बना था ?

श्री गिरधारी लाल—१९४२-४३ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक लकड़ी का पुल १२,०३१ रुपये की लागत पर बनाया गया था। १९४९ में कोई पुल नहीं बनाया गया।

*१०६—श्री बलदेव सिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त पुल बनने के तीन वर्ष के अन्दर टूट गया ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

श्री गिरधारी लाल—अगस्त, सन् १९५५ के पहले सप्ताह में काफी वर्षा तथा बाढ़ के तेज बहाव के कारण कुछ लट्ठों के धंस जाने से पुल टूट गया था।

*१०७--श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपरोक्त नदी पर पुनः पुल बन रहा है ? यदि हां, तो उसमें कितने धन के व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--इस पुल की अनुमानित लागत ४.३२ लाख रुपये है ।

*१०८--कुंवर श्रीपाल सिंह--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०९--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

आलमबाग को लखनऊ क्षेत्र में सम्मिलित करने की जानकारी

*११०--श्री मदन पांडेय--क्या आलमबाग क्षेत्र को लखनऊ शहर में सम्मिलित करने का निश्चय सरकार द्वारा लगभग इस वर्ष के पहले किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त निश्चय कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं ।

*१११-११२-श्री केशभान राय--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी जिले में एरछ घाटपर यातायात की व्यवस्था के लिए अनुदान

*११३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने एरछ घाट (झांसी) पर यातायात की समुचित व्यवस्था करने के लिये सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ में कोई रकम स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी हां ?

द्वितीय भाग--५०,००० रुपये तथा ७५,००० रुपये ।

*११४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि उक्त घाट पर समुचित व्यवस्था के लिये झांसी जिला बोर्ड एक प्रस्ताव द्वारा उक्त घाट को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निश्चय कर चुका है ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी हां । द्वितीय, भाग, २३ जुलाई, १९५५ को ।

कुमायूं क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन

*११५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं क्षेत्र के पी० डब्ल्यू० डी० के विभिन्न सब-डिवीजनों में वर्क चार्ज के काम करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग क्या-क्या वेतन अथवा मजदूरी दी जाती है ?

श्री गिरधारी लाल--इस क्षेत्र में काम करने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३५८ पर)

*११६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० वर्कचार्ज स्टाफ की हालत की जांच करने हेतु नियुक्त सरकारी विभागीय समिति की कौन-कौन सी सिफारिशों को उसने मान लिया है ?

श्री गिरधारी लाल--वर्क चार्ज स्थापना से संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनर्संगठन समिति की समस्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

*११७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार वर्क चार्ज स्टाफ के उन कर्मचारियों को, जिन्हें विभाग में काम करते ३ वर्ष या ३ वर्ष से अधिक समय हो चुका है, स्थायी करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां, केवल उन कर्मचारियों को जो कि रखरखाव (maintenance) के लिये नियुक्त किये गये हैं।

*११८--श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जिले में सहसवान-गुन्नौर सड़क पर महावा नदी के पुल की आवश्यकता

*११९--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में सहसवान-गुन्नौर सड़क पर नदी महावा का पुल इस वर्ष में बनवाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग, जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

*१२०-१२१--श्री टीकाराम--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले की प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटी

*१२२--श्री टीकाराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज की क्या संख्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--३० जून, १९५७ को बदायूं जिले में प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या १०६१ थी।

बदायूं जिले में बवराला-दातागंज रेलवे लाइन की आवश्यकता

*१२३--श्री उल्फतसिंह--क्या सरकार जिला बदायूं में पंचवर्षीय योजना में बवराला से दातागंज तक रेलवे लाइन खोलने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करेगी ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

खीरी जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थान

*१२४--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, ऐसे कुछ स्थान रिक्त हैं। इन सब स्थानों के लिये तीन बार चुनाव कराया गया फिर भी ये स्थान रिक्त रहे। अब इनकी पूर्ति के लिये नियमानुसार मनोनयन की कार्यवाही की जा रही है।

*१२५--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६--श्री मदनगोपाल वैद्य--[नवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १३२ से स्थानान्तरित किया गया।]

*१२७--श्री दीनदयालु शास्त्री--[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

परिगणित वर्ग के लोगों को नौकरी देने के लिए जिला बोर्डों को आदेश

*१२८—श्री छेदी लाल (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कोई ऐसी सूचना भेजी थी कि हर जिले में परिगणित जाति वालों को उनकी आबादी के हिसाब से नौकरियों में स्थान दिये जावें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*१२९-१३०—श्री सुखराम दास—[१ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में सीमेंट का वितरण

*१३१—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक कितनी-कितनी बोरियां सीमेंट प्रत्येक माह में जनता को देने के निमित्त दिया गया ?

श्री सैयद अलीजहीर—इसकी सूची मेज पर रक्खी है।

[देखिये नत्थी 'छ' (तालिका १) आगे पृष्ठ ३५९ पर]

*१३२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मई, १९५७ से जुलाई, १९५७ तक जिले की प्रत्येक तहसील में सीमेंट की कितनी दरख्वास्तें पड़ीं उनमें से कितनी दरख्वास्तों पर सीमेंट दिया गया और कितनी दरख्वास्तें प्रत्येक तहसील में १-९-५७ को विचाराधीन (पेंडिंग) थीं ?

श्री सैयद अलीजहीर—इसकी सूची भी मेज पर रक्खी है।

[देखिये नत्थी 'ज' (तालिका २) आगे पृष्ठ ३६० पर]

आगरे में एक सड़क बनवाने के संबंध में श्री अभयमल जैन का आवेदन-पत्र

*१३३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास मंत्री, बाजार कमेटी राजा मन्डी, आगरा का कोई आवेदन-पत्र किसी सड़क के बारे में अगस्त, १९५७ में आया है ? वह क्या है ? सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, आवेदन-पत्र में श्री अभयमल जैन, मंत्री, बाजार कमेटी, राजा मंडी, आगरा, ने गड़हिया कबीरखां सड़क को आगे बढ़ाकर नये राजा मंडी स्टेशन की चहारदीवारी तक पक्का बनाने की मांग की थी जिससे कि राजा मंडी, गोकुलपुरा, बल्काबस्ती इत्यादि के निवासियों को स्टेशन पहुंचने की सुगमता हो। उसे प्रशासक नगरपालिका, आगरा के पास विचारार्थ भेज दिया गया था।

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़-ग्रस्त सड़कों एवं भवनों की मरम्मत के लिए सहायता

*१३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त आजमगढ़ जिला बोर्ड की सड़कों एवं भवनों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितना धन दिया गया था तथा उसका उपयोग किन-किन तहसीलों में कितना-कितना किन-किन स्थानों में कामों में किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१९५६ की बाढ़ तथा वर्षा से क्षति-ग्रस्त जिला बोर्ड, आजमगढ़ की सड़कों, भवनों तथा अन्य अचल सम्पत्ति की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में उक्त बोर्ड को ५१,४०० रुपये का सहायक अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस अनुदान के उपयोग के लिये जिला बोर्ड द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

फैजाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों के मालिक

*१३५—**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हंसवर (टान्डा) में सस्ते गल्ले की दूकान सहकारी संघ या हंसवर के किसी नागरिक को न देकर दूर के आदमी को क्यों दी गयी ?

श्री सैयद अलीजहीर—हंसवर (टांडा) के सहकारी संघ अथवा किसी नागरिक ने सस्ते गल्ले की दूकान के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। अतः दूकान को शीघ्रातिशीघ्र खोलने के लिये निकटवर्ती ग्राम बहाउद्दीनपुर के एक निवासी के एकमात्र प्रार्थना-पत्र पर दूकान दे दी गयी।

*१३६—**श्री देवीप्रसाद मिश्र**—फैजाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकान पाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे किन राजनैतिक संस्थाओं के सदस्य हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—फैजाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दूकान पाने वाले व्यक्तियों के नाम की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है। दूकान देते समय प्रार्थी की राजनैतिक संस्था के विषय में कोई पूछताछ नहीं की जाती है। इसलिये इस विषय में सरकार सूचना देने में असमर्थ है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३६१-३६२ पर)

हरदोई जिलान्तर्गत स्थानीय निकायों से आय

*१३७—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के अन्तर्गत नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, की १९५५-५६ की सालाना आमदनी पृथक्-पृथक् कितनी थी ? नोटीफाइड एरिया सांडी, जिला हरदोई किस श्रेणी का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना संलग्न नक्शे में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

फर्रुखाबाद-कायमगंज कम्पिल सड़क के पुनर्निर्माण का अनुमानित व्यय

*१३८—**श्री सुल्तानआलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में जिला फर्रुखाबाद की फर्रुखाबाद—कायमगंज—कम्पिल रोड के कितने भाग का पुनर्निर्माण होगा ? क्या इस सड़क को पेन्ट (Paint) किया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

*१३९—**श्री सुल्तानआलम खां**—इस सड़क पर उक्त वित्तीय वर्ष में कितना खर्च होगा ?

श्री गिरधारी लाल—उक्त वित्तीय वर्ष में आधुनीकरण पर दो लाख रुपये का व्यय अनुमानित किया जाता है और लगभग ७५,००० रुपया कंकड़ से मरम्मत करने अथवा पुनर्निर्माण पर व्यय होगा।

खीरी जिले में सीमेंट का वितरण

*१४०—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में फी महीने कितनी सीमेंट जाती है और कितनी जनता को मिलती है कितनी सरकारी कार्यों में खर्च होती हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—१९५७ का औसत १८५ टन प्रति मास है । इसमें से ११७ टन प्रतिमास जनता को निजी कार्यों (civil purposes) के लिये तथा ६८ टन प्रतिमास जनता को विकास कार्यों के लिये दिया गया। सरकारी विभाग अपना कोटा जिले के कोटे के अतिरिक्त प्राप्त करते हैं।

*१४१—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में फी माह जो सीमेंट कंट्रोल के द्वारा वितरित होती है, उसमें क्या खर्च होता है ?

श्री सैयद अलीजहीर—सीमेंट के वितरण के लिये अलग कर्मचारी नियुक्त नहीं है । इसलिये इसके वितरण पर कितना खर्च होता है इसका सही हिसाब बताना संभव नहीं है।

बस्ती जिले में बनने वाली सड़कों का क्रम

*१४२—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में सड़कें उसी क्रम से बन रही हैं जिसमें वे जिला प्लानिंग कमेटी की १९५५ की बैठक में बनने के लिये स्वीकृत हुई थीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—सरकार ने निश्चय किया है कि पहले ऐसी सड़कें ली जायें जो दो प्रांतीय मार्गों को जोड़ती हैं।

आजमगढ़ जिले में बनने वाली सड़कें

*१४३—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर उत्तर से एक नयी सड़क निकाल कर मऊ—बलिया सड़क में मिलायी जा रही है ?

*१४४—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पहले से एक सड़क मिशन अस्पताल से सिधारी होकर मऊ से बलिया जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

बदायूं—ककरा सड़क की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*१४५—श्री मुबारकअली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बदायूं से ककरा जाने वाली सड़क को, जिस पर गहरे गार पड़ गये हैं और जिनसे मोटर लारियों के उलटने का खतरा है, ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बदायूं से ककरा जाने वाली सड़क, जिसकी मिट्टी बरसात से कहीं-कहीं कट गयी है, जिला बोर्ड बदायूं की है और बोर्ड को उसे ठीक कराने के लिये कहा जा रहा है।

*१४६—श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)—[बारहवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १५८ से स्थानान्तरित किया गया।]

सहारनपुर जिले में स्थानीय निकायों के अध्यापकों को ५ रुपया महंगाई भत्ता न मिलना

*१४७—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि सहारनपुर जिले की म्युनिसिपल बोर्डों तथा जिला बोर्डों के नौकरों को जिनका वेतन १०० रुपये से कम है, सरकार द्वारा बढ़ाये ५ रुपया प्रति मास अब तक नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सहारनपुर जिले के जिला बोर्ड अध्यापकों को छोड़कर नगरपालिका तथा जिला बोर्ड के अन्य पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जिनकी कुल मासिक उपलब्धियां (emoluments) ९५ रुपये मासिक से अधिक नहीं है, उस महंगाई भत्ते के अतिरिक्त, जो वे पहले से पा रहे हैं, ५ रुपये मासिक दे दिया गया है। जहां कुल उपलब्धियां ९५ रुपये मासिक से अधिक है किन्तु १०० रुपये से कम है वहां कुल उपलब्धियों के १०० रुपये मासिक होने में जितनी धनराशि कम पड़ती है उतनी सीमान्त समायोजन के रूप में दे दी गयी है।

*१४८—श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या स्वशासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कब तक उपर्युक्त नौकरों का वेतन देने का इरादा संबंधित बोर्ड रखते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड, सहारनपुर के अध्यापकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता ३१, मार्च १९५८ तक दे दिया जायगा, ऐसी आशा है।

मुरादाबाद जिले में गजरौला थाना गजरौला बस्ती सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने की प्रार्थना

*१४९—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद, तहसील हसनपुर में बछराऊं की हाफिज रोड और थाना गजरौला से गजरौला बस्ती जाने वाली रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग में ले ली गयी है ?

श्री गिरधारी लाल—जिला मुरादाबाद, तहसील बछराऊ की हाफिज रोड तो पहले से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है परन्तु थाना गजरौला से गजरौला बस्ती जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।

आजमगढ़ जिले की खाद्य स्थिति सुधारने की योजना

*१५०—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार आजमगढ़ की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये कोई योजना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अलीजहीर—आजमगढ़ जिले की खाद्य स्थिति सुधारने के लिये लगभग डेढ़ लाख एकड़ को सींचने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू है।

पूर्वी जिलों में जिनमें आजमगढ़ जिला भी सम्मिलित है पैदावार को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित विशेष योजनायें बनायी गयी हैं—

(१) हड्डी का चूर्ण बनाने (बोन डाइजेस्टर) के केंद्रों की स्थापना के लिये योजना।

(२) सेवार से मिलवा खाद (वाटर हाइसिन्थ कम्पोस्ट) के उत्पादन की योजना।

(३) तालाबों को गहरा करने और खेतों में उनकी मिट्टी को काम में लाने की योजना।

(४) राज-सहायता के आधार पर फास्फेटिक फर्टिलाइजरों के वितरण की योजना।

(५) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में फसल उत्पादन विधि प्रारम्भ करने की योजना।

(६) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फसलों की हानि कूतने की योजना।

(७) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पौधा संरक्षण केंद्रों के प्रारम्भ किये जाने की योजना।

इन योजनाओं का विस्तृत विवरण सन् १९५८-५९ के बजट में सम्मिलित की गयी नयी मदों की सूची के पृष्ठ १२-१४ पर दिया हुआ है। इन योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि के शेष तीन वर्षों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

सहारनपुर जिले में शाकुम्बर देवी के मेले के मार्ग में कथित पुल की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*१५१—**श्रीमती शकुन्तला देवी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में जो शाकुम्बर देवी का मेला प्रतिवर्ष लगता है वहां के पुल को ठीक कराने का क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शाकुम्बर देवी के मेले में जाने के लिए तीन मार्ग हैं। एक मोहेंन्द्र होकर, दूसरा बादशाही बाग होकर तथा तीसरा बेहट होकर। इनमें से प्रथम दो मार्ग वन विभाग के अधिकार में हैं, जिनमें मोहेंद्र होकर जाने वाली सड़क केवल वनवासियों के द्वारा छोड़कर सामान्यतः प्रयोग में नहीं आती तथा बादशाही बाग होकर जाने वाली सड़क पर कोई पुल नहीं है। तीसरा मार्ग जिला बोर्ड का है, इस पर छोटी-छोटी पुलियों को छोड़कर जो अच्छी हालत में हैं, कोई पुल नहीं है जिसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता हो।

बदायूं जिले में घाटे पर चलने वाले सहकारी भट्ठे

*१५२—**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बदायूं जिले में कितने सहकारी भट्ठे लाभ में चल रहे हैं और कितने घाटे में?

श्री मोहनलाल गौतम—बदायूं जिले में ६ सहकारी भट्ठे लाभ पर और ८ सहकारी भट्ठे घाटे में चल रहे हैं।

*१५३—**श्री श्रीकृष्ण गोयल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भट्ठों के घाटे में चलने का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला नियोजन समिति द्वारा नियुक्त एक उपसमिति उक्त भट्ठों के घाटे पर चलने के कारणों की जांच कर रही है और आशा की जाती है यह जांच ३१ मार्च, १९५८ तक समाप्त हो जायगी।

बाराबंकी जिले में परगनाधीशों के विचाराधीन चुनाव याचिकायें

*१५४—**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी के परगनाधीशों के न्यायालयों में कितने प्रधानों के पेटीशन संबंधी मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जिन्हें दायर हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी १३ चुनाव याचिकायें बाराबंकी के परगनाधीशों के न्यायालयों में अब भी विचाराधीन हैं।

बुलन्दशहर जिले की दीवानी अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*१५५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की दीवानी अदालतों में कितने-कितने मुकदमे ३ वर्ष से अधिक के, २ वर्ष से अधिक के और १ वर्ष से अधिक के हैं ?

श्री सैयद अली मेहदी—बुलन्दशहर जिले की दीवानी अदालतों में तीन वर्ष से अधिक के ४४१, दो वर्ष से अधिक के ५०२, और एक वर्ष से अधिक के ९९४ मुकद्दमे विचाराधीन हैं।

लखनऊ में निष्क्रान्त सम्पत्ति संबंधी गृह तथा जल कर का बकाया

*१५६—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ नगरपालिका के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पत्ति पर १-४-५२ से ३०-९-५४ तक का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का कितना रुपया अभी तक कस्टोडियन, लखनऊ से प्राप्त नहीं हुआ है और उसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१-४-५२ से ३०-९-५४ तक की निष्क्रांत सम्पतियों पर गृह तथा जल-कर के निमित्त अभी ११,०५३ रुपये ७० नये पैसे बाकी हैं। प्रत्येक वर्ष नगरपालिका, लखनऊ द्वारा कस्टोडियन, लखनऊ को मांग-पत्र भेजे गये हैं किन्तु कुछ वैधिक कठिनाइयों के कारण उनका भुगतान अभी नहीं हो सका है।

*१५७—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या लखनऊ नगरपालिका को यह सूचना प्राप्त हुई है कि जिन निष्क्रांत सम्पत्तियों के संबंध में उक्त बकाया है वे ३०-९-५४ के बाद बेची जा चुकी हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—निष्क्रांत सम्पत्तियों के विक्रय के बारे में समय-समय पर नगरपालिका को सहायक कस्टोडियन से सूचनायें मिलती रही हैं किन्तु सम्पूर्ण ब्योरे अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं, अतएव न तो नगरपालिका और न शासन के लिये ही इस समय यह बताना संभव है कि ३०-९-५४ के पश्चात् ऐसी समस्त निष्क्रांत सम्पतियां बेची जा चुकी हैं।

*१५८—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या उक्त बकाया उक्त सम्पत्तियों के नये मालिकों से वसूल किया जा रहा है और वसूल न होने पर उनका वाटर कनेक्शन काट दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विक्रय की शर्तों के अनुसार ग्राहकों को क्रय करने की तिथि से कर देना पड़ता है और भुगतान न करने पर उनका जल संबंध (वाटर कनेक्शन) काट दिया जाता है। अभी नगरपालिका लखनऊ इन ग्राहकों से कस्टोडियन द्वारा निस्तारण की तिथि से ली गयी सम्पत्ति के प्रति बकाया कर प्राप्त नहीं कर रही है और उनका जल संबंध अभी नहीं काटा है।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में खारी कुओं का जल मीठा करने की प्रार्थना

१—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला मथुरा में जहां पर खारा पानी है वहां पर कोई पीने के पानी की व्यवस्था करने की कृपा करेगी। यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मथुरा जिले में कुओं से अधिकतर खारा पानी निकलता है जिसको मीठा करने को व्यक्तिगत कुओं में बोरिंग करने की सुविधायें नियमानुसार दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त और कोई योजना जिसके अन्तर्गत जहां पर खारा पानी है वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो सके, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बदायूं-फर्रुखाबाद-खाम सड़क की मरम्मत

२—श्री मुबारक अली खां—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बदायूं ने बदायूं-फर्रुखाबाद-खाम सड़क पर पिछले पांच साल से मरम्मत करायी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किसी विभाग के मंत्री की अनुपस्थिति में उसी विभाग के उपमंत्री अथवा सभासचिव द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के २७ नियम के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि संबंधित मन्त्री अगर उपस्थित न हों तो वह प्रश्नों को टालने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करें। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि आज ४ मन्त्रियों के सवाल रहे हैं, जिनमें से दो मन्त्री माननीय निर्माण मन्त्री और रसद मन्त्री, दोनों गायब हैं सदन से और साथ ही माननीय निर्माण मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और रसद मन्त्री के डिप्टी मिनिस्टर हैं, लेकिन वे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, भी नहीं हैं। साथ ही साथ, श्रीमन्, दिनों का मन्त्रियों के लिये बटवारा है। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि जब समय का बटवारा है और मन्त्री मौजूद नहीं हैं, दूसरे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं हैं। उन के लिये समय पहले से निर्धारित था तो उनको चाहिये था कि आप से निवेदन करते और प्रश्न स्थगित कर दिये जाते, लेकिन इस तरह से अनुपस्थित होकर आप से गैर-हाजिरी के लिये प्रार्थना न करके सदन के समय का अपव्यय किया गया है और आपने देखा है कि किस तरह से दो दिनों से सप्लीमेंटरीज़ का जवाब दिया गया है। इसलिये आप इसकी व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष—नियम २७ में इतना है कि अगर मन्त्री मौजूद न हों और उनको बाहर जाना हो तो वह स्पीकर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे प्रश्न मुल्तवी कर दिये जायं, लेकिन वह प्रार्थना करेंगे तभी मैं मुल्तवी कर सकता हूं। अगर प्रार्थना न करें तो मैं मुल्तवी न करूंगा और प्रार्थना करने पर भी यह हो सकता है कि मैं कह दूं कि नहीं, प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती, अगर नहीं जवाब दे सकते हैं तो कोई दूसरा दिन उत्तरों के लिये रखा जायगा। क्योंकि 'मन्त्री' की नियमावली में जो व्याख्या दी गयी है वह तो यह है कि—

"Minister means a member of the Council of Ministers and includes any member of the Assembly to whom such Minister may delegate any function assigned to him uuder these rules."

इस व्याख्या के अनुसार यह हो सकता है कि माननीय मन्त्री किसी रोज माननीय रामसुन्दर जी को सवालों के उत्तर देने का काम सुपुर्द कर दें तो हम उनको उस रोज के लिये इस कार्य के लिये मन्त्री मान लेंगे। तो कोई वैधानिक आपत्ति उठती नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—लोक सभा में ऐसी व्यवस्था है कि.....

श्री अध्यक्ष--आप इस प्रकार बहस नहीं कर सकते । उन्होंने नियम २७ के सम्बन्ध में सवाल उठाया, उसका मैंने जवाब दे दिया । आप कोई सवाल उठाना चाहें तो स्वतंत्र रीति से उठा सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरे सवाल के रूप में नहीं लेकिन प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार लोक सभा में नियम ऐसे ही हैं, मगर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था की है, रूलिंग के द्वारा या अंडरस्टैंडिंग कह लीजिये वहां यह प्रैक्टिस है कि जिस विभाग से संबंधित विषय या प्रश्न होंगे उसके मन्त्री या उपमन्त्री या सभा-सचिव अवश्य रहेंगे । हाल ही में उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी है । मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि ऐसी व्यवस्था यहां कर दी जाय तो ऐसी पार्लियामेंटरी पद्धति सदन की परम्पराओं के अनकूल होगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं इतना तो कहूंगा कि हार्ड एण्ड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि जिस विभाग के मन्त्री यहां मौजूद न हों, यदि उस विभाग के मन्त्री के साथ कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर हों तो उनको प्रश्नों का उत्तर देने के लिये साधारण रूप से नियुक्त करना चाहिये । क्योंकि यह बात देखी जाती है, कई दफा मैंने भी देखा है कि माननीय उपमन्त्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जो दूसरे विभागों से संबंध रखते हैं वह जब जवाब देने लगते हैं तो बहुत सी चीजें उन्हें मालूम नहीं रहतीं । तारांकित प्रश्नों के पूछने का सिद्धान्त यह है कि यदि कोई बात और पूंछी जायगी पूरक प्रश्नों में तो उत्तर मन्त्री जी दे सकें । पूरक प्रश्नों के उत्तर में यदि बार-बार यह कहा जाता है कि "मुझे मालूम नहीं है, मन्त्री जी को मालूम होगा", तो उत्तर अजीब से हो जाते हैं । मैं समझता हूं कि इस बात पर आगे विशेष ध्यान मन्त्रियों द्वारा दिया जायगा । लेकिन 'हार्ड एण्ड फास्ट रूल' इस विषय में, मैं समझता हूं, बनाना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति भी किसी वक्त ऐसी हो सकती है जब कि कोई सम्बन्धित उपमन्त्री या सभा सचिव भी मौजूद न हों और उत्तर देना जरूरी हो ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इस केस में क्या पोजीशन है ? क्या तत्संबंधित मन्त्री ने कहा था कि शान्तिप्रपन्न जी को हम अधिकार देते हैं, या उन्होंने खुद यह अधिकार ले लिया ?

श्री अध्यक्ष--अधिकार दिये बगैर कोई लेता नहीं ।

श्री राजनारायण--उनके उत्तर से ऐसा लगा कि ले लिया ।

श्री अध्यक्ष--जैसे सदन में आप बोलने का स्वयं ही ले लेते हैं ।

मौदहा में होने वाले उपनिर्वाचन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब कामरोको प्रस्ताव जो मेरे सामने आये हैं उनमें एक तो पद्माकरलाल जी का है, वह चुनाव के सम्बन्ध में है, तो सामान्य प्रशासन के वाद-विवाद में कोई उसका जिक्र आ जाय तो ठीक है, लेकिन कामरोको प्रस्ताव द्वारा कोई बहस होना चुनावों के ऊपर जबकि चुनाव के बाद एलेक्शन पेटीशन भी हो सकता है, और भी बातें हो सकती हैं तो यह तरीका विवाद उपस्थित करने का उचित नहीं हो सकता । चुनाव में कोई भी दल लीगेलिटी या इल्लीगेलिटी करता है, उस पर रोज बहस शुरू हो जाय तो फिर चुनाव के बाद जो एलेक्शन पेटीशन होगा उसके ऊपर उसका परिणाम हो सकता है । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

वाराणसी जिले के भदोही क्षेत्र में गलीचे का काम करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव है श्री राजनारायण का कि "वाराणसी जिले के भदोही क्षेत्र में गलीचे का काम करने वाले मजदूर गत ७ मार्च, सन्.१९५८ से हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने उनकी मांगों के प्रति अब तक उपेक्षापूर्ण नीति बरती है, फलस्वरूप कल से तमाम भदोही क्षेत्र के करीब ६० हजार बुनकरों ने हड़ताल कर दी है जिससे एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः उक्त विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये ६० हजार बुनकर सरकारी कारखानों में काम करते हैं ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जो बुनकर वहां हैं वे सारी भदोही तहसील में गलीचे बुनने के लिये छिटके हुए हैं, । कहीं १०, कहीं ४०, कहीं ५० और उनका सम्बन्ध जो गलीचे बुनवाने वाले मालिक हैं, जिनके फारेन कंट्रेक्ट्स होते हैं, उनसे है। सन् ५३ से बराबर वे सरकार के पास प्रार्थना-पत्र देते रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एवार्ड हुआ है वह उन पर लागू किया जाय, लेकिन सरकार की तरफ से उपेक्षा बरती गयी है।

श्री अध्यक्ष---७ मार्च से वे हड़ताल कर रहे हैं और आज है १८ मार्च। इस बीच में श्रम विभाग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मदों पर इस सदन में बहस हो चुकी है। तो यह विषय अर्जेन्सी का नहीं लगता है क्योंकि माननीय सदस्य ने इस विषय को तब नहीं उठाया। मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

एक टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---तीसरा है श्री रामसुन्दर पांडेय का। यह आजमगढ़ जिले के एक टाउन एरिया के सफाई के कर्मचारियों के विषय में है। मैं समझता हूं यह भी बिलकुल अनिश्चित और अनावश्यक-सा है क्योंकि कई मास का वेतन न पाने के कारण उन्होंने हड़ताल कर दी है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---इसके बाद माननीय बंशीधर शुक्ल का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से राजबन्दियों की पेन्शनों की दरखास्तें देने वाले भूख प्यास की बीमारी से तड़प-तड़प कर मर गये। तो पेन्शन के बारे में उनकी यह शिकायत है और पेन्शन के बारे में आज अनुदान भी सामने मौजूद है। उसमें वह बहस कर सकते हैं। इसलिये इसकी भी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

अब सभापति, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी की प्रार्थना

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आप की आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन जो मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था वह कल की बहस के सिलसिले में नहीं दिया था.....

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में आप कोई जिक्र न करें । आप कृपा करके बैठें ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---इसमें प्रकाश डालने की आवश्यकता है क्योंकि हरगोविन्द सिंह.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें नहीं तो मुझे सदन छोड़ने के लिये आपसे कहना पड़ेगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---आपके द्वारा मैं कहूंगा कि मन्त्री महोदय से बयान दिला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---यही मालूम हो जाय कि राजबन्दियों की कितनी दरखवास्तें कैन्सिल करवा दी गयीं ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें ।

१९५३-५४ के विनियोग लेखे और १९५५ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति के प्रथम तथा द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष---अब सभापति, लोक लेखा समिति १९५३-५४ के विनियोग लेखे और १९५५ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) की प्रथम तथा द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

लोक लेखा समिति के सभापति (श्री झारखंडे राय)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५३-५४ के विनियोग लेखे और १९५५ ई० की लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) की प्रथम तथा द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस पर बहस के लिये कई बार कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर बहस नहीं होगी । मैं बताना चाहता हूं कि यह सदन की समिति की रिपोर्ट है । इससे जो लाभ आप उठाना चाहें उठा लीजिये ।

सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था न होने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काफी परेशानी है इधर लगातार जब से यह सदन चल रहा है । हमारी पार्टी के ६ सदस्य ऐसे हैं जो खानाबदोशों की तरह से रह रहे हैं । लगातार हाफिज जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा गया लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष---देखिये, यह सवाल आपने बीच में उठाया । चूंकि अब कार्यक्रम शुरू हो गया है इसलिये ऐसे सवाल अब नहीं उठाये जा सकते ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ, क्योंकि कल बैठक हुई थी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न पहले आप उठा लेते या कल आप उठायें या मुझसे मेरे दफ्तर में मिलकर पूछ लें ।

१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक: ५४–क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख—भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के ऊपर विवाद होगा ।

३६ वाला जो अनुदान है, उसके लिये कहा गया है कि इसके ऊपर बहस नहीं होगी, लेकिन यह अनुदान पेंशनों के सम्बन्ध में है । अभी एक कामरोको प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल जी का अस्वीकृत हुआ है । इसलिये अब इतना परिवर्तन करना पड़ेगा, वैसे तो इस अनुदान पर बहस नहीं होगी, लेकिन अगर शुक्ल जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं । उनके दल के नेता उन्हें रोक दें वह बात और है, लेकिन मेरी तरफ से उनको इजाजत रहेगी कि पेंशनों के सम्बन्ध में वह कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं । क्योंकि उनका कामरोको प्रस्ताव इसी अनुदान पर उन्हें कहने का मौका होगा इस आधार पर मैंने अस्वीकृत कर दिया था ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते—लेखा शीर्षक: ५४-क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख—भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १३,३५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है । यदि किसी माननीय सदस्य ने कुछ कहा तो आप से इजाजत लूंगा ५-७ मिनट जवाब देने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—माननीय बंशीधर शुक्ल (माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुये) ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते—लेखा शीर्षक: ५४–क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख—भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १३,३५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक: ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक: ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अन्तर्गत ९,३१,०२,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे ज्यादा इस मांग को पेश करते हुये इस समय निवेदन नहीं करना है। योजना, प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिस का सम्बन्ध शासन के प्रायः सभी विभागों से है और इससे भी बढ़कर जीवन के सभी पहलुओं से है और उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों नियोजन का काम बढ़ेगा त्यों-त्यों सदन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा और पड़ना चाहिये। इसका प्रभाव केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक क्षेत्र में भी पड़ना चाहिये। लोगों में आत्म-विश्वास की भावना, आत्म निर्भरता की भावना और आत्मसम्मान की भावना बढ़नी चाहिये, एक सोये हुये राष्ट्र के जागने पर जिस प्रकार की मनोवृत्ति उसके नागरिकों में होनी चाहिये उसी प्रकार की मनोवृत्ति का उदय होना चाहिये और नियोजन के फलस्वरूप हम ऐसी आशा करते हैं कि जो प्रयत्न इस दिशा में हो रहा है वही उस आशा का परिणाम होगा।

हमने पहली योजना बनायी जो लगभग १५० करोड़ की थी। दूसरी योजना हमारी २५० करोड़ की है जिसमें से इस साल करीब ४९ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन और हमारे बीच जो बातचीत हुई उसके फलस्वरूप खर्च होने की आशा है। इसके अलावा हम समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार की खुद की जो योजना है उसमें भी करीब-करीब ५ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में उसके मुताबिक खर्च होगा। इसके माने यह हैं कि ५४—५५ करोड़ रुपया इस साल के अन्दर खर्च होगा। यह तो हमारी योजनायें रहीं, लेकिन उसी प्रकार से प्रथम योजना की अपेक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना अधिक सोच विचार के बाद बनाई गई। प्रथम योजना के समय हमारे पास विचार करने का समय नहीं था। केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकारों में बातचीत हो गई और रुपया खर्च होने लगा। अब जब तीसरी योजना हमारी बनेगी तो उसमें और भी ज्यादा सोच विचार करने का मौका होगा। उस समय देखा जायगा कि अब तक की जो योजनायें रहीं उनसे क्या तरक्की देश में हुई और आगे किस चीज की जरूरत है। इन सब बातों पर विचार करके ही वह योजना बनेगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुये ही प्लानिंग के साथ-साथ ऐडवाइजर्स रखे जा रहे हैं। हम लोग जो काम रोज करते हैं चाहे वह मंत्री हों, या हमारे अफसर हों जो रोज के काम में लगे हुये हैं उनको दूसरा काम करने के लिये वक्त नहीं रहता है। वह दूसरी बातों को सोच नहीं सकते हैं और न उनको इतनी फुरसत ही है। इसलिये जरूरत है कि ऐसे कुछ लोगों को खासतौर पर जो रोज के शासन के काम के अलावा रहें, उनको रखें जो इस बात को सोचें कि भविष्य का हमारा ढांचा क्या हो इस पर विचार करें इसके लिये प्रबन्ध किया गया है।

जो काम हम करते हैं उस में कमी हो सकती है। किसी चीज में कमी रहती है तो उसको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह के ये काम हैं कि इनमें तरह-तरह की दिक्कतें सामने आती हैं जिनकी वजह से उनको बदलना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे सामने कोई मिसाल नहीं थी। दुनियां में प्लानिंग का काम केवल रूस में हुआ था और मानना चाहिये कि वहां पर बड़ी सफलता के साथ हुआ। लेकिन रूस की नकल तमाम देश नहीं कर सकते हैं। हम भी उनकी नकल नहीं कर सकते क्योंकि, हमारे यहां सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति उस तरह की नहीं है। एक मुल्क योजना का काम करे और वह भी जनतंत्र की सीमा के भीतर, यह बिलकुल एक नये तरीके का प्रयोग था जो कि दुनियां के किसी और देश में नहीं हुआ था। तो इस वजह से हमारे देश के सामने कोई आसान सवाल नहीं था। जो बिलकुल नई चीज हो और जो ऐसा काम हो जिसकी मिसाल कहीं पर न हो तो जाहिर है कि उस नये काम को करने में गलती हो सकती है। यदि हम उस पर आगे चलते हैं तो यह सम्भव हो सकता है कि उसमें सामने दिक्कत आये और इसके रास्ते को हम बदलें। लेकिन यह खुशी की बात है कि हम ऐसा रास्ता बना रहे हैं कि जिस रास्ते पर दुनिया के और देश अपने को आगे बढ़ाने की चेष्टा में हैं और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वे देश जो अभी हाल ही में स्वतंत्र हुये हैं वह भी हमारे यहां देखने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के लिये आ रहे हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वह भी अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कभी-कभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जो बात एक बार की गई उसको क्यों बदला गया ? जरूर बदला गया है? क्योंकि हमारे सामने कोई उस तरह की तस्वीर नहीं थी। किन्तु इतनी हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर उसका पता लगाकर अपनी शक्ति के अनुसार एक अच्छी तस्वीर अपने देश के सामने खड़ी कर सकेंगे।

हमने कई तरह के नये काम लिये जिन पर कुछ लोगों ने एतराज भी किया। मिसाल के लिये हमारे यहां टूरिस्ट पर ज्यादा खर्चा कहा गया है। हर राष्ट्र में जो आमदनी होती है उसमें कुछ इनविजिबिल इन्कम होती है। कुछ तो विजिबिल इन्कम होती है जैसे कि मालगुजारी वगैरह से होती है लेकिन इनविजिबिल इन्कम वह होती है जो टूरिस्ट वगैरा से होती है। हमारे यहां टूरिस्ट ३०, ५० हजार या लाख दो लाख जो आते है वह हमारे यहां से सामान खरीदते हैं, खाने-पीने पर खर्च करते हैं तो उससे प्रदेश को जो आमदनी होती है एक तरीके से उसको इकोनामी के हिसाब से इनविजिबिल इन्कम कहते हैं। हर स्टेट इस बात की कोशिश करता है कि वह अपनी इनविजिबिल इन्कम को बढ़ावे। हमने भी कोशिश की है और इस बात का प्रयत्न किया है कि अधिक से अधिक संख्या में विदेशी और देशी टूरिस्ट आयें और इसलिये हमारे जो दर्शनीय स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, पहाड़ों में जो अच्छी-अच्छी जगहें देखने की हैं और शहरों में जो प्राचीन और ऐतिहासिक चीजें देखने की हैं, उनकी तरफ हम टूरिस्ट्स को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन को सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में हमें सफलता भी मिली है।

स्पोर्टस् की तरफ हमने खासतौर से ध्यान दिया है। स्पोर्टस् में उत्तर प्रदेश का एक स्थान होना चाहिये और हमने इस बात की कोशिश की है कि हम उनमें एक जगह प्राप्त करें। इसके अलावा हमने एक नया प्रयोग भी किया। अभी तक स्पोर्ट्स के नाम पर केवल विदेशी स्पोर्टस् को ही प्रश्रय दिया जाता था, अब हमने नया प्रयोग यह किया कि अभी कुछ दिन हुए लखनऊ में सारे प्रदेशों का एक प्रदर्शन कराया जिसमें प्रदेश के हर हिस्से से हर किस्म के देशी खेल और कसरतें करने वाले आये थे और उन्होंने उसमें भाग लिया। जैसे बेट लिफ्टिंग देशी तरीके से भी होती है और विदेशी तरीके से भी, हमने दोनों का प्रदर्शन कराया और वह सफल हुआ। हम आशा करते हैं कि अगले साल इसमें और प्रगति होगी और हम कोशिश करेंगे कि कुछ देशी खेलों को हम इंटर-स्टेट ओलिम्पिक्स जो होते हैं उनमें इंटर करा सकें। श्री गणेश तो हमने कर ही दिया है, आशा है सफलता भी हमको मिलेगी।

इसके अतिरिक्त हमारी जो कुछ भी इकोनामी है, जो कुछ भी आर्थिक जीवन है उसका आधार कृषि है। चाहे हम कितने भी उद्योग-धंधे बढ़ा लें, लेकिन जब तक कृषि की उन्नति नहीं होती, हमारा काम नहीं चलता। इसके लिये करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पिछले दो सालों में एक और खास ध्यान दिया गया कि सघन प्रसार खंड जो हैं उनमें विशेष रूप से शक्ति केन्द्रीभूत की जाय और इसमें हमें सफलता हो रही है और आशा है कि हमें अपने इस काम में ज्यादा सफलता मिलेगी।

मैं इंडस्ट्री की बात ज्यादा नहीं कहता, लेकिन एक चीज कहूंगा। चाहे इंडस्ट्री के बजट में सवाल उठे अथवा यहां, लेकिन हमारे जीवन के लिये जहां बड़े उद्योग-धंधों की जरूरत है वहां ही छोटे उद्योग-धंधों की बहुत बड़ी जरूरत है जिनको हम स्माल स्केल काटेज इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि इस संबंध में जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल सकी है। अगर कोई इस बात की शिकायत करे तो मैं उसे मान लूंगा कि जितनी कोशिश हम कर सकते थे अपने साधनों के रहते हुए, हम उतनी नहीं कर सके। उसके रास्ते में कठिनाइयां हैं। केवल काटेज इंडस्ट्रीज का नाम लेने से ही काम नहीं चलता। पहले यह देखना होगा कि कौन ऐसे धंधे हैं कि जिनके माल की खपत हो सकती है। विदेशी माल और मिलों के उत्पादन के बावजूद कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो बाजार में चल सकती हैं, पहले यह देखने की जरूरत है और इसके अलावा और बातों को भी सोचने की जरूरत है, लेकिन उनको हम सोच नहीं सके। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक चीज मैं बतलाना

चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि इंडस्ट्रीज विभाग के दो टुकड़े कर दिये जायं। हेवी इंडस्ट्रीज को अलग करना चाहिये और छोटी इंडस्ट्रीज को अलग। उनकी देख-भाल अलग-अलग होनी चाहिये। हम इस बात को सोच रहे हैं और संभव है कि कुछ दिनों के बाद मैं ऐसा करूं ताकि जो लोग स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को देखते हैं उनको उसके लिये पूरा समय मिल सके और उसके विकास में वह अपनी पूरी शक्ति लगा सकें। यदि ऐसा हुआ तो मैं आशा करता हूं कि स्माल स्केल एन्ड काटेज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हम को ज्यादा सफलता हो सकेगी।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आलोचना तो होगी ही, लेकिन आशा है कि जैसा कट मोशन्स का आशय रहता है, सुझाव देना, हमको ऐसे सुझाव मिलेंगे कि जिनसे हमको इस प्रयोग में, जो हम कर रहे हैं सारे देश में और प्रदेश में, सफल बनाने में सहायता मिल सके। इन शब्दों के साथ इन अनुदानों को मैं सदन के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इनको स्वीकार करेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या ४३ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस कथन से पूर्णतया समहत हूं कि आज आयोजन का संबंध हमारे जीवन के हर क्षेत्र से अत्यन्त घनिष्ट है लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं है कि हमारा जो आयोजन है वह ऐसा आदर्श उपस्थित कर रहा है जो दुनिया के दूसरे पिछड़े हुए मुल्कों के लिये अनुकरणीय होगा।

श्रीमन्, प्लानिंग समाजवाद की देन है और सबसे पहले आज के युग में रूस ने वैज्ञानिक ढंग से नियोजन की स्थापना करके दुनिया के तमाम समाजवादी मुल्कों के सामने तथा पिछड़े हुए मुल्कों के सामने, एक आदर्श उपस्थित किया। उसके बाद प्लानिंग की महत्ता दिन पर दिन दुनिया समझने लगी और समाजवादी देशों ने ही नहीं बल्कि पूंजीवादी देशों ने भी रूस से नसीहत ली और शिक्षा ग्रहण करके अपने ढंग की प्लानिंग शुरू की। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रस्तुत आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारे देश और प्रदेश की प्लानिंग है, वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। श्रीमन्, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। सन् ५१ की जनगणना के अनुसार ८६.४ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से खेती से है। जब हमारे प्रदेश के अन्दर प्लानिंग बनायी गयी, योजना का निर्माण हुआ तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिये था, जैसा कि हर समाजवादी मुल्क के अन्दर रखा जाता है कि नियोजन इस प्रकार का हो कि (१) जिससे जनता का हित हो, (२) उसका कार्य संचालन जनता की सलाह और सहयोग से हो, (३) जनता का जो ज्ञान हो और जो अनुभव उसका हो उसके आधार पर कार्य संचालन हो।

अब मैं इस बात को देखूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो मौजूदा प्लानिंग है, उसमें इन तीनों बातों का कहां तक ध्यान रखा गया है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रमुख गांधीवादी अर्थशास्त्री श्री जे० सी० कुमारप्पा ने हमारे देश की योजना के संबंध में कहा था कि हमारे देश की योजना में पूंजीपतियों के हितों का, किसानों के हितों की अपेक्षा, अधिक ध्यान रखा गया है। अगर किसानों के लिये योजना होती तो पहली बात होनी चाहिये थी भूमि के पुनः वितरण की समस्या पर ध्यान देना और भूमिहीन किसानों को भूमि देने पर ही सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो वर्तमान नियोजन है वह श्री जे० सी० कुमारप्पा के कथन से एक कदम आगे जाकर पूर्णतया लागू होता है। पिछली प्रथम पंचवर्षीय योजना और वर्तमान द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन दोनों के अन्दर किसानों के हितों का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा गया। हमारी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

योजना पूंजीपतियों का विशेष रूप से ध्यान रखती है। जहां तक हमारे प्रदेश का संबंध है, इसमें पूंजीपति वर्ग का समाज के ऊपर काफी बड़ा असर है और सरकार की प्रत्येक नीति पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखते हुए बनती है। यही कारण है कि वर्तमान नियोजन किसानों की हितों की अपेक्षा पूंजीपति और बड़ों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। वरना होना यह चाहिये था कि कृषि प्रधान देश के किसानों की समस्याओं के जो तीन मुख्य समाधान हो सकते हैं, उस प्रकार से नियोजन होता।

यदि हम अपने पड़ोसी देश चीन की ओर ध्यान दें, जहां के किसानों की समस्यायें हमारे प्रदेश के और देश के किसानों की समस्याओं से मिलती जुलती हैं, तो हमें मालूम होगा कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या-क्या किया। वहां पर विशेष रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया गया। चीन के अन्दर पहले तो पारस्परिक सहायता से खेती शुरू की गयी, जिसके अन्दर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहा लेकिन सामूहिक श्रम का प्रयोग किया गया। दूसरी बात जो उन्होंने की, वह यह कि सहकारी खेती प्रारम्भ की। तीसरी बात यह कि सामूहिक खेती को उन्होंने अपना आधार और आदर्श बनाया। यद्यपि सामूहिक खेती पूर्ण-रूप से अभी वहां लागू नहीं हो सकी है लेकिन कुछ जगहों में इसका प्रयोग किया गया है और यह बहुत सफल तरीका है। मैं एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। सन् ४७ में जब चीन के अन्दर व्यक्तिगत आधार पर खेती होती थी तो वहां प्रति एकड़ १२०२ सेर अनाज होता था इसके बाद जब उन्होंने मिल कर खेती शुरू की, ४ परिवारों को मिलाकर सामूहिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ १७०१ सेर उपज हुई। फिर सन् ४९ में जब ५ परिवार के लोगों ने मिल कर खेती की तो प्रति एकड़ १३३६ सेर उपज हुई और प्रति परिवार उनकी प्राप्ति २०९३ सेर हुई। सन् ५० में जब १४ परिवार के लोगों ने मिल कर एक साथ सामूहिक खेती शुरू की तो यह बढ़ कर उत्पादन प्रति एकड़ १५१४ सेर हो गया और प्रति परिवार ४९१५ सेर प्राप्ति हुई। सन् ५१ में जब ३६ परिवारों ने सामूहिक खेती में योगदान शुरू किया तो प्रति एकड़ उपज १९७६ सेर हो गयी और प्रति परिवार १०,४५० सेर की प्राप्ति हुई। इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्ति प्रति परिवार करीब ७ गुना और उत्पादन प्रति एकड़ करीब दुगुना बढ़ गया। हमारी समस्या चीन से बहुत कुछ मिलती जुलती है। हमको इस बात की उम्मीद थी कि इस नियोजन में सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसका फल यह है कि आज विज्ञान का पूरा लाभ, इस युग का पूरा लाभ हमारे यहां का किसान नहीं उठा रहा है और उसकी कमर इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर दूसरों के मुकाबले में टूट रही है, उसके ऊपर कर का बोझ सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोजना का पूरा भार देश के धनवानों और पूंजीपतियों पर पड़ना चाहिये था, लेकिन वह नहीं हो रहा है। आज आयोजना का सबसे बड़ा भार देश के किसानों के ऊपर पड़ रहा है और कर के बोझ से देश के किसानों की कमर औरों के मुकाबले में टूट रही है लेकिन उसको उतनी प्राप्ति नहीं हो रही है।

श्रीमन्, कृषि के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें कही गयी हैं। यह कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि के सम्बन्ध में प्रतियोगिता करायी जाती है, लेकिन हमारे यहां हर चीज को सोचने का तरीका ही अलग होता है। यहां जो प्रतियोगिता होती है उसमें एक बीघे की उपज को ही देखा जाता है कि कौन एक बीघे में ज्यादा पैदावार करता है। इसका नतीजा यह होता है कि किसान अपने दूसरे खेतों की उपेक्षा करके एक बीघे खेत में ही अधिक खाद डाल कर उसी की उपज बढ़ाने पर अधिक ध्यान देता है। इस तरह से उसके खेत के बड़े भाग में उपज घट जाती है। होना यह चाहिये था कि १० बीघे खेत या ५ बीघे खेत की उपज को ही लिया जाता। पूर्वी जिलों में जहां होल्डिंग छोटी हैं, वहां ५ बीघे में प्रतियोगिता की जाय और पश्चिमी जिलों

में जहां होल्डिंग्स बड़ी-बड़ी हैं, वहां १० बीघे खेत की उपज में प्रतियोगिता की जा सकती है। इस तरह से तमाम बड़े भाग पर किसान सघन खेती करने लगेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि कृषि की तरक्की होगी। म समझता हूं कि इस बात की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा और इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्रीमन्, अब मैं उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर आते हैं, कुछ बड़े उद्योग हैं जो निजी क्षेत्र के अन्दर आते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके अन्दर सरकार और प्रदेश के पूंजीपति मिल-जुल कर काम करते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको गृह उद्योग कहते हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर केवल दो मुख्य उद्योग ही कायम हुए हैं। एक तो चुर्क की सीमेंट फैक्टरी है और दूसरी फैक्टरी लखनऊ की प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी है। हमको देखना यह है कि उसके अन्दर क्या व्यवस्था लागू की गयी है। सरकार का काम मुख्य उद्योगों को लेकर केवल उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि उसका काम दूसरे उद्योगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। होना यह चाहिये था कि जब सरकार ने इन उद्योगों को अपने हाथ में लिया था तो उसमें मजदूरों की साझेदारी होती। उसके प्रबन्ध में मजदूरों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिये था। लेकिन सरकार ने उनकी उपेक्षा की है, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की जो नीति इस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं श्रमिक के प्रति है वह सन्तोषजनक नहीं है। दूसरी ओर प्रदेश के और देश के पूंजीपतियों को सरकार ने खुले हाथों दान दिया है और कर्जा बांटा है और हर जगह वह उनके अधिकार बनाये हुये है और उसका नतीजा यह होता है कि जब कभी मजदूरों के ऊपर हमला होता है तो यह सरकार पूंजीपतियों का साथ देती है और हर तरह से उनकी मदद करती है। आज जिन उद्योगों से सरकार को काफी आय हो सकती है वह भी पूंजीपतियों के हाथ में हैं, जिनकी आय जनहित में व्यय हो सकती थी वह नहीं हो रही है और प्रदेश के चन्द उद्योगपति उसका लाभ उठा रहे हैं।

छोटे उद्योगों के प्रति भी सरकार ने जो अपनी नीति अपनाई है। उसके कारण भी हमारे जो पुराने गृह उद्योग हैं या छोटे व्यवसाय हैं उनका दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा है। मैं आजमगढ़ और बनारस की मिसाल दे सकता हूं कि अगर आप देखें तो वहां पर छोटे धन्धों के तमाम केन्द्र थे––मऊ, मुबारकपुर, कोपागंज, जहानागंज और भदोही आदि, वह सब निस्सहाय अवस्था में पड़े हैं। कोपागंज––जहां हाथ करघे का काम होता था वहां पर तमाम लोग बेकार पड़े हैं, इसी प्रकार से मुबारकपुर है जहां कि सिल्क की साड़ियां सारे देशों में जाती थीं वहां का उद्योग पिछले सात-आठ साल में बराबर गिरता गया है। आजमगढ़ के प्लानिंग विभाग ने बावजूद तमाम प्रार्थनाओं के कोई ध्यान नहीं दिया, केन्द्रीय एवं प्रदेशीय उद्योग विभाग से भी प्रार्थना की गई लेकिन कोई खयाल नहीं किया गया, नतीजा यह है कि वहां बेकारी फैल रही है, वहां से लोग अपने उस खानदानी व्यवसाय को छोड़कर बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। बनारस में भदोही के कालीन जिनकी खपत तमाम विदेशों तक में होती थी वहां के आज ६० हजार मजदूर, हड़ताल कर रहे हैं, उनको ६ आना प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है जब कि भदोही के बने हुये कालीन १०० रुपया प्रति गज तक इंगलैन्ड में जाकर बिकते हैं और उनका सारा लाभ मिलमालिक उठाते हैं और सरकार ने उस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। नतीजा यह है कि वहां बेकारी भी फैल रही है और इस उद्योग का भी ह्रास हो रहा है।

मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा से अवश्य प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस तरफ विशेष ध्यान दिया है और एक अलग विभाग वह इसके लिये खोलने जा रहे हैं। हमारे देश के भविष्य के लिये काटेज इंडस्ट्री का एक विशेष स्थान है और उस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां जो भू-गर्भ में खनिज पदार्थ हैं उनके ऊपर हमें गर्व होना चाहिये, लेकिन यह सरकार उनका कोई सदुपयोग नहीं कर सकी। हमारे यहां हिमालय

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की घाटियों में और मिर्जापुर आदि जिलों में बहुत खनिज पदार्थ मिल सकते हैं और प्रदेश के दक्षिण-पूर्व में भी ऐसी सम्भावना है कि वहां पर बहुत मूल्यवान खनिज पदार्थ मिल सकते हैं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया है।

इसके अलावा जो प्लानिंग की सरकारी व्यवस्था है उसके मुख्य दोषों की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। आज हमारी प्लान्स प्यूपिल्स प्लान नहीं हैं बल्कि वह आफिसर्स प्लान हैं। वह जनता के ऊपर, ऊपर से ही एनफोर्स की जाती है, यह उसका दोष है और नतीजा इसका यह होता है कि सरकार जो केन्द्र से योजना चलाती है उसका उचित लाभ जनता नहीं उठा पाती। इस बात की ओर मैंने बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पिछली बार प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने कहा था कि सरकार की योजनाओं का ठीक तरह से प्रचार नहीं होता और वे साधारण जनता तक नहीं पहुंच पातीं और इसका नतीजा यह होता है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं केवल वही उनका लाभ उठाते हैं और जो गरीब लोग सहायता के अधिकारी हैं, हरिजन हैं, पिछड़े हुये लोग हैं उनको इनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। जिलों में जो नियोजन समितियां हैं वह एक फोर्स हैं और उनमें जो प्रतिनिधि हैं वे ऐसे लोग हैं कि जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते और जिनसे सरकार को उचित सलाह जिला स्तर पर नहीं मिल सकती। कांग्रेस के लोग ही अधिकतर इन समितियों में है और इस तरह से ठीक प्रतिनिधित्व नहीं होता। सरकार इस बात पर विचार करे कि किस तरह से दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व उनमें हो सकता है। यदि सरकार जनता के हित के लिये नियोजन को चलाना चाहती है तो जिले के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर जो भी समितियां हों उनमें सबका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, इस पर प्लान की सफलता और असफलता पूर्णतया निर्भर करती है। यदि उसको सम्पादन करने की मशीनरी ठीक है, यदि उसका जनता से गहरा सम्बन्ध है, जनता की भावना को वह ठीक से समझती है तब तो प्लानिंग सफल हो सकती है अन्यथा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान प्लानिंग की मशीनरी है जिसके द्वारा सरकार अपने आयोजन को कार्यान्वित करती है वह इस योग्य नहीं है कि उसके द्वारा सही मानी में प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। उसके अन्दर पूर्णरूप से ओवरहालिंग की आवश्यकता है। श्रीमन्, हर ब्लाक के अन्दर बी० डी० ओज० होते हैं, चार पांच ए० डी० ओज० होते हैं जिनका सम्बन्ध किसी का सोशल एजूकेशन से, किसी का कृषि से, किसी का प्रान्तीय रक्षक दल से और अन्य-अन्य वस्तुओं से होता है। उनके जिम्मे पूरे ब्लाक के करीब-करीब १०० गांवों का काम होता है। नतीजा यह होता है कि जहां-जहां उनको पहुंचना चाहिए, जनता को जिस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, जनता तक उस सन्देश को जिस प्रकार से पहुंचाना चाहिए, जनता से जिस प्रकार गहरा और निकट सम्बन्ध उनका होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। मेरी राय है कि जितने ए० डी० ओज० हों उनके जिम्मे २५-२५ गांव बांट दिये जायं और एक-एक ए० डी० ओ० को पूरी-पूरी शिक्षा दी जाय, कृषि की जानकारी उसको पर्याप्त हो, सोशल एजूकेशन की भी जानकारी उसको हो और जनता को फिजिकल ट्रेनिंग देने की भी योग्यता वह रखता हो, तब वह २५ गांवों की जनता से गहरा सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। वर्ना होता यह है कि वह दौरा करते हैं, भत्ता बनाते हैं और अपने मकान पर वापस आ जाते हैं। इसके सिवा और कोई काम नहीं होता है। दूसरी बात--बी० डी० ओज० को जो जीप दी गई है, बहुत काफी चर्चा उसकी यहां हुई है, उस जीप को आप वापस लें। बी० डी० ओ० उन जीपों पर सिवाय इसके कि लोगों से मिलता हो, दावतें खाता हो या अपने निजी काम में उनको इस्तेमाल करता हो, और कोई हित जनता का उन जीपों से नहीं हो पाता है। हमारा प्रदेश या देश जब उन्नति कर जायगा, जब हमारे प्रदेश का स्तर इतना ऊंचा पहुंच जायगा तब हमें हर गांव में जीप की आवश्यकता पड़ सकती है, उस समय आप उनको जीप दे सकते हैं, वह चीज उस समय क्षम्य हो सकती है लेकिन आज की परिस्थिति में बी० डी० ओज० के पास जीप का रहना किसी तरह भी क्षम्य नहीं माना जा सकता। सरकार को उसे वापस लेना चाहिए।

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया है कि आज के प्लानिंग का जनता से उतना गहरा सम्बन्ध नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि किसी भी प्लानिंग के अन्दर होना यह चाहिए कि जनता के अन्दर इनीशियेटिव की मात्रा पैदा की जाय। प्लानिंग का उद्देश्य केवल यह नहीं होता कि अधिक सड़कें बनाई जायं, अधिक स्कूल और अस्पताल बनाये जायं या अधिक पुलों और दूसरी चीजों का निर्माण हो जाय बल्कि जनता स्वयं उसकी महत्ता को समझे और जनता के अन्दर स्वयं इस बात की मांग हो कि वह अपने ढंग पर अपना काम करने में विशेषज्ञों का निर्देशन चाहती है। बी० डी० ओ० या दूसरे अधिकारी जो मौके पर होते हैं वह उनका निर्देशन करें, उनको बतायें। लेकिन आज उल्टा होता है। बी० डी० ओ० का सम्बन्ध आज जनता से नहीं हो पा रहा है। वह उनको प्रशिक्षित नहीं कर पा रहा है। आज देहातों के अन्दर जो श्रमदान होता है उसमें अधिकारी अपने पद का प्रयोग करते हैं। उसके जोर से श्रमदान कराने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, बल्कि सरकार के सामने गलत आंकड़े दे करके एक रोजी पिक्चर पेश करते हैं और सरकार को भ्रम में डालते हैं। जब कभी किसी बड़े अधिकारी का दौरा होगा सड़कों के ऊपर साइनबोर्ड टांग दिये जायेंगे, रास्ते के स्कूलों या और दूसरी इमारतों को सजा दिया जायगा। उन्हें इस बात का इत्मिनान दिलाया जाता है मानो जनता ने ये सारे काम किये हों। मेरे अपने क्षेत्र में पिछली बार कमिश्नर ने दौरा किया था। वहां गांव के अन्दर जनता को इस बात के लिए मजबूर किया तहसीलदार और बी० डी० ओ० ने कि उनकी फसल खेतों से उखाड़ी जाय और श्रमदान की सड़क बनायी जाय। उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि कमिश्नर साहब की मोटर उस रास्ते से आगे पहुंच सके। जब एक आदमी ने विरोध किया तो प्रतिकार की भावना पैदा हो गई। इस प्रकार की बातों का अन्त होना चाहिए। एक निवेदन और सुझाव के रूप में सरकार से करना चाहता हूं कि सरकार जनता की राय हर स्तर पर लेने की पूर्ण कोशिश करे। इसके लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान एक संकट काल से गुजर रहा है, प्रदेश की तमाम मान्यता प्राप्त जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाय, उनकी राय ली जाय और उसके बाद एक नये ढंग से, नये सिरे से सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान को अधिक सफलतापूर्वक लागू करने के लिये सरकार कदम उठाये। सरकार, जो प्रदेश के मुख्य व्यवसाय हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करें और जिन मुख्य व्यवसायों का राष्ट्रीय करण करना सम्भव नहीं है वहां उनको कोआपरेटिव ढंग पर शुरू किया जाय। जैसे पूर्वी इलाके में चीनी की मिलें खुलने वाली हैं, गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, वह मिलें निजी व्यक्तियों के हाथों में नहीं जानी चाहिये बल्कि सहकारी आधार पर उनका संचालन होना चाहिये।

तीसरे प्रशासन के अन्दर पूर्णरूप से परिवर्तन करना चाहिये और नीचे से लेकर ऊपर तक का प्रशासन और व्यवस्था इस ढंग की हो कि जनता का उसमें अधिक से अधिक सहयोग हो।

चौथा सुझाव यह है कि जो प्रमुख उद्योग प्रदेश के हैं उनका केन्द्रीयकरण हो रहा है, कानपुर के अन्दर सारी मिलें खुलें यह गलत बात है। वहां श्रमिक सारे प्रदेश से आते हैं, कच्चा माल भी आता है। यह प्रदेश के हित में नहीं है। इन उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण हो और प्रदेश के ऐसे इलाके में, खासतौर से पूर्वी इलाके में जहां जनता कृषि पर अधिक निर्भर नहीं कर सकती, वहां खोले जायं और पांचवां सुझाव यह है कि सरकार की जो भी योजना है उसका प्रचार इस ढंग से हो कि आम जनता तक उसकी पहुंच हो सके और जनता इस बात को समझे कि उसके लिये कौन-कौन सी योजना है और उसमें उसका क्या योगदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश किया गया है उस सिलसिले में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। नियोजन के द्वारा हमारे प्रदेश में जिस तरह की प्रगति हुई है वह इस बात का द्योतक है कि प्रदेश में एक जागरण पैदा हुआ है और सदियों की गुलामी से जो बरबादी के लक्षण दिखाई देने लगे थे उनको धीरे-धीरे मिटाने का प्रयत्न लोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग थे उनकी तरफ भी ध्यान गया।

अभी मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने यह कहा कि यह योजना रूस और चीन की तरह की होनी चाहिये थी। ठीक है, उन्होंने अपने गुरुद्वारे को याद किया। लेकिन क्या रूस और चीन की योजना जनता की बनायी हुई योजना है? निश्चित रूप से वह तो सरकार की ही योजना है, केवल उसको पीपुल्स प्लान कह दिया गया। तो केवल कह देने से पीपुल्स प्लान नहीं हो जाता। पीपुल्स प्लान तो हमारी यह योजना है कि हजारों आदमी अपने घरों से निकल कर रास्ते निकालते हैं, अपने पीने के पानी के लिये, कुंआ बनाने के लिये अपने पास से पैसा देते हैं और साथ ही अपने श्रम और सरकारी अनुदान से कुएं बनाते हैं। पीपुल्स प्लान उसे ही कहा जा सकता है जहां जनता स्वयं अपने आप निकल कर आती है, डंडे के जोर पर, शासन के जोर पर किसी को नहीं बुलाया जाता है। हां, यह दूसरी बात है हर अच्छी चीज को हम इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर किसी गांव में कोई सड़क नहीं है मेन रोड के लिये और गांव के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये किसी संस्था के द्वारा या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वह सड़क बनायी जाती है, उसको बेगार कहा जाय और यह कहा जाय कि कमिश्नर आने वाले थे इसलिये बनायी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

उन्होंने यह भी कहा कि जिले की नियोजन समिति में जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। पार्टी के प्रतिनिधि होने चाहिये। यह बात मुझे ऐसी लगी जैसे बिना समझे कही गयी हो। अगर प्रतिनिधि जनता के एम० एल० ए० नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, गांव सभाओं के सभापति नहीं हैं, तो और कौन हो सकते हैं? केवल पार्टी के प्रतिनिधि रहें तो उसको कैसे माना जायगा कि वह पीपुल्स प्लान को चलाने के लिये सलाह देने वाली समिति होगी? जिला नियोजन समितियों का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों और जनता का पूरा-पूरा सहयोग चाहती है। रही बात किसानों की उन्नति की तो मैं यह समझता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया गया कि हमारे देश में अन्न की कमी को पूरा किया जाय। खेती के तरीकों में अच्छे औजार, अच्छा बीज देकर, अच्छे जानवरों के लिये तकावी देकर और पानी की व्यवस्था करके तरक्की की जाय। पानी अगर नहरों या कुओं से नहीं मिलता है तो ट्यूबवेल से पानी दिया जाय और ट्यूबवेल को बिजली से चला कर प्रयोग किया जा रहा है ताकि पानी अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके और अधिक से अधिक स्थानों पर सिंचाई हो सके और हमारे किसान की उपज बढ़े और वह खुशहाल हो।

किसानों को मकान बनाने के लिये जहां कहीं जरूरत होती है तकावी दी जाती है और यह भी संयोग की बात है जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है कि किसान की उत्पत्ति आज अच्छे भाव पर बिक रही है और वह स्वयं मकानों का निर्माण कर रहा है। आज देहातों की सूरत बदल रही है। जहां देहातों में दो ईंटें कसरत करने के लिये नहीं मिला करती थीं वहां किसान अपने उद्योग, अपनी आमदनी से पक्के मकान खड़ा कर रहा है और वह शिकायत कर रहा है, कि उसको सीमेंट, सरिया, कोयला और परनालीदार चादर नहीं मिल रही है।

कहा गया कि बड़े-बड़े आदमियों को ही सिर्फ पैसा दिया जाता है और वही उससे फायदा उठाते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी तो अधिक लाभ उठा ही लेता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि शिक्षा का प्रसार जितना हो जाना चाहिए था उतना नहीं है, किसान चतुर नहीं है और बेचारा

किसान उतना इस योजना से लाभ नहीं उठा पा रहा है जितना कि उठाना चाहिये। लेकिन प्रयास यही हो रहा है कि इन योजनाओं के द्वारा किसान अधिक से अधिक लाभ उठा सके। परन्तु संतोष की बात है कि किसान इन योजनाओं को समझ रहा है और लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है।

एक बात यह भी कही गयी कि इस योजना में हरिजनों को विशेष लाभ नहीं पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि जितना हमारा दिल चाहता है उतना फायदा तो हरिजनों को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जितना पहुंच रहा वह है इतना नगण्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि हरिजनों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं कि जिला प्लानिंग कमेटी ने मकान बनाने के लिये हरिजनों को अनुदान दिया है और निवास के लिये मुफ्त भूमि दिलाने की चेष्टा की है और आज भी इस बात का प्रयास हो रहा है कि हरिजनों के द्वारा जो कुटीर उद्योग चलाये जा रहे हैं उनको तकावी के अलावा अनुदान दिया जाय जिससे वे छोटे-छोटे उद्योग चलाकर अपना जीवन यापन कर सकें और अधिक लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र और सघन विकास क्षेत्र भी खोले जा रहे हैं। उनमें जो अधिकारी हैं उनमें सबसे पहले हमारा विलेज लेविल वर्कर है, फिर ए० डी० ओ० और उसके काम को देखने वाला होता है बी० डी० ओ० हर क्षेत्र में एक विलेज लेविल वर्कर १० ग्रामों का काम देखता और चलाता है और उनको अपना सहयोग प्रदान करता है और उन ग्रामों में उस योजना को चलाने का प्रयत्न करता है और उस योजना की रूपरेखा ए० डी० ओ० देखता है और सारी योजनाएं ब्लाक लेविल पर आकर अमल में आती हैं, जिन्हें बी० डी० ओ० देखता है। यह जरूर है कि जिन ब्लाक्स में सोशल ए० डी० ओ० और कोआपरेटिव ए०डी०ओ० हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिल रही है उसका कारण यह है कि हमारे जो कुछ थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं और पार्टीबन्दी में फंसे हुए हैं वे इनको अपना सहयोग नहीं देना चाहते। उनकी आलोचना तो करते हैं लेकिन सहयोग नहीं देते। अगर सचमुच उनको सहयोग मिले तो हमारे गांव में सामाजिक कार्यों में उन्नति हो सकती है और कोआपरेटिव की जो भावना है वह भी अच्छी तरह से प्रसारित हो सकती है। हर ब्लाक के हर गांवों में कोआपरेटिव्स बन गयी हैं और उन कोआपरेटिवों को दूना उत्साह मिल रहा है, इस प्रकार कि किसान को अच्छा बीज और अच्छी खाद मिल सके, उसमें ये कोआपरेटिव इमदाद करती हैं। मैं इस विभाग के मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार तो खत्म हो गये, महाजन भी खत्म हो गये हैं ऐसी अवस्था में उनको सस्ते ब्याज पर रुपया मिलने की व्यवस्था हो सके और वह उस रुपये को अपने कामों में ला सकें तो मैं समझता हूं कि गांवों में अच्छी प्रगति हो सकती है और सफलता मिल सकती है।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र में नियोजन द्वारा बनाई गई पक्की सड़कों के रख-रखाव के लिए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो गांव को बड़ी सड़कों से मिलाती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग का विषय बहुत महत्वपूर्ण, विषद और विस्तृत है, किन्तु मैं आपके द्वारा थोड़े से सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखता हूं।

पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जो हमारे विकास खंड हैं उनमें सबसे पहले नाबालिग बच्चों के लिए श्रमदान बन्द किया जाय। जो बच्चे नाबालिग हैं, अल्प-वयस्क हैं उनको श्रमदान में खींचा जाता है, नतीजा उसका यह होता है कि वे बच्चे न बढ़ सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। श्रमदान का अर्थ यह है कि श्रम की वैल्यु को समझें, डिग्निटी आफ लेबर को समझें। इसका उल्टा होता है कि जो मजदूर है, किसान है, जिसके बैल भूखे हैं, जो बेचारा अपनी रोजी भी नहीं कमा सकता वह बेचारा श्रमदान पर जाता है, खासकर हरिजन लोग जाते हैं और बड़े आदमी

[श्री यशपाल सिंह]

श्रमदान से बच जाते हैं । इस देश के करोड़ों आदमी फावड़ा लेकर बेकार घूमते हैं । उन्हें श्रम की आवश्यकता है, लेकिन एक इंजीनियर जो कि देश के लिए बड़ा भारी काम कर सकता है, एक प्रोफेसर जो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, एक अध्यापक जो देश के बच्चों का भविष्य बना सकता है और एक विद्यार्थी जो देश की आशाओं का केन्द्र है उन लोगों को हम श्रमदान में खींच करके उनकी असली सेवा से देश को वन्चित करते हैं । इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो लोग बड़ा काम कर सकते हैं, जो अल्प-व्यस्क हैं, बच्चे हैं उनके लिए श्रमदान की स्कीम को बन्द किया जाय । श्रमदान हो रहा है, लेकिन आज तक हम यह नहीं बता सके कि हमारी गूलों में कितना श्रमदान हुआ । आंकड़े बता सकता हूं कि नहर की आबपाशी का रकबा बढ़ गया है, लेकिन पैदावार के आंकड़े घटते जाते हैं । मैं देखता हूं कि पैदावार का जो हमारा स्तर है वह गिरता जा रहा है ।

नहरों के लिए हम देखते हैं कि लम्बी-लम्बी योजनाएं हैं और हमको यह बतलाया जाता है सिंचाई का एरिया बढ़ गया है, लेकिन जहां ८ इंच के कोलाबे थे वहां अब ४ इंच के रह गये हैं पहले जो जमीन को ८ इंच के कोलाबे सैलाब करते थे, अब उसका आधा भी नहीं होता । साथ ही चक बंदी हो रही है, लेकिन इसके पहले ओसराबन्दी होनी चाहिये थी, लेकिन चकबन्दी हो चुकी ओसराबन्दी नहीं हुई । नतीजा यह है कि दिन-रात सर-फुटौवल होता है । आज किसका ओसरा है, किसका नहीं है, यह काश्तकार को पता नहीं चलता । तो यह आज सबसे जरूरी चीज है कि हम अपनी प्लानिंग को कम से कम अपने सूबे के अन्दर ऐसी करके दिखला दें ताकि दूसरे लोग हमसे फायदा उठायें । देश के लिये अनाज की जरूरत थी, मुझे आप क्षमा करेंगे, देश के लिये आवश्यकता थी अन्न की लेकिन प्रोपैगेन्डा करके यह शोर मचाया गया कि अधिक सब्जी उपजाओ । इसका अर्थ यह हुआ कि जो अच्छी जमीनें गेहूं पैदा करने में लगतीं वे सब्जी पैदा करने में लग गयीं । हमारे ऋषि कोई अनाड़ी नहीं थे जिन्होंने यह कहा—

"घृताज्जायते आयुः
मांसाज्जायते मांसः
शाकाज्जायते रोगाः"

—"आयुर्वेद"

वे इस बात को जानते थे—

"शाकेषु सर्वेषुवसन्ति रोगाः" —आयुर्वेद

लेकिन देहात के अन्दर गलत प्रचार किया जाता है । जो सब्जियां खालिस गन्दगी में पैदा की जाती हैं, जिनमें अगर विटामिन्स होते हैं तो वे भी मर जाते हैं, उनका प्रचार किया जाता है । गांवों में दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि टमाटर खाने से टमाटर जैसा रंग हो जायगा । भगवान न करे किसी का टमाटर जैसा रंग हो जाय क्योंकि टमाटर जैसा रंग कोढ़ी का रंग होता है । अध्यक्ष महोदय, आप किसी का टमाटर जैसा रंग पेन्ट करा के देख लें, उसका रंग कोढ़ी का हो जायगा ।

श्रीमन्, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब हम दीवारों पर यह छपा हुआ देखते हैं, हजारों विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब वे दीवारों के ऊपर यह लिखा हुआ देखते हैं कि "४० करोड़ के दिल पर हुकूमत करने वाली सुरैया" या "४० करोड़ के दिल पर हुकूमत करने वाली नर्गिस ।" इसका अर्थ यह होता है कि सारा राष्ट्र चरित्र-हीन हो गया है, सारा राष्ट्र व्यभिचारी हो गया है । मेरी अर्ज मुख्यमंत्री जी से यह है कि जो कुछ भी प्रेस में जाता है उससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, देश के नवयुवकों का चरित्र भ्रष्ट न हो, आज हम सब की यह जिम्मेदारी है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हर जगह जाकर देखें कि कहां कितना करप्शन हो रहा है । सबसे बड़ी योजना का काम इस वक्त यह था कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाय, हमारी आबपाशी का स्तर ऊंचा हो जाय, लेकिन आज हम छोटे-छोटे बच्चों को श्रमदान में लगाकर उनकी तालीम का हर्ज करते हैं । श्रीमन्, मुझे क्षमा

करेंगे, मैं श्रमदान की एक हृदय विदारक घटना रख दूं। यह मैं देवबन्द तहसील की बात कहता हूं। वहां कुछ छोटे-छोटे १३-१३, १४-१४ साल के नाबालिग बच्चे एक ट्रक में भर दिये गये। उनके लिये कोई परमिट नहीं ली गयी कि खाद उठाने के किसी वाहन में वे बच्चे भरे जा सकते हैं। वे बच्चे श्रमदान के लिये जा रहे थे और वह गाड़ी ४० मील फी घन्टा की रफ्तार से जा रही थी जैसे उन बच्चों का कोई पुरसाने हाल ही न हो। ट्रक तेजी में थी, उधर से देहरादून एक्स-प्रेस आ रही थी। वह ट्रक उस देहरादून एक्सप्रेस से लड़ गयी और उनमें से १० बच्चे वहीं धराशायी हो गये, उनके खून से जमीन लाल हो गयी और उनकी आंतें छोटे-छोटे चावलों की शक्ल में भूमि पर बिखर गईं। दस घर उजड़ गय लकिन कोई इन्क्वायरी नहीं हुई कि क्यों वे नाबालिग बच्चे श्रमदान के लिये भेजे गये, क्यों उन नाबालिग बच्चों को खाद ढोने वाली गाड़ी में भर कर ले जाया गया ? माननीय मुख्य मंत्री जी को ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिये। हरिजन श्रमदान करते हैं, अपने बच्चों को भूखा रख कर राजपथ का निर्माण करते हैं तो मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों का यह फर्ज है कि जब श्रमदान हो रहा हो उस वक्त कोई टी० ए० चार्ज न करें, एक हफ्ते का कोई भत्ता न लें। मुख्य मंत्री जी जनता की आवाज को समझें। हम लोग जो विधान निर्माता हैं, हम लोग जो कानून बनाते हैं, हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम यह समझें कि कानून का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि जनता के हितों की रक्षा की जाय, जनता के जो विचार हैं, जनता के जो खयालात हैं, जनता के जो जजबात हैं और जनता की जो भावनायें हैं, उनका अहतराम किया जाय। हमने पढ़ा है संविधान की पुस्तकों में कि:

"Law is nothing but the will of the people expressed in terms of Law."

हम पीपुल की क्या राय लेते हैं, हम जनता की क्या सम्मति लेते हैं ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके साथ जनता की राय इसलिये नहीं है कि आप ४२ फीसदी वोटों से ही यहां आये हैं। ये मुखालिफ लोग आपस में नहीं मिल पाये और एक जगह पर पांच-पांच आदमी खड़े हो गये थे। इसलिये आप लोग ४२ फीसदी वोटों से यहां आ गये हैं, वरना कुछ और ही नजारा आज होता। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आज वह देहात में जाकर जनता से पूछें कि श्रमदान से जनता की कितनी सर्विस हुई है, कितना लोगों का नुक्सान हुआ है ? कानून ऐसा बनाया जाय कि जो जहां फिट करता हो वह वही काम करे। यह नहीं कि सभी धान २७ सेर हों। यह नहीं कि हर एक को बुलाकर आप फावड़ा पकड़ा दें।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस समय जीपें एस० ओ० सीज० (S. O. C.s) से छीन ली गई हैं। चकबन्दी आफिसर के पास एक कार थी वह भी उससे छीन ली गई है। एक आफिसर जिसके मातहत ५०० गांव थे, वह मोटर छिन जाने की वजह से आज पैदल चलता है या फिर किसी से घोड़ा मांगता फिरता है। चकबन्दी में आजकल दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है।

बी० डी० ओज० की जीपें छीन कर एस० ओ० सीज० को दी जायं। ए० सी० ओज० तथा एस० ओ० सीज० इस छोटी सी तनख्वाह में ईमानदार नहीं रह सकते हैं। इन अल्फाज के साथ-साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आज देहातों में निकलें और जो चकबन्दी का काम है, जो श्रमदान का काम है और जो आबपाशी का काम है, उनका खयाल करें।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण योजना की मद पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं इस पर बोलने के लिये चलता हूं तो मेरा दिमाग बिलकुल साफ है। मैं जब गांवों की ओर देखता हूं तो इस योजना का असर उन गांव वालों में दिखाई पड़ता है जहां पर गांव के लोगों ने खड़ंजा लगा लिया है। गांवों में जहां निकासी का रास्ता नहीं था वहां उन्होंने पुलिया बनाई हैं तथा तरह-तरह के अन्य काम किये हैं।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

यहां अभी माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने एक बात कही कि आपकी इस योजना के पीछे जनता का सहयोग नहीं है, जनता के हित के लिये कोई कार्य नहीं है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो ब्लाक ऐडवाजरी कमेटी है उसमें १६० मेम्बर्स हैं जिनमें से केवल २१ आफीशियल्स हैं बाकी सब नान आफीशियल्स हैं, उनकी राय से ही सब काम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आल इंडिया के स्तर पर एक बलवन्तराय मेहता कमेटी कायम की थी। उसने अपनी फाइंडिंग दी है कि जो उत्तर प्रदेश में काम हुये हैं उनमें करीब-करीब ७५ फीसदी जनता का सहयोग मिला है। केवल २५ फीसदी सरकार की तरफ से हुआ है। यह इस बात को जाहिर करता है कि इन योजनाओं में जनता का कितना योग है।

इसके साथ ही साथ उनका यह भी एक निश्चित मत है कि इस योजना के बारे में इसके संचालन के बारे में, या जो यहां की योजनायें हैं, उनमें करीब-करीब जो कार्य हुये हैं और उनमें जो फैसला हुआ है वह ९० फीसदी नान आफीशियल्स के परामर्श से हुआ है। सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं है। यह बात इस बात का सबूत है जो बराबर कहा जाता है कि जनता का कोई रुख नहीं है, कोई रुझान नहीं है, मैं इस बात से कतई उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी यह जो बात है यह उनकी ही हो सकती है और अलग की बात हो सकती है, लेकिन यथार्थ बात नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं जब इस योजना के बारे में गौर करना चाहता हूं और उनके शब्दों को तोलता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि कृषि के लिये इसमें कुछ नहीं किया गया। अगर वह देखते तो पहली पंच वर्षीय योजना में कृषि के बारे में जो अन्नोत्पादन का लक्ष्य सरकार ने निश्चित किया था उससे कहीं ज्यादा पैदावार इस प्रदेश में की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमारा अनुमान था कि इतनी पैदावार करेंगे उससे कहीं ज्यादा पैदावार कृषि के मामले में हुई है। इसके साथ-साथ तमाम ट्यूबवेल, नये-नये खादों का इस्तेमाल, नये-नये अच्छे किस्म के बीजों का वितरण और तमाम सिंचाई के साधन, नहरों को बढ़ोत्तरी और इसी तरह के सरकार ने जो उपाय किये हैं मैं उनकी बारीकी में न जाकर उन्हें यह बताता हूं कि आखिर यह जो बातें की गई हैं और जो इस तरह की स्कीम इस प्रदेश में सरकार द्वारा चालू की जा रही है क्या वह किसानों के लिये नहीं, किसी मिल मालिक के लिये है? मैं निश्चयरूप से कहता हूं कि वह किसानों को लाभान्वित करती हैं और किसान उनसे फायदा उठाने के लिये तैयार हो रहे हैं।

इस प्लानिंग के विषय में उन्होंने रूस और चीन की बात कह डाली। मैं नहीं समझता कि वह रूस और चीन के सिद्धांतों में वह यकीन रखते हैं या नहीं, लेकिन वहां पर मुंह खोलने का भी किसी को अख्तियार नहीं है। आप यह समझते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्लानिंग है वह अजीबो गरीब तरीके की है। वहां पर डिक्टेटरशिप से किसी भी आदमी को मजबूर किया जा सकता है और उससे काम लिया जा सकता है लेकिन हमारे यहां काम करने का जो तरीका है वह जनता की विल पर है। हमारे यहां जो भी विकास का काम होगा वह जनता की इच्छा से होगा। उस समय जब कि डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है तो न जाने कितने विचारों का कन्फ्यूजन सामने आता है। सब के विचारों का समन्वय करके लोगों के काम करने की योजना बनानी पड़ती है। मैं नहीं समझता कि वह रूस और चीन की दुहाई एक जनतन्त्र देश के लिये कैसे दे सकते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब कोई देश स्वतन्त्र होता है तो लोगों के जीवन के सुधारने का प्रश्न सामने आता है और उस समय कठिनाई भी बहुत आती है। मैं बतलाता हूं कि मुल्कों में जहां-जहां इस तरह के स्टेज सामने आये हैं वहां वह इस तरह के प्राब्लम सामने आये हैं और सरकारों ने उन प्राब्लम को हल करने के लिये कदम उठाये हैं। मैं मिसाल के लिये आपको एक बात बताऊं ... ...

श्री अध्यक्ष--अब आप लंच के बाद अपना भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं बोलूं, आप से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आज पहली बार ५ मिनट का समय और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--५ मिनट आप के हो गये हैं, ५ मिनट और बोलिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद --आप के विशेषाधिकार की प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--देखूंगा पहले कि आप कैसा बोलते हैं, फिर विचार करूंगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद--तो इसके पहले मैं यहां यह कह रहा था कि एक कोटेशन है "Poverty and unemployment have been the problems in all except most primitve societies" हम देखते हैं कि अमरीका जैसे देश में भी बेकारी का सवाल पैदा हुआ और सन् २९ में वहां इसका ओवर फ्लड आ गया, लेकिन बमुश्किल तमाम १९३७ में वहां की सरकार इसके लिये कोई कानून ला सकी। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह सुन कर आश्चर्य करेंगे कि वहां भी ४२ फीसदी केवल लोगों को काम मिलने का भरोसा रहता है और वे अगेन्स्ट अनइम्प्लायमेंट या तो रजिस्टर्ड रहते हैं, या इनश्योर्ड रहते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां जो कुछ इस प्राब्लम को मीट करने के लिये हो रहा है वह बहुत अधिक तो नहीं है लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए संतोषजनक है। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब किसी भी मुल्क में इस तरह का आयोजन होता है तो वहां आर्थिक स्थिति संतोषजनक होने में समय लगता है। अमरीका जैसे जायंट देश में भी पचासों साल बाद वहां की आर्थिक स्थिति में लोगों ने राहत महसूस की। हमारे देश में वही आर्थिक क्रान्ति धीरे-धीरे लाई जा रही है।

इसके बाद यादव जी ने और यशपाल जी ने श्रमदान का बड़ा क्रिटिसिज्म किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि यहां के श्रमदान के बारे में बाहरी लोगों और जांच करने वालों की राय है कि यहां के करीब ९८ प्रतिशत लोगों ने उसमें सहयोग किया है जो कि सारे देश में अधिक है ··

एक सदस्य--आप का क्या खयाल है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद--मेरा यह खयाल है कि अगर यह सहयोग न होता तो जहां रास्ते नहीं थे वहां वे अपने आप पैदा न हो जाते। वे रास्ते आसमान से नहीं टपक पड़े। इसके साथ-साथ यहां की पंचायतों ने ७५ परसेंट निर्माण का काम किया है। यह इस बात का सबूत है कि यहां की जनता ने सहयोग किया है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि यहां के कार्यों का सर्व प्रथम स्थान है देश में। यह क्या कम गौरव की बात है ? यह हमारे लिये, चाहे वह मैं होऊं अथवा यादव जी, दोनों के लिये बड़े गौरव की बात है। इसके साथ साथ उन्हीं की यह राय है कि ८३ फीसदी जनता इन विकास कार्यों में अपना भविष्य उज्जवल देखती है और उसे अपनी संतानों के लिये इनमें आशा मिलती है, तो इसे आप भले ही न माने, लेकिन यह फैक्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि आज शहर और गांव के रहने वाले अपनी तरक्की इसमें देखते हैं और भले ही हम सदन में बैठकर, राजनीतिक झंझटों में फंस कर उनको न आंकें, लेकिन यह वास्तविकता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यादव जी कल बोले और मैंने चाहा था कि मैं उनको कुछ उत्तर में दो मिनट कहूं। मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यह हरिजन और

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

बैकवर्ड क्लासेज का प्राब्लम चिल्लाकर एक तरह की पाकिस्तानी मनोवृत्ति होती जा रही है। मैं यह नहीं समझता कि समाज का बैलेन्स इस तरह से चिल्लाकर तोड़ा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह उनकी ज्यादती है। क्या-वह यह कहने से इन्कार करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज और हरिजनों का जीवन इस सरकार के कार्यों से ऊपर नहीं उठा है? भले ही वह जितना उठना चाहिये उतना नहीं है। बात को छिपाकर नहीं कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—"छिपा कर" को आप वापस लें।

श्री रामेश्वर प्रसाद—वापस लेता हूं, आप बैठे ही इसलिये हैं।

मैं कह रहा था कि लोगों की आम राय है कि जन जागृति में और विकास के कार्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इस स्पष्ट बात के होते हुए भी यदि हम सत्य पर पानी डालने की या यथार्थता से परे जाने की कोशिश करें तो इस कार्य में लगे लोगों के साथ हम बड़ा भारी अन्याय करेंगे। जब मैं बलवन्तराय मेहता कमेटी का हवाला दे रहा था तो झारखंडेय राय जी तथा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि उनका रेफरेन्स क्यों देते हो, अपना रेफरेन्स दीजिये। बाहर से लोग अनएक्सपेक्टेड आकर, पश्चिम के, हमारे प्लानिंग को देखकर विस्मय करते हैं और भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। इसलिये यदि हम लोग असलियत के तहत में बात करें तो ज्यादा उचित होगा।

मोटरों की बात यहां कही गई थी। यह सवाल बारबार यहां उठा है और माननीय मुख्य मंत्री ने तथा दूसरे लोगों न भी इसका जबाब दिया है। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पिछली असेम्बली में उस समय के प्लानिंग मिनिस्टर से कहा था कि ये मोटरें नहीं देनीं चाहिये। लेकिन मुझ उनके उत्तर से संतोष हुआ कि इनमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया का भी हिस्सा है। तो इस हिस्से को छोड़ना हमारे लिये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। मैं आपके जरिये अपील करता हूं यहां बैठे प्रेस रिपोर्टरों से कि मेरी आवाज सेन्टर तक पहुंचाने की कृपा करें कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और हमारे आर्थिक स्तर को उठाने के लिये जो हमारा नियोजन का रुपया कम किया गया है उसे हमें दें और शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मद का समर्थन करता हूं और इस विभाग में लगे हुये समस्त कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की जनता का जीवन उठाने की कोशिश की है और अन्त में मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, महाराज।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव हमारे सम्मानित साथी ने पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह अनुदान पेश किया है। वह अक्सर सोशलिस्ट पार्टी को कटाक्ष के रुप में कह दिया करते हैं कि यह सरकार बनाने के लिये नहीं है। मुझे कभी-कभी विस्मय होता है जब सोचता हूं कि समाजवादी व्यक्तित्व का इतिहास ही एसा रहा है, चाहे वह विदेश में हो या देश में हो, कि जब वह पथभ्रष्ट हुआ है तो पूंजीपतियों के पालने में जाकर ही पला है। इस तरह की शिक्षा-दीक्षा हमें यहां दी जाती है कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और शील इन सब बातों का ध्यान रखें। अफसोस होता है। करनी और कथनी का अन्तर जब कि हम देखते हैं तो भाषा में कटुता आ ही जाती है और तब जब हमें पथभ्रष्ट लोग उपदेश देने के लिये खड़े हो जाते हैं, क्या किया जाय?

इसमें सन्देह नहीं कि नियोजन देश में, प्रदेश में हो रहा है। हम मानते हैं। लेकिन वह किसका नियोजन है? वह नौकरशाही के द्वारा निर्माण किया हुआ नियोजन है जो

बिलकुल पूरी तरह से खाऊ और दिखाऊ है। क्या किया गया है? जो किया गया है, सड़कों के सहारे उसे चलते फिरते लोग देख सकते हैं। ऐसे खाऊ और दिखाऊ नियोजन से देश संतोष नहीं पा सकता है और न कोरे नारों से ही सन्तोष पा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में "अन्न उपजाओ" आन्दोलन चला और इसमें सन्देह नहीं कि यह केवल किसानों को बरबाद कर रहा है, मैं इसके लिये मिसाल देता हूं। हमारे पास अभी अहारन की एक रजिस्ट्री चिट्ठी आई है। हरिजनों के लिये पानी पीने के लिये कुएं तक नहीं हैं। वे पानी के लिये परेशान हैं और सरकार गर्व करती है कि उसने समस्या हल कर ली है। जिस देश में किसी भी व्यक्ति के लिये पीने को पानी की व्यवस्था न हो उसके नियोजन से क्या लाभ है? यह पूंजीपति नियोजन और नौकरशाही नियोजन है। इन्होंने बहुत से शहर आबाद किये लेकिन हमारे लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे सके हैं। हां, तो मुझे अभी अहारन से खबर मिली कि एक मस्जिद के पास नवाब का बनवाया हुआ कुआं है जिससे लोग पानी भरते थे। वहां एक पुलिस के अफसर पहुंचे जो मुसलमान हैं। उन्होंने लोगों का कुंओं से पानी भरना बन्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो पानी भरना बन्द करो या मुसलमान हो जाओ। ऐसी हालत में यह निकम्मी नौकरशाही कुछ भी नहीं कर रही है। यह स्थिति इस सरकार के नियोजन की है।

खैर, मैं इसकी विस्तार से आलोचना नहीं करूंगा। परन्तु मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछली बार भी मेरे द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये। फिर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि देश मजबूत बने। तरह तरह की जो उद्योगशालायें सरकार ने खोल रखी हैं लेकिन महज कुछ थोड़े से लोगों को रोजी देने के लिये, कुछ लोगों को खिलाने-पिलाने की गरज से। उनमें कितना कार्य हो रहा है? क्या हो रहा है, वह तो मैंने बता ही दिया कि केवल खाऊ और दिखाऊपन का कार्य है। मैं बड़ी आशा के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश बलवान बने तो यह अरबों खरबों मन जो हड्डी यहां से विदेशों में चली जाती है उसको बंद कीजिये। डालर के लोभ में आप इनको न बेचिये। मैं देखता हूं कि रोज-रोज आपकी यह डालर की भूख बढ़ती जा रही है और देश तबाह होता जा रहा है। इसलिये इस हड्डी को बाहर जाने से रोक दीजिये। अमेरिका की एक पत्रिका मैंने पढ़ी कि अब अमेरिका में ६ फीट के बजाय ७-८ फीट के आदमी हो जायेंगे। सारे यूरूप के देशों में और अमेरिका में अच्छे अन्न पानी और खाद की व्यवस्था है और इसीलिये लोगों का स्वास्थ बढ़ रहा है। अच्छा अन्न पैदा करने वाली इस असली चीज हड्डी को आप बेचिये नहीं, तभी यहां, के लोग बलवान और चरित्रवान बन सकते हैं।

पीने के पानी के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। आप अपनी प्लानिंग ऐसी बनाइये जिसमें कोई गांव भी ऐसा न हो जहां लोग पीने के पानी के लिये तरसें। खासतौर से हरिजनों, हाबूड़ों, कंजड़ों, धानुकों मेहतरों और अन्य छोटी जातियों के लिये पानी का प्रबंध होना चाहिये। जिस देश के लोग पीने के पानी के लिये तरसें, यह कैसा नियोजन है? इन नीचे की कौमों की महिलायें कहीं कहीं तो कीचड़ सनना पोखरों का पानी पीकर रह जाती हैं, कहीं लोग प्यासे मरते हैं। इसलिये कुओं का नियोजन पहले कीजिये, खासतौर से हरिजनों के लिये। छोटे-छोटे जलाशय और बंधियां बनाइये और इस नियोजन का काम नौकरशाही के ऊपर न छोड़िये बल्कि जनसेवकों, ग्राम सभाओं और श्रमदानियों के हाथ में दीजिये। आपके जो भी कार्य हों उन्हीं के द्वारा कराइये। अगर वे खायेंगे भी तो बहुत थोड़ा खायेंगे लेकिन केवल दिखाऊपन की बात न होगी, उसको तो हम और सब ही देख सकेंगे। आप केंद्रीय सरकार से भी सिफारिश करें कि वे भी ऐसा आयोजन बनायें जिससे देश में वास्तविक रूप से जान आये।

आपकी नहरें कभी चलती हैं और कभी नहीं चलतीं, उनके विषय में अन्य साथियों ने काफी कह दिया है, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन हमें इन बातों को जरूर सोचना

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

है कि अन्न की समस्या और पानी की समस्या हमारी प्रारंभिक समस्यायें हैं। खाने-पीने के मामलों का हल पहले होना चाहिये।

इसके बाद शिक्षा के लिये जो प्राथमिक पाठशालायें हैं उनकी दशा को देखिये, उनकी भी बड़ी दुर्दशा है। जो देश के भावी निर्माता हैं उनकी हालत यह है कि उनकी तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती है, पाठशालाएं नहीं हैं, कहीं बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं और लखपतियों, सूदखोरों तथा मिल मालिकों और पैसे वालों के लड़के नैनीताल, मंसूरी और ग्वालियर पढ़ते हैं। गरमी में ठंडा पानी पीते हैं और जाड़ों में गरम गुसलखाने उनको उपलब्ध हैं लेकिन यहां पीने के लिये पानी भी नहीं है। इसलिये शिक्षा को भी पुनः नियोजित कीजिये। आपकी शिक्षा सुनियोजित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात शिक्षा के अनुदान के समय ज्यादा मौजूं होती। शिक्षा की ग्रांट पर बोलने की इस वक्त मैं इजाजत नहीं दूंगा। फिर समय का भी आपको ध्यान रखना है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—शिक्षा का भी नियोजन से ताल्लुक है। तो मैं यह कह रहा था कि छोटे उद्योगों के शिक्षालय आपको बनाने चाहिये और अधिकांश निर्माण कार्य आपको निकम्मी नौकरशाही, नवाबशाही, नवनिर्मित नेताशाही द्वारा नहीं चलाने चाहिये बल्कि समाजसेवियों के सहारे उनको चलाना चाहिये, समाजसेवियों से भी इसमें सहायता लेनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, पथभ्रष्ट समाजवादियों से, यह आशा नहीं करता हूं कि वे नौकरशाही द्वारा अब जनता का शोषण न करायेंगे बल्कि जनसेवियों को उसकी सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। हां, अगर ऐसा किया गया तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि चाहे और कुछ हो या न हो लेकिन समाजवादी व्यवस्था की कुछ बुनियादी आवश्यकतायें भी हैं। अस्तु आयोजन नीचे से होना चाहिये, गांव गांव से होना चाहिये। आज कई स्थानों पर यह देखने में आता है कि विशेष तरीके से बड़े सुन्दर-सुन्दर स्थान बने हुये हैं और कहीं पर पानी के लिये लोग तरसते हैं, तो इस प्रकार का आयोजन कोई समाजवादी सरकार नहीं कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि समाजवाद का नारा लगाने वाले ही, जिनके अन्दर बड़े-बड़े वकील, बैरिस्टर और व्यापारी आदि हैं, वे ही इस तरह का विचार सोच सकते हैं। वे लोग केवल नारा लगा कर प्रदेश का या देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं बल्कि अपना ही निर्माण कर सकते हैं। यह मेरी प्रार्थना है कि ग्रामीण जनता के लिये भी निर्माण कीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक शब्द में जो कटौती का प्रस्ताव श्री यादव जी ने उधर से रखा है, पहले मैं उनकी एक दो बातों का जवाब देने के बाद अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्लानिंग की जो उन्होंने परिभाषा की और जो उसकी रूपरेखा बतलायी, उस सम्बन्ध में चीन का नाम लिया और उन्होंने कहा कि यह प्लानिंग ऐसी नहीं है जैसी कि कुमारप्पा साहब चाहते हैं या जिस तरह से चीन में या रूस में प्लानिंग चल रही है। यह सही है कि रूस में ही नियोजन की भावना पहले-पहले प्रारम्भ हुई और रूस ने एक योजना लेकर अपने देश को सम्भालने और उसे बनाने की योजना प्रस्तुत की और वह उसमें सफल हुआ। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि रूस में जहां कि साम्यवादी सरकार है, और जहां का नियंत्रित समाजवाद है, क्या उसे आप पीपुल्स प्लान कह सकते हैं या हमारे भारत में जो प्रजातांत्रिक सरकार है और यहां पर जो भाषण स्वातंत्र्य था और स्वातंत्र्य है, वहां के प्लान को पीपुल्स प्लान कह सकते हैं? अगर प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाय कि हर चीज को वह अपनी दृष्टि से ही देखे और सोचे तो कोई भी आयोजना ढंग से नहीं चल सकती है। विरोधी दल के लोग आज उसका दुरुपयोग भी करते हैं और इस सम्बन्ध में अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और योजना की टीका-टिप्पणी भी करते हैं। असल में उसी योजना को पीपुल्स

प्लान कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिलता है। इस तरह का यहां सबको अधिकार है। हमारे यहां की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह बात दिखायी पड़ती है और मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर इस योजना के सफल होने में किसी तरह की दिक्कत आती है या वह टार्गेट प्राप्त नहीं होता है तो यह विभिन्न राजनीतिक दलों के जो विरोधी लोग हैं, उनके कारण ही यह दिक्कत हो सकती है। बंगाल फेमिन इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसका जिक्र बार-बार माननीय गेंदा सिंह जी करते हैं, उससे मैं दो एक लाइन आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें बतलाया गया है कि जहां ऐसी व्यवस्था होती है जिस परिस्थिति में गड़बड़ी हो तो वहां जनता का सहयोग लेना आवश्यक होता है। जब बंगाल में मूल्य बहुत बढ़ गया और साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसे संभालना मुश्किल हो गया तो सरकार को यह दिक्कत पैदा हुई। पेज १०७ पर है—

"Society, together with its organs, failed to protect its weaker members. Indeed there was a moral and social breakdown as well as an administrative breakdown."

श्रीमन्, प्रजातांत्रिक सरकार में तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें जनता का सहयोग नहीं हो, सभी समाजसेवियों का सहयोग न हो। इस तरह से हम अपने प्रदेश के नियोजन को पीपुल प्लान मानते हैं। श्री चन्द्रजीत यादव ने सुझाव दिया कि रूस और चीन में लिमिटेड नियोजन है, जो नियोजन कुछ लोगों तक ही लिमिटिड हो उसे पीपुल्स प्लान कैसे कहा जा सकता है? वास्तव में हमारा जो प्लान है वही पीपुल्स प्लान है। श्रीमन्, जिस तरह से यहां पर टीका टिप्पणी की जाती है, या की गयी है मेरे खयाल से वह संगत नहीं है।

श्रीमन्, सरकार को उत्पादन बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। हमारे १४ पूर्वी जिले जो अभावग्रस्त हैं, और पहाड़ी जिले भी अन्नाभावग्रस्त हैं, जिनकी तरफ सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारा कहना यह है कि बंगाल में सन् ४३ में फेमिन पड़ा तब से वहां की खाद्य समस्या अब तक संतुलित नहीं हो सकी। सन् ५२, ५३ से लेकर ५४ को छोड़ कर पूरब के १४,१५ जिलों में बराबर अन्न की कमी रही है इसलिये हमारा सुझाव है कि उसके लिये कोई योजना लागू करनी चाहिये जिससे वह समस्या हल हो जाय। हमारे यहां पूर्व के जिलों में डेनसिटी आफ पापुलेशन का भी प्रश्न है। मेरे पास अशोक मेहता इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने आंकड़े दिये हैं कि पूर्वी जिलों में आबादी ८३३ पर स्क्वायर माइल है और बाकी उत्तर प्रदेश में वह है ४६८ पर स्क्वायर माइल और पूरे यू० पी० का औसत है ५६७ पर स्क्वायर माइल और अगर पूरे भारत का हिसाब लगाया जाय तो वह २८१ प्रति वर्गमील है। यह आबादी मिर्जापुर को अगर छोड़ दिया जाय तो यह ९४२ प्रति वर्ग मील है और अगर बलिया को देखा जाय तो वह १,००० से ऊपर आती है। अब मैं आप को कल्टिवेटेड एरिया पर कैपिटा बताता हूं जिलों का, जो इस प्रकार है। गोरखपुर व देवरिया का मिला कर है सन् २१ में ७३.७, ४१ में ५४.८ और ५१ में ५०.१ परसेंट, बस्ती में है २१ में ६६.५, ४१ में ६०.३ और ५१ में ५६.७, आजमगढ़ में है २१ में ५८.३, ४१ में ५२.४ और ५१ में ४८.० इस तरह से हम देखते हैं कि इन पूर्वी जिलों में कल्टिवेटेड एरिया पर कैपिटा घटता चला जा रहा है और पापुलेशन का भार बढ़ता गया है। अगर हम सन् ५५-५६ की औसत पैदावार देखें तो पता चलता है कि गोरखपुर में गेहूं पर एकड़ हुआ ६८१ पौन्ड, चावल ५३३ पौन्ड, बार्ली ५५४ पौन्ड, देवरिया में गेहूं ६७१ पौन्ड, राइस ४३९ पौन्ड, बार्ली ६१५ पौन्ड पर एकड़, बस्ती में गेहूं ६८१ पौन्ड, राइस ५०७ पौन्ड और बार्ली ४६७ पौन्ड पर एकड़। इस तरह से आप देखें कि क्रमशः ईल्ड पर एकड़ घटती जा रही है। इसके सुधार के लिये उन्होंने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि हमें खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये। सही प्लानिंग के माने यही हैं कि सब से प्रथम

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

हम अपनी खाद्य स्थिति को सुधारें, क्योंकि बिना उसको सुधारे हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। "फर्स्ट थिंग फर्स्ट" यह बहुत जरूरी चीज है। मैं इस खाद्य स्थिति को सुधारने के विषय में अपने दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। जमीन का बटवारा तो सम्भव नहीं है, वैसे ही बहुत फ्रेगमेंटशन है। तो मेरा सुझाव है कि दो मुख्य फसलों के अलावा बीच में हमें ऐसी क्राप्स बोना चाहिये कि जिससे एक फसल अधिक पैदा हो सके ताकि अधिक अन्न पैदा हो। दूसरा सुझाव यह है कि हमें इनटेंसिव कलटिवशन करना चाहिये जिससे खेतों में अधिक अन्न पैदा हो। तीसरा सुझाव यह है कि हमें कोई ऐसा सबसीडियरी उद्योग लोगों को देना चाहिये जिससे खाली समय में भी गांव के लोग कुछ कमा सकें। इसलिये छोटे उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बड़ी भारी समस्या हमारे सामने देहातों की बनी रहेगी। जब तक हमारे यहां अन्न वस्त्र आदि की कमी है तब तक हमें अपने प्लानिंग की व्यवस्था में इनकी ओर ही प्रथम रूप से ध्यान देना होगा। इन दोनों चीजों की ओर हमें और प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा।

एक मसले की ओर हमें और विशेष ध्यान देना है, भुखमरी का मसला १०–१२ जिलों में करीब करीब हमेशा ही सुनने में आता है। बंगाल फेमीन कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें फेमीन की परिभाषा दी हुई है, उसमें बताया गया है कि फेमिन का मतलब क्या है? फेमीन का मतलब यह है कि अगर क्रमशः बहुत दिनों से कम भोजन मिलता हो और बराबर कम भोजन मिलते रहने की दशा में जरा सी कहीं अव्यवस्था हो जाय तो यह कहना कि वह बीमारी से मर गया या उसमें भुखमरी का अंश नहीं था, यह बड़ा कठिन है। यह उन्होंने कहा है जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि डाक्टस को इन्वेस्टीगेट करना पड़ेगा और यह कहना बड़ा मुश्किल हो जायगा कि वह अपनी स्वभाविक मृत्यु से मरा या कैसे मरा? यह समस्या सदन में बराबर आती है। यह उन्होंने बताया है कि क्या उस मृत्यु को हम स्वाभाविक मृत्यु कह सकते हैं? यह आथारिटेटिव रिपोर्ट है—

"The economic level of the population previous to the famine was low in Bengal, as in the greater part of India. Agricultural production was not keeping pace with the growth of population. There was increasing pressure on land which was not relieved by compensatory growth in industry. A considerable section of the population was living on the margin of subsistence and was incapable of standing any severe economic stress. Parallel conditions prevailed in the health sphere; standards of nutrition were low and the epidemic diseases which caused high mortality during the famine were prevalent in normal times. There was no margin of safety as regards either health or wealth."

तो इंडस्ट्री देकर के मार्जिन आफ सेफ्टी दे दें। वैसे तो कहा जा सकता है बहस के लिये लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या खाने से मर गया और किन कारणों से मरा? इसलिये मैं आपके द्वारा प्रशासन का ध्यान इस तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि खाद्य वाली समस्या को प्राथमिकता दी जाय और छोटे-छोटे उद्योग वहां दिये जायं। उधर के जिलों में छोटे उद्योग नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स दीं। लेकिन उन चौदह, पन्द्रह जिलों को केवल एक एस्टेट मिली। छोटे–छोटे उद्योगों में केवल एक चरखा चलता है। वह भी बहुत जगह सफल नहीं हुआ। यह कठिनाई ऐसी है कि जिससे जो स्केयर्सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिनके कारण हमारे प्रदेश का नियोजन ठीक चल नहीं पा रहा है और आपके द्वारा मैं सुझाव देना चाहता हूं प्रशासन को कि इस तरफ विशेष ध्यान देकर के उस हिस्से को इंडस्ट्रिअलाइज करें और इंटेसिव कल्टीवेशन करें। सबसीडियरी प्राडक्ट्स तैयार करें। ऐसी खाद, ऐसे मैन्योर्स, ऐसे इम्पलीमेंट्स वगैरह दें जिससे कि काफी पैदावार बढ़ सके। इसी इन्क्वायरी कमेटी में अशोक मेहता ने लिखा है कि १७ फीसदी

पढ़े-लिखे आदमी गांवों से निकल कर शहरों में जाकर बस रहे हैं। खेती में रुचि नहीं हो रही है। इन सुझावों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचारों को रख सकूं।

श्री हीरो लाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज पेश किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं उसके सम्बन्ध में माननीय यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस मुल्क में या हमारे प्रदेश में जो नियोजन का काम हो रहा है उसका उद्देश्य एक ही है कि इसमें प्रदेश के रहने वाले साधारण से साधारण जो नागरिक हैं जो देहात के रहने वाले हैं, उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, उनकी माली हालत अच्छी हो। इस उद्देश्य को लेकर के यह नियोजन का काम चल रहा है और इतना बड़ा अनुदान यह पेश किया गया है। श्रीमन्, मेरा एसा ख्याल है कि किसी मुल्क में या किसी प्रदेश में नियोजन या उसकी तरक्की पैसे के बल पर ही नहीं हो सकती या चन्द कुछ अधिकारियों के सहारे उस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। उसकी तरक्की के लिये यह जरूरी होता है कि उस प्रदेश में जो करोड़ों इन्सान रहते हैं उनकी विचारधारा में परिवर्तन किया जाय। उनका दिल-दिमाग इस नियोजन के काम के लिये, प्रदेश की तरक्की के लिये तैयार हो और तभी सच्चे माने में किसी भी प्रदेश का, किसी भी समाज का नियोजन ठीक ढंग से चल सकता है और विकास के काम आगे बढ़ सकते हैं। परन्तु हमें देखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में इस कार्य में कहां तक सरकार सफल हुई है? वह जनता के दिलों को अपने नियोजन के कार्यों की तरफ कितनी लगा सकी, जनता की इधर रुचि कहां तक पैदा कर सकी? जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो इसका पूरा अभाव पाते हैं। प्रदेश की जनता के अन्दर अभी यह भावना नहीं जागृत हो सकी है कि इस नियोजन के कार्य को हमें खुद करना है, नियोजन के कार्य हमारे लिये हो रहे हैं और इसमें हमें योगदान देना है। श्रीमन्, हमारे जो अफसरान हैं, बी० डी० ओज०, ए० डी० ओज०, बी० एल० डब्ल्यू० यह सब इस काम में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुये हैं और इसलिये नहीं हुये हैं कि वह लोग देहात में रहने वाले गरीबों और अशिक्षितों के बीच में खप नहीं पाये हैं। उनके अन्दर उस देहाती जनता से मिल कर काम करने की भावना नहीं पैदा हुई है। वह लोग देहातों में जाते हैं तो उनके अन्दर यह भावना रहती है कि वह गांव वालों के ऊपर हुक्म चला करके काम करने के लिये आये हैं, उनकी वेशभूषा, रहन-सहन गांव वालों से अलग होता है। गांव वाले अपने दिल की बात उन तक पहुंचाने में हिचकते हैं।

जो नाइट हाल्ट का हुक्म इन लोगों के लिये है उसका ठीक तरह से वह पालन नहीं करते हैं। वह गांव वालों के बीच में रहना पसन्द नहीं करते हैं। दौरा करने निकलते हैं तो सुबह चलते हैं और शाम को अपनी जीप से अपने हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं। डायरी में जरूर लिखा होगा कि हमने फलां गांव में नाइट हाल्ट किया और यह काम किया। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को और सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस काम की बहुत बड़ी कमी है और यह अफसरान अपने को गांव वालों के स्तर पर लाने में बिलकुल ही असमर्थ पाते हैं और उनके और गांव वालों के बीच में बड़ा फर्क है।

गांव पंचायतें हैं उनको अपने विश्वास में लेने के लिये, उनको क्रियाशील बनाने के लिये उनके जरिये से योजनायें बनाने का काम, मैं कहना चाहता हूं, नहीं होता है। हर बी० एल० डब्ल्यू० बैठ करके कुछ आंकड़े, कुछ योजनायें बना लेता है और उस पर सभापति के दस्तखत करा कर सामने रख देता है। पूरे गांव की उसके अन्दर जो उनकी छोटी-छोटी समस्यायें होती हैं उनको गांव वालों के जरिये से उठाया नहीं जाता है, उसके लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने के लिये, अपने कागजों की खाना पूरी करने के लिये वह ऐसा करता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि गांव पंचायतों को गांव के उत्थान के लिये

[श्री होरीलाल यादव]

क्रियाशील किया जाय। गांव पंचायतों की छोटी से छोटी जो आयोजना हों उनको कार्य-रूप में परिणत करने के लिये सरकार की तरफ से, इन अफसरों की तरफ से पूरी कोशिश की जाय ताकि उनके अन्दर विश्वास पैदा हो कि हमारे द्वारा उठाये हुये काम को सरकार पूरी तरह से पूरा करगी। मैं श्रीमन्, आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि ऐसी जगहें हैं जहां पर गांव वालों ने बहुत बड़ा श्रमदान किया, हजारों आदमियों ने मिल कर काम किया और यह कहा गया कि इसको पक्का किया जायगा, लेकिन राज-घराने के जो लोग हैं उनके कोप के भाजन यदि वह हो जाते हैं तो वह श्रमदान के कार्य ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। अफसरान भी उनसे डर कर कोई कदम उस सिलसिले में उठाने को तैयार नहीं होते। वे सोचते हैं कि राजघराने के लोग नाराज जो जायेंगे तो फिर उनका रहना ही दुश्वार हो जायगा। लिहाजा जनता चाहे उनसे नाराज बनी रहे वे राजघराने को खुश रखने की चेष्टा करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह तरीका बन्द किया जाय और जहां पर आश्वासन दिया जाय कि अमुक काम पूरा करेंगे या श्रमदान के जरिये करेंगे तो उस काम को पूरा करने की कोशिश की जाय और उसे पूरा कराया जाय। यह भी देखा गया कि श्रमदान के जरिये से जो काम होता है वह एक साल के बाद दूसरे साल खत्म हो जाता है।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि श्रमदान के बाद नियोजन अधिकारियों के जरिये काम इतने नीचे स्तर के होते हैं जिस से जनता का विश्वास नियोजन की तरफ से बिलकुल हटता चला जा रहा है। उसमें इतनी गड़बड़ी होती है कि जिस को देखकर जनता के दिल में यह खयाल पैदा होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसा काम हमारे गांव में किया गया, वैसा ही किया जाता है। इसलिये गांव में जो काम कराया जाय वह बहुत अच्छा और मजबूत काम हो जिस से जनता के ऊपर एक अच्छा असर पड़ सके कि जो काम हो रहा है वह हमारे फायदे के लिये, हमारे गांव की तरक्की के लिये हो रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये सरकार की तरफ से तकावी दी जाती है। जो दरख्वास्तें दी जाती हैं गांव वालों की तरफ से अधिकारियों की ओर से बहुत दिनों तक तो सुनवाई नहीं होती और वे वेरीफाई नहीं हो पाती हैं और अगर वेरीफाई हो जाती हैं तो मार्च के महीने में तकावी बटने लगती है। एक तरफ तो काश्तकारी के लिये, अच्छे औजार के लिये और कुंयें बनाने के लिए तकावी दी जाती है और दूसरी तरफ अल्पबचत योजना में नेशनल सेविंस सार्टिफिकेट्स में उनसे ले ली जाती है? या फिर लेने वाले १ आने के ब्याज पर देहात में उस रकम को उठा देते हैं और इस बात की कोई निगरानी नहीं होती कि काम पूरा हुआ है या नहीं। लिहाजा मेरा सरकार से यह निवेदन है कि काश्तकारी की तरक्की के लिये जो तकावी दी जाती है उसे पैसे के रूप में नहीं देना चाहिये, उसको साधन के रूप में, मेटीरियल के रूप में देना चाहिये ताकि उस सामान को लेकर जो काम वह करना चाहता है उसे वह कर सके। कुंआं अगर उसे बनाना है तो ईंट और सीमेंट उसे दिया जाय। औजार अगर उसे चाहिये तो सरकार औजार खरीदकर उसे दे। ट्रैक्टर अगर कोई खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर के लिये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में तकावी दी जाती है, तो सरकार उसे ट्रैक्टर खरीदवा दे।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय खत्म हो गया।

***चौधरी दाताराम** (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियोजन का, अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसमें तो कोई दो रायें नहीं हैं कि नियोजन से हमारे प्रदेश की तरक्की हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और ग्रामों में जो तरक्की हुई है उसमें किसी को मतभेद करने की गुंजायश नहीं है हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि कोई भी काम हो उसमें कुछ न कुछ कमी तो रह ही सकती है।

लेकिन क्या माननीय सदस्य इस बात से इन्कार करेंगे कि जो गांव पहले बहुत बुरी हालत में थे या जिनमें जाने के लिये कोई रास्ते नहीं थे, गलियों में कीचड़ भरा हुआ था, आज उनकी हालत बहुत अच्छी बन गयी है, बशर्ते कि उन गांव वालों ने अपने गावों की तरक्की करनी चाही। जिन गांवों में संगठन है और जिन गांवों के लोग मिल कर काम करना चाहते हैं, आज मैं समझता हूं उनकी गलियों और रास्तों की और उनकी और तरह की तरक्की की बहुत अच्छी हालत है और वह बहुत अच्छी हालत में हैं। मेरा खयाल यह है कि क्या हम इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि इस विभाग के जरिये से गांवों में अच्छा बीज नहीं दिया गया है? क्या पशुओं की तरक्की के लिये अच्छे-अच्छे सांड़ हमने नहीं दिये हैं या और दूसरी तरक्की के काम हमारे गांवों में नहीं हुये हैं? हां, हुये हैं, चाहे हमने उससे कम फायदा उठाया हो या ज्यादा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि गांव वालों ने मिलकर काम किया है, अच्छा श्रमदान किया है वहां सरकार की तरफ से अच्छी इमदाद मिली है, एक तिहाई और दो तिहाई की इमदाद सरकार की तरफ से दी गयी है। मेरे क्षेत्र में, सहारनपुर जिले में तो अच्छे-अच्छे काम हुये हैं, बहुत सी जगह तो ऐसे ऐसे पुल बना लिये हैं नदियों के जो ५०–५०, ६०–६० हजार रुपये में बनकर तैयार होते हैं। कुछ इमदाद ब्लाक की तरफ से मिली है, कुछ पब्लिक ने चन्दा किया है, कुछ श्रमदान कर लिया है, इसलिये जहां पहले कहीं जाने के लिये रास्ता नहीं था, आज वहां पर रास्ते बन गये हैं, स्कूल खुल गये हैं, पाठशालायें खुल गयी हैं और दूसरे तरक्की के कामधाम हो रहे हैं। हां, जिन गांवों में झगड़ा है, जो तरक्की नहीं करना चाहते उनके लिये तो कोई जरिया हो नहीं सकता जो अख्तियार किया जाय।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो एक मीटिंग, डिवीजनल कानफरेंस के नाम से रायल होटल में बुलाई थी, उसमें कुछ हमने सुझाव दिये थे। मैं उन्हीं की बाबत कुछ चर्चा करना चाहता था। एक तो यह कि ब्लाकों में बहुत बढ़िया बिल्डिंग न बनवायी जाय, बल्कि जहां पर किराये से मिल सकती हों या सस्ते किस्म की हों, वह बनायी जायें, तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाना कोई हमारी तरक्की के अनुकूल नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि जो ग्राम सेवक और सेविकायें गांव में रहती हैं उनका रहन-सहन का स्तर बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिये जिस से कि वह तमाम गांव वालों से भिन्न से लगने लगें या गांव वाले यह समझें कि ये हमारे अफसर हैं, बल्कि उनका रहन-सहन और तौर-तरीका ऐसा होना चाहिये कि वह गांव वालों से मिलकर रहें और उन्हें अच्छी तरह से समझायें और गांव वाले भी उन्हें अपना हितैषी और भाई समझें।

तीसरी बात यह है कि इस बात में तो सब सहमत हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी वाले हों या अन्य पार्टी वाले, कि यह जो जीप दी गई है ब्लाकों में, चाहे यह अमेरिका से इमदाद में मिलती हो या रूस से, इसका दुरुपयोग होता है और इसका बहुत ही नाजायज इस्तेमाल होता है। इसे फौरन बन्द कर देना चाहिये। चाहे इसे हेड-क्वार्टर पर रखा जाय या किसी और तरह से इस्तेमाल हो, बहरहाल ब्लाक में नहीं रहना चाहिये, क्योंकि १०० गांवों के करीब एक ब्लाक में होते हैं और ५–७ मील से ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता है। जो उसका अधिकारी होता है वह सायकिल से बहुत अच्छी तरह से वहां जा सकता है। इसलिये उसे तो फौरन रोक देना चाहिये। मेरे खयाल में इस से सभी लोग सहमत हैं।

[चौधरी दाता राम]

एक बात मुझे यह और कहनी है, माननीय यशपालसिंह यहां से चले गये, उन्होंने एक बात कही कि १३-१३,१४-१४ साल के लड़कों से श्रमदान कराया जाता है और कुछ हरिजनों से भी श्रमदान कराया जाता है जिसके कारण बड़ा अत्याचार हो रहा है और बड़ी खलबली मची हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे आज मुल्क में इस तरह के बाबू पैदा करना चाहते हैं कि जो अपने काम में हाथ न लगायें ? क्या वे इस तरह का वातावरण यहां पैदा करना चाहते हैं कि बच्चों को काम करने में शर्म आये ? आज तो लाखों रुपये खर्च करके सरकार खेती के मास्टर स्कूलों में रखे हुये हैं महज इसलिये कि लड़के खेती करना सीख सकें, वे उस काम के करने में शर्म न महसूस करें और यहां यह दुहाई दी जाती है कि उनसे श्रमदान कराया जाता है। मैं समझता हूं यह बात ठीक नहीं है। हमें तो बच्चों को बेसिक तालीम के जरिये से शुरू से ही ऐसी आदत डालनी चाहिये जिस से वे अपने काम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, अपनी खेती का काम करें और दूसर धंधों का काम करें। यह नहीं होना चाहिये कि महज बाबू बनने के लिये उन्हें तालीम दी जाय। मैंने देखा है कि जिनके घरों पर कई-कई नौकर हैं वे आज ५०-५० रुपये माहवार की नौकरी के लिये जगह-जगह फिरते हैं। उसका यही कारण है कि वे अपने घर का काम नहीं करना चाहते।

तीसरी एक और बात जो सहकारी खेती के मुताल्लिक चन्द्रजीत यादव जी ने कही है वह मैं कह देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो लोग सहकारी ढंग से खेती करना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से पूरी इमदाद दी जाती है। किस कानून में है कि जो लोग सहकारी खेती करेंगे उन पर जुर्माना होगा या कोई और दंड दिया जायगा ? उन्हें तो तकावी और खेती के दूसरे साधन दे कर तरक्की दी जाती है। सरकार ने तो यह सिद्धान्त मान लिया है कि जो लोग सहकारी खेती करेंगे उन्हें हर तरह की सहूलियत दी जायगी। मैं तो यह कहता हूं कि मेरे जिले में जितने लोगों ने सहकारी खेती की है वे बुरी तरह से फेल हुये हैं, उनके खेती के साधन सब खराब हो गये हैं और उन्हें दोबारा जुटाने की जरूरत पड़ी। जो लोग सहकारी खेती का नारा लगाते हैं उन्हें चाहिये कि किसानों को रजामन्द कर लें कि वे सहकारी खेती करें। क्या यहां रूस की तरह से जबरदस्ती करके सहकारी खेती करायी जायगी ? यहां तो यह है कि अगर कोई सहकारी खेती करने के लिये रजामन्द हो जाय तो सरकार उनका उत्साह बढ़ायेगी न कि रूस की तरह उनकी जायदाद और बैल वगैरह छीन कर जबरदस्ती उनसे खेती करायेगी। बस मुझे यही कहना है।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस से पहले कि मैं अपनी मुख्य बात कहूं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। नियोजन के लिये हमें बहुत रुपये की जरूरत है, इसमें दो रायें नहीं हैं। तो कुछ काम हमारे ऐसे हो रहे हैं, जिनसे अगर बहुत ज्यादा रुपया नहीं भी बचाया जा सकता फिर भी उनको रोक देने से लोगों को नुक्ताचीनी करने का मौका नहीं रह जायगा और वह रुपया नियोजन के काम में लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये अभी ४५ हजार रुपया हमने अपर हाउस में सीटिंग अरेन्जमेंट के लिये खर्च किया है। अब इसके बाद में समझता हूं कि ३० लाख रुपये की बिल्डिंग उनके लिये बनवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि इस समय अगर हम लिफ्ट में न भी चलें और १०-२० सीढ़ियां चढ़ लें और उस पर खर्च होने वाला रुपया बच जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। ३,८७,००० रुपये का तखमीना लिफ्टों के लिये रक्खा गया है, यह फिजूल-खर्ची है। लोगों को नुक्ताचीनी करने का अवसर नहीं मिलेगा कि देखिये यह, यहां आकर दो कदम भी चलना नहीं चाहते हैं। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे सेक्रेटेरियेट, असेम्बली तथा विधायक निवासों में बहुत सी बिजली बेकार जाया होती है, पानी बरबाद होता है, इनमें भी बचत की जा सकती है। यह छोटी-छोटी चीजें हैं जिनमें काफी बचत की सकती है। अगर फर्नीचर पुराना हो गया है तो उसकी पालिश भले

ही करा ली जाय लेकिन एकदम नया खरीदने के लिये ९५,०००रुपये का प्राविजन रखना कहां तक उचित होगा ? यह बात समझ में नहीं आती है जब कि हमारी सरकार के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ गया है जो ३२८ करोड़ रुपया हो गया है ।

इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी मानेंगे कि इतना जरूर है कि प्लान को सरकार की कोशिशों के बावजूद जनता अपना नहीं सकी है । इसकी क्या वजह है ? आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम होता है वह सरकार की तरफ से " प्री अरेंजन्ड" होता है । जनता इसे अपना प्लान नहीं सोचती है । इस से सारा गुड़ गोबर हो जाता है ।

श्रीमन्, श्रमदान के बारे में दो रायें नहीं हो सकती हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा कि अल्मोड़ा और गढ़वाल में काफी श्रमदान हुआ और वहां लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है । वहां चट्टानें तोड़नी पड़ती हैं । लेकिन लोगों की आस्था इसलिये इससे घटती चली जा रही है कि एक अल्मोड़ा, लमगड़ा मोरनाली सड़क थी उसको टेकअप नहीं किया गया और दूसरी सड़क लकुवा-बागेश्वर सड़क का एलाइनमेंट ठीक नहीं किया गया । इसलिये लोगों की श्रमदान से श्रद्धा घटती चली जा रही है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जह इस पर दिलाऊंगा ।

श्रीमन्, यह जो दूसरा प्लान है इसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा तवज्जह दी गई है । श्रीमन्, मैं जंगलों में घूमा हूं और खुद अपने हाथ से कुछ पत्थरों (ओर्स) के नमूने लाया हूं । एक शीशे का ओर है । यह खरही, शीशाखानी, छानापानी और पगना में मिलता है । गवर्नमेंट आफ इंडिया के ज्योलोजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था । लेकिन वह लोग ऊपर की पपड़ी देखकर ही चले आये, आगे नहीं बढ़े । खरही, रीठागाड़ और कमस्यार की पट्टियों में जाकर मैंने वहां पर मैग्नेसाइट आदि की खोज की । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला और माननीय केशवदेव मालवीय जी को मैंने पत्र लिखा । मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मालवीय जी ने एक साल का और समय अपन ब्यूरो औफ साइन्स की टीम का, जो गिरेछीना में खोज कर रही है, बढ़ा दिया है । लेकिन जहां तक खरही, कमस्यार, रीठागाड़ में खोज का सवाल है, मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर ड्रिलिंग की मशीनें भेजकर इसका पता लगाया जाय । साढ़े तीन मील लम्बी एक पट्टी सीसा-खानी से छानापानी तक सीसे की है । इसका नमूना देखिये । दूसरे गहराई में डूबी हुई खरही आदि में तांबे की खाने हैं ।

यह तीसरी चीज सोने की तरह से चमकीली है । मैं कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं और बी० एस-सी० के याद किये सब फारमूले भी भूल गया हूं । मैंने विशेषज्ञों को दिखाया है । उनका कहना है कि इस ओर (ore) में गंधक और तांबा है । मैं खुद जाकर इस चीज को लाया था । इसके अलावा एक ओर डोलोमाइट (ore dolomite) का है । इसको मैं केन्द्रीय गवर्नमेंट की टीम के पास सोमेश्वर पर ले गया । उन्होंने बताया कि इसमें हाई परसेन्टेज आफ आयरन का है और यह धातु इस प्रकार की बहुत कम पायी जाती है । श्रीमन्, इसकी जांच होने की जरूरत है । श्रीमन्, मैगनेसाइट के लिये सारे बारामंडल दानपुर में भी जांच की जाय । मैंने पूछा कि यह क्या बला होती है, क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं, मैं तो सीधे कुली लेकर चल पड़ा और आठ-दस मील चलकर सरयू के किनारे चलकर आगे बढ़ता गया । आगे मैंने देखा कि मैगनेसाइट की पट्टी कहीं डूब गयी है और कहीं ऊंची उभर आई है । वह ज्योलोजिस्ट लोग वहां नहीं जा पाये । मेरा अंदाजा है कि २५-३० मील लम्बी यह धातु वाली जगह है । वहां का बहुत अच्छा मैगनेसाइट है । उन्होंने बताया कि हमारे देश में अन्यत्र यहां इतना अच्छा मैगनेसाइट नहीं मिलता है । अल्मोड़ा जिले के ore में कुछ परसेंटेज आफ आयरन का भी होता है । उन्होंने बतलाया कि ore में धातु ४७ परसेंट होता है । यह चीज मद्रास के ore से भी अच्छी है । इसकी जांच नहीं की गई है । इसको मैं आपके पेशेनजर करता हूं और इसलिये करता हूं कि आप जहमत फरमाकर जांच करायें । इसका calcination कम तापक्रम पर संभव होने से यह जिला सालेम, मद्रास के मैग्नेसाइट से सस्ता पड़ेगा ।

[श्री गोविंद सिंह बिष्ट]

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें और देखें कि इसका परसेन्टेज अच्छा है या नहीं। वैसे जो केन्द्र के लोगों ने जांच की है वह थोड़ी सी की है। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिपार्टमेंट आफ जुओलोजिकल सर्वे वालों से भी मिला था। उनका ऐसा गुमान है कि यदि खर्चे का ५० परसेन्ट प्रदेश की सरकार दे तब ५० परसेन्ट केन्द्रीय सरकार देगी और यह काम कुछ शुरू हो सकेगा। यह उनके अफसरों का खयाल था चाहे वह गलत हो या सही। यह उनका कहना है। लेकिन जरूरत तो असली यू० पी० सरकार को ही है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी पूरी जांच करायें।

दानपुर में फिटकरी भी बहुत ज्यादा नेचुरल फार्म में है। वहां पर एक पट्टी नाकुरी के होराली ग्राम में यह फिटकरी काफी तादाद में है। मैं एक पत्थर को तोड़कर यहां लाया हूं इसमें उसी तरह से कसैलापन है जो कि फिटकरी में होता है। मैंने इसको अनुभव करके देखा है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन सारे पहाड़ों की जांच करायें। मैं अपने साथ एक इस मिट्टी को भी लाया हूं जो बढ़िया चायना क्ले कही जा सकती है। इसकी भी अगर जांच की जाय तो यह चायना क्ले की तरह से है और इस से हमारा बहुत काम हो सकता है।

श्रीमन्, मैं आज किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं राजनीति को छोड़कर यह बातें कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुये टनकपुर-बागेश्वर की रेलवे लाइन को बनाने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं उनको इस बात को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पर रेलवे लाइन की सम्भावना पर फिर विचार किया जाय और इसको परसू किया जाय।

जो हमारे यहां मैग्नेसाइट ओर निकलता है उसको इस्तेमाल में लाना सस्ता पड़ेगा। भिलाई और दुर्गापुर में जो आयरन और स्टील बनेगा, वहां मद्रास का मैग्नेसाइट इसके मुकाबले में बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे यहां तो मैग्नेसाइट ओर को लो टैम्परेचर में कलशियेट करने से सस्ता पड़ेगा और मद्रास के मैगनासाइट ओर को हाई टैम्परेचर में कलशियेट करने से महंगा पड़ेगा। यहां पर वह कारखाने के निकट होने से भी सस्ता पड़ेगा। मद्रास इन कारखानों से दूर पड़ता है। लेकिन हमारे यहां केवल ९०मील की रेलवे लाइन बनाने से ही काम हो जायगा। यह खजाना मिल गया तो फिर हमारे प्रदेश की दशा बहुत जल्दी सुधर सकती है।

खरही से मैं अपने साथ गन्धक के भी नमूने लाया हूं। रूपकुंड की जड़ में भी बहुत ज्यादा गंधक वगैरह है। आपने वहां पर हड्डियों की तो जांच की, लेकिन कुछ माल की भी जांच कराइये। अल्मोड़ा और गढ़वाल में ये धातुयें बहुत मिलती हैं। सर्वे डिपार्टमेंट वहां खोला जाना जरूरी है। अन्यथा हजरतगंज की सड़क पर चलने वाले सर्वेयरों के कोमल कदम कठिन पर्वतों से डरकर वापस लौट आते हैं और वे उल्टी रिपोर्ट देते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरुड़ के करीब सर्वेक्षण का कार्यालय खोला जाय।

हमारे यहां कोसी, सरयू और नयार बड़ी नदियां हैं। उनके दोनों तरफ सोलिड राक हैं। यदि वहां पर बांध बनाया जाय तो उससे बहुत सस्ती बिजली तैयार हो सकती है। पहाड़ों से यह तमाम पानी आता है जिस से पूर्वी जिले भर जाते हैं। अगर वहां पहाड़ पर ही पानी को रोक दिया जाय तो उस से सस्ती बिजली भी मिले और पूर्वी जिलों में बाढ़ भी न आये और जो यहां पर कामरोको प्रस्ताव आते हैं वह भी न आयें। ये बांध रिहन्द से बहुत ही सस्ते पड़ेंगे व बिजली भी सस्ती होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने टूरिस्ट के विषय में कहा। यह सही है कि कुछ लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं और कुछ लोग काश्मीर जाते हैं। मैं कहता हूं कि काश्मीर तो हमारे यहां ही बन सकता है। यदि ग्लेशियर पर इस तरह के साधन, होटल वगैरह हो जायं तो स्विट्जरलैंड यहीं हो सकता है मगर पहाड़ के गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे वह होटल वगैरह का

इन्तजाम कर सकें। अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जह हो जाय और उन्हें मदद दी जाय तो वहां पर इस तरह का प्रबन्ध हो सकता है। श्रीमन्, मेरा यह बिलकुल ठोस सुझाव है कि इस प्रकार की बातों पर मंत्री जी ध्यान दें। मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन कहता हूं कि हर जिले में इंडस्ट्री अफसर इंडस्ट्रीयल लीनिंग्स का होना चाहिये जो हर आदमी नहीं हो सकता। अगर हमारे जिले से वर्तमान अधिकारी को बदल कर वहां ऐसा आदमी भेज दिया जाय जो उद्योग में दिलचस्पी ले तो वहां का अधिक लाभ हो सकता है। मैं यह शिकायत के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि इस तरह वहां कुछ काम ज्यादा हो सकेगा।

इसके अलावा फ्रूट प्रोसेसिंग का सवाल है। नालना स्थान पर बड़े-बड़े बगीचे हैं। नैनीताल को तो छोटा विलायत कहा जाता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और मदद भी, लेकिन अल्मोड़े जिले में ऐसी विलायत नहीं है, वहां भारत का वह नग्न चित्र है कि जो हमें प्रदेश में और सब जगह भी देखने को मिलता है। वहां की आबोहवा अच्छी है और बगीचे भी अच्छे हैं, इसलिये अगर वहां फ्रूट प्रोसेसिंग का इंतजाम कर दें तो उन लोगों का बड़ा भला हो और वे लोग आप को इसके लिये दुआयें देंगे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो अनुदान प्रस्तुत है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हम लोग इस समय योजना के युग से गुजर रहे हैं। पहली योजना बड़ी सफलतापूर्वक हमने पार की और वह कृषि प्रधान योजना थी। उस में जो हमारा फूड ग्रेन्स का लक्ष्य था उसको हम ने पूरा किया और पूरा ही नहीं किया बल्कि हम उससे भी आगे बढ़ गये। दूसरी योजना में हमने २४ लाख टन फूड ग्रेन्स बढ़ाने की बात रखी है और उसमें १९५६-५७ में हमने अपने लक्ष्य को ३.६ लाख टन बढ़ा कर पूरा किया है और इस तरह से ११८.३४ लाख टन फूड ग्रेन हम सारे प्रदेश में पैदा कर पाये। पहली तथा इस योजना में खेती पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मैं मान्यवर, बदायूं जिले से आ रहा हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां के ज्यादातर लोग खेती पर ही मुनहसिर करते हैं। मेरे जिले में ज्यादातर गन्ना, आलू और तिलहन की पैदावार होती है। मुझे दुख है कि मेरे जिले में चीनी मिल कोई नहीं है। मेरे जिले का गन्ना बरेली, एटा और मुरादाबाद को जाता है और वहां पर हमारे काश्तकारों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और अति शीघ्र वहां एक चीनी मिल खुलवाने की कृपा करें। इस के अलावा जो स्माल स्केल क्रिस्टल शुगर स्कीम है उसको अगर हमारे जिले में बढ़ावा दिया जाय और कोआपरेटिव बेसिस पर या लोन देकर वह खुलवायी जायं तो हमारे यहां की यह समस्या हल हो सकती है।

दूसरी समस्या मूमफली की है। हमारे यहां लाखों मन मूमफली पैदा होती है और वह ज्यादातर या तो तेल बनाने में काम आ जाती है या बाहर भेज दी जाती है। इसका लाखों मन छिलका बेकार जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर रिसर्च करावें और इसको या तो किसी इंडस्ट्री के काम में लायें अथवा कंपोस्ट तैयार करावें, तो अच्छा हो।

हमारे यहां तीसरी मुख्य पैदावार आलू की है और वह हमारे यहां बहुत पैदा होता है। इस वर्ष आलू में एक वायरस बीमारी लगी जिसके कारण आलू की तमाम फसल नष्ट हो गयी। मुझे दुख है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी जानकारी उनको नवम्बर में होने के बावजूद जनवरी अथवा फरवरी तक कोई काम नहीं किया गया ताकि वह फसल बच सकती अथवा वे किसान प्लान्ट प्रोटेक्शन अफसर से कोई सहायता ले सकते। यह बड़े दुख का विषय है। एक तरफ हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां इस तरह का काम में रोड़ा अटकता है उनको हटाने के लिये सरकारी अफसर जानते-समझते हुये भी ध्यान नहीं देते।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि प्लानिंग के अन्दर एक ओर तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि बड़े-बड़े बांध हों, लेकिन मेरे क्षेत्र पिपरौल ग्राम में एक बहुत बड़ा बांध सन् १९५६ में सैलाब से टूट गया था और उसमें ब्रीचेज हो गयी थीं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और मैंने लगातार यह कोशिश की कि वह बांध ठीक कर दिया जाय। रेलवे को लिखा गया तो उन्होंने कहा कि उससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। गवर्नमेंट को लिखा गया तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि उसका भी कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर तो नये नये बांध बनाये जाते हैं और लाखों रुपया उन पर खर्च किया जाता है लेकिन दूसरी ओर जो अच्छे बांध मौजूद हैं और जिनकी थोड़ा रुपया लगाकर ही मरम्मत की जा सकती है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके सहारे जो पेड़ लगे हैं, मालूम पड़ा है कि उनको फारेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिया है। वहां की घास वगैरह का ठेका भी फारेस्ट की ओर से ही होता है, लेकिन यह नहीं होता कि २-४ हजार रुपया लगाकर उस बांध को ठीक करा दिया जाय। लोग श्रमदान करने को भी तैयार हैं। अगर इस साल उसको ठीक न किया गया तो १०-१५ गांवों के चपेट में आ जाने की आशा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें और इस बांध को शीघ्र ठीक करायें।

एक और बात तकावी के बारे में कहना है। तकावी यहां से भेजी जाती है, गवर्नमेंट चाहती है कि तकावी दी जाय, कुयें बनें और गांव की हालत सुधरे लेकिन जिले के लोग साल भर तक बैठे रहते हैं। ३१ मार्च के करीब यह देखा जाता है कि चूंकि ऊपर से पूछा जायगा कि तकावी क्यों नहीं दी गयी। इसलिये उस समय किन्हीं लोगों को चाहे जरूरत हो या न हो, बुलाया जाता है और उनको वह सारी तकावी दे दी जाती है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा प्रबंध करे कि तकावी समय पर ही लोगों को दी जाय। तहसील में लोगों को परेशान किया जाता है तथा कुछ प्रतिशत भी उनसे काट लिया जाता है। इस चीज का भी उचित प्रबंध किया जाय।

इसके अलावा प्लानिंग से केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ज्यादातर उन्हीं लोगों को लाभ पहुंच रहा है जो बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो अच्छी जमानत दे सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको पूरी सहायता नहीं मिल पाती। इसलिये कोई न कोई इस किस्म का तरीका निकालना चाहिये कि जिन लोगों के पास जमानत का प्रबंध न हो, वे कलेक्टिव जमानत दे सकें और उनको लोन्स दिये जा सकें। इस समय समस्या छोटे-छोटे लोन्स की है। सूदखोरों की वजह से किसान परेशान हैं और छोटे किसानों को इससे ज्यादा दिक्कत है।

कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ बता देना उचित समझता हूं। हमारे जिले में कोआपरेटिव से कई सहकारी भट्ठे चल रहे हैं। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मेरी इस बारे में बातचीत हुई तो मुझे मालूम हुआ और यह जानकर ताज्जुब हुआ कि वहां १२ लाख के लगभग का गबन है। उझानी का एक सेल्समैन ३६ हजार रुपया खा गया। यह कितने ताज्जुब की बात है कि डी० सी० ओ० और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के होते हुये एक सेल्समैन ३६ हजार रुपया खा जाय। केस पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका चालान नहीं हो रहा है। लगातार यह कोशिश हो रही है कि शहादत खराब हो जाय और केस चालान न हो पाये। इन मामलों में जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये जिससे दोषी को पूरा दंड मिल सके।

इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां काटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिये। लोगों को लोन के रूप में काफी मात्रा में धन दिया जाना चाहिये। इसमें सबसे बड़ा हैंडीकैप बिजली की दरों का है। हमारे प्रदेश में बिजली की दरें अहमदाबाद, कलकत्ता और बंबई से बहुत ऊंची हैं। प्रोडक्शन कास्ट से बहुत ज्यादा बढ़ा कर पैसा लिया जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के जो लाइसेंसीज हैं, उनको बिजली काफी सस्ती पड़ती है और उनको यह आज्ञा है कि ५ प्रतिशत प्राफिट वे ले सकते हैं, खर्चे को काट कर। वे लोग ५ प्रतिशत मुनाफा तो

जरूर लेते हैं लेकिन अपने लड़के लड़कियों की शादी, मोटर आदि का खर्चा तथा और दूसरे बहुत से ऐक्सपेंसेज को खर्चे में शामिल कर देते हैं और उसमें ५ प्रतिशत का मुनाफा दिखाकर बिजली के रेट को ज्यादा ऊंचा कर देते हैं । जब जमीदारी खत्म हो गयी तथा और बहुत से बड़े-बड़े काम कर दिये गये तो फिर क्यों नहीं इन लाइसेंसीज की भी पेंशन समाप्त कर दी जाती । माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि बिजली के रेट्स का कम होना डेवलपमेंट के लिये बहुत जरूरी है और जल्दी से इन लाइसेंसीज को भी खत्म किया जाना चाहिए ।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि योजना के संबंध में दो ही बातें सत्य हैं । एक तो यह कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई और उसको जन-सहयोग न मिला तो भारतवर्ष का भविष्य अंधकारमय होगा । दूसरे प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल समाप्त हो चुका है तथा दूसरी योजना हमारे देश और प्रदेश में चल रही है किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि सरकार जनता का सहयोग प्राप्त करने में असफल रही है । उसके कुछ भी कारण हों, लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि मेरे विचार से योजना के सम्बन्ध में भली भांति प्रचार नहीं हो सका है । कुछ उच्च-स्तरीय साहित्य प्रकाशित किये जाते हैं, उसमें कुछ मंत्रियों के चित्र रहते हैं, कुछ स्लोगन्स रहते हैं, कुछ और बड़ी बातें रहती हैं, लेकिन जिस प्रान्त की अधिकांश जनता अपढ़ है और योजना का सामान्य अर्थ नहीं समझ पाती, वहां जिस प्रकार के प्रचार की जरूरत है, उपाध्यक्ष महोदय, वैसा प्रचार नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि सरकार भी इस बात से सहमत होगी कि ऐसी आयोजना के हर अंग और उपांगों को पूरा करने में जन-जन के सहयोग की आवश्यकता है । इसके लिये जनता के स्तर पर प्रचार होना चाहिये जिससे सभी समझने लगें कि आयोजना की सफलता न केवल हमारे प्रदेश की प्रत्युत समूचे देश की सफलता है जिसका लाभ हमारी भावी सन्तानें भविष्य में उठायेंगी । किन्तु इसके लिये श्रीमन्, साहित्यिक प्रचार के अलावा कुछ और भी बातों की आवश्यकता है, जैसे हमारे जितने भी विभाग हैं, उन सब की नीतियों में परस्पर समन्वय हो । हमारे माननीय श्रीकृष्ण जी ने उदाहरण के रूप में कहा कि यद्यपि हमारे प्रान्त में पिछले ६–७ वर्षों से निरन्तर नारा लगता है कि खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर होना चाहिये लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि केवल गेहूं या और किसी अनाज में ही आत्म निर्भर होना चाहिये बल्कि और सभी वस्तुएं जो हमारे व्यवहार में आती हैं, उनमें भी आत्म निर्भर होना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आलू की खेती के सम्बन्ध में ही बतलाऊं कि उसमें कितना ज्यादा पैसा लगता है । हमारे अनेक विभाग हैं, तथा कृषि के सम्बन्ध में भी इसी सदन द्वारा लाखों और करोड़ों रुपया मंजूर होता है, लेकिन हमने देखा कि हमारे डिवीजन में आलू की खेती के अन्दर एक ऐसी बीमारी पैदा हुई जिसने उसको चौपट कर दिया और जगह भी ऐसा हुआ होगा । इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये नष्ट हो गये । इस विभाग को चाहिये था कि वह साहित्य के द्वारा या और किसी तरह से किसानों को सतर्क कर देती कि ऐसा पता लगा है कि इस तरह की बीमारी पैदा हो गई है जिसके लिये कापर की दवाओं का प्रयोग किया जाय तो उससे इस खतरे को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । हम देखते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी राज्य के जमाने में विभाग के अन्दर काहिलपना था, वही आज भी कायम है ।

श्रीमन्, बहुत दिन पहले रूरल डेवलपमेंट स्कीम नाम की एक योजना चालू की गयी थी जब कि यह देश गुलाम था । उसके अन्दर कहा तो यही जाता था कि देहाती इलाके के लिये यह काम किया जाय, वह काम किया जाय, लेकिन सरकारी सहायता नाम मात्र को रहती थी, बिलकुल वही चीज आज इस नियोजन में चल रही है । अनेक विभागों के अन्दर जो परस्पर सहयोग होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । अगर उनमें आपस में सहयोग हो तो वह आयोजना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आगे बढ़ सकती है । जब तक उनमें पारस्परिक सहयोग नहीं

[श्री रामकुमार वैद्य]

होगा तब तक कृषि सम्बन्धी या कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है । श्रीमन्, कृषि के साथ-साथ और भी चीजें हैं, जैसे उद्योग ही है । जब उद्योगों की तरफ ध्यान दिया जायगा तभी प्रदेश की उन्नति हो सकती है । इसके अतिरिक्त गृह उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ा कर हम प्रदेश की आय को बढ़ा सकते हैं । श्रीमन्, उद्योगों की तरक्की के लिये इस आयोजना में कितना ध्यान दिया गया है, अगर इसका वर्णन किया जाय तो इस आदरणीय सदन का समय नष्ट होगा ।

कहा जाता है कि अम्बर चर्खे का प्रचार किया जा रहा है । श्रीमन्, ठीक है अम्बर चर्खे से कुछ लोगों को काम मिल सकता है जिनके पास और कोई साधन नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ और जो छोटे-छोटे गृह उद्योग और कुटीर उद्योग हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । लेकिन मैं देखता हूं कि अनेकों प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जो स्थानीय स्थिति को देखते हुए जहां-तहां स्थापित किये जा सकते हैं । आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुये ही कोई योजना बनानी चाहिये, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ नहीं है । उदाहरण के लिये मैं अपने क्षेत्र की ही एक बात निवेदन करूंगा । मेरा क्षेत्र अमरोहा कपड़े की बुनाई और छपाई के काम में एक विशिष्ट स्थान रखता है, आज से नहीं बहुत पहले से वहां यह काम होते हैं । यद्यपि वहां पर दो सामुदायिक विकास क्षेत्र हैं एक अमरोहा और दूसरा जोया विकास केन्द्र है, लेकिन मुझे यह कहते हुये दुख है कि वहां पर कपड़े की बुनाई छपाई उद्योग के लिये कोई प्रेरणा सरकार की ओर से नहीं मिलती । कहा जाता है कि यह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कार्य है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों से कहते हैं तो वह और आगे की बात कहते हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक हम जनता के हित के लिये अपने सारे साधनों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती और साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि भले ही अन्य विभागों में कुछ भी हो, सामान्य शासन के सम्बन्ध में कुछ भी बहस होती हो, लेकिन जहां तक योजनाओं और विकास सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है उनमें यदि कोई नौकरशाही का दोष हो या उनकी ओर से कोई कानून विरोधी काम होता हो तो वह क्षमा नहीं किया जाना चाहिये । साथ ही हमें समस्त विभागों की नीतियों का पूर्ण सामंजस्य और सहयोग प्राप्त होना चाहिये और जनता का भी उसमें अधिक से अधिक विश्वास और सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये ।

मैं विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी इस समय २ शब्द कहना उचित समझता हूं । यद्यपि हमारे यहां जो विकास खंड खुले हैं उनमें अनेक कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इस से जनता पर एक भय सा होता है और जनता पर उसका एक प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक सा प्रभाव पड़ता है । यद्यपि इस विभाग का ध्येय पहले यही था कि सब विभागों के कार्य को एक स्थान पर लगाकर सुनियोजित ढंग से चलाया जाय, लेकिन अब अलग-अलग विभाग बनते जा रहे हैं और इस तरह से नौकरशाही बढ़ रही है । यदि हमें जन-कल्याणकारी राज्य बनाना है और जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने के लिये काम करना है तो हमें उनके कार्य की एक सीमा भी रखनी होगी । आज जहां-जहां पर भी सामुदायिक विकास क्षेत्र खुले हैं वहां पर बी० एल० डब्लू० के कार्य की वही स्थिति है जो माल विभाग में पटवारी की हुआ करती थी, हर कार्य बी० एल० डब्लू० ही करेगा इस तरह से स्वयं दूसरे कर्मचारियों में और जनता में एक निराशा सी होती है और इस प्रकार से नियोजन का कार्य पूरा नहीं हो सकता ।

यहां पर बार-बार गाड़ियों की बात कही जाती है । गाड़ियां कोई बुरी चीज नहीं हैं । उनसे कार्य में तेजी आती है और उनके रहने से कार्य की एफिशियेंसी भी बढ़ जाती है बशर्ते की उनका दुरुपयोग न हो । प्रायः सुनने में आता है कि अमुक जगह अमुक अधिकारी की या विभाग की गाड़ी देखी गयी, इस प्रकार का दुरुपयोग रोका जाना चाहिये । हमारे यहां अब भी बहुत से मार्ग दुरूह हैं और अच्छी सड़कें नहीं हैं, साइकिल भी नहीं चल सकती हैं, ऐसी जगह के लिये उनका उपयोग आवश्यक है, लेकिन इस ओर हमारा विशेष ध्यान होना ही चाहिये कि उनका दुरुपयोग न हो । मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारी योजना का लक्ष्य कुछ भी हो, हमारा शासक दल योग्य है और उसके सामने प्लानिंग का और प्रदेश का पूरा नक्शा है, लेकिन

मेरा विचार है कि योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये इस सरकार को मार्ग निर्माण को प्राथमिकता देना आवश्यक है । अगर हमारे यहां कच्ची या पक्की अच्छी सड़कें न होंगी तो हम अपनी योजनाओं को तेजी से नहीं चला सकते और उनकी सफलता में सन्देह पैदा होता है । विकास के लिये हर तरह की सामग्री और मेटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये अच्छे मार्गों की विशेष आवश्यकता होती है । भवन निर्माण का सामान हो, पंचायत घरों का निर्माण है, कुओं का निर्माण है, स्कूलों का निर्माण है, प्रत्येक निर्माण के लिये निर्माण सामग्री लाने ले जाने के लिये अच्छी सड़कें चाहिये । दूरवर्ती ग्रामों में इन वस्तुओं को ले जाने के लिये मार्गों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और तभी हमारी सारी विकास योजनायें आगे बढ़ सकती हैं । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करूंगा कि वह प्रदेश में जो छोटे-छोटे खराब मार्ग हैं उनको पहले बनवाने का प्रबंध करें। सम्भव है कि इसके कारण कुछ आवश्यक कार्य हमें अपने रोकने पड़ें, लेकिन यह कार्य ऐसा है कि जिस पर हमारी पूरी योजनाओं की सफलता निर्भर है, अतः यह कार्य प्रथम किया जायगा तो उन में हमें अधिक सफलता मिलेगी । बस इतना ही मुझे निवेदन करना था ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग के सम्बन्ध में देश में आये दिन हम देखते और सुनते हैं कि अनेक प्रकार की थ्योरी उपस्थित की जाती हैं । कोई सज्जन कहते हैं कि इस देश को समाजवाद की ओर ले जाने के हेतु यह प्लान उपयुक्त नहीं है । कोई सज्जन कहते हैं कि समाजवाद की ओर जाना तो दूर रहा यह कैपिटलिस्ट्स को और पनपाने के हेतु प्लान बनाया गया है । कोई सज्जन यह कहते हैं कि समाजवादी ढांचे की ओर यदि देश को ले जाना है तो अपने इस प्लान के ढांचे में भी बहुत कुछ तब्दीली करनी होगी । मैं अपने को असमर्थ पाता हूं कि इन तमाम प्रकार की थ्योरीज के बारे में कुछ निवेदन करूं या अपनी कोई अलग से थ्योरी ही उपस्थित कर सकूं । किन्तु आवश्यक है कि जब हम जनसेवक हैं, जब हम जनता की सेवा करते हैं तथा जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हैं, किसी न किसी कसौटी से तो हम इस प्लान को देखें और मैं समझता हूं कि सबसे उत्तम कसौटी वह है कि जो एक गरीब, निर्धन, अपढ़ किसान की कसौटी हो सकती है । हमें देखना यह है कि धीरे-धीरे, शनैः-शनैः अन्ततोगत्वा इस प्लान में किस चीज की झलक है । हमको देखना है कि गरीब की गरीबी दूर हो, इसकी आशायें इस प्लान में हैं कि नहीं ? हमको देखना है कि धीरे-धीरे आमदनी की असमानता कम हो, इसकी झलक इस प्लान में है कि नहीं ? हमको देखना है कि देश में शिक्षा का प्रसार हो, इसकी झलक इस प्लान में है या नहीं ? जनस्वास्थ्य की रक्षा का उचित प्रबन्ध हो, बेकारी दूर हो, इन सब बातों का प्रबन्ध इस प्लान में है कि नहीं ? यह प्लान कभी न कभी, माना मैंने कि धीरे-धीरे, किन्तु कभी न कभी तो हमको उस मंजिले मकसूद पर ले जायगा कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं ।

श्रीमन्, माननीय चन्द्रजीत यादव ने अपना कटमोशन उपस्थित करते हुये यह जुमला कहा था कि प्लानिंग समाजवाद की देन है । माननीय चन्द्रजीत यादव जी के इस जुमले में हमारे इस देश की प्लानिंग की अनेक समस्यायें और अनेक कठिनाइयां छिपी हुई हैं । हमारे देश की प्लानिंग की समस्या यह है कि हम उस चीज का, जिसको कि वह कहते हैं और मैं स्वीकार करता हूं कि समाजवाद की देन है, लोकतंत्र के अन्दर प्रयोग कर रहे हैं । इसीलिये उलझन है, इसीलिये कंप्लीकेशन्स हैं, इसीलिये इतनी झुंझलाहट है कि जहां रूस या चीन ने पांच साल या दस साल में इतना चमत्कार दिखा दिया, वहां पर अभी हम समाजवाद की ओर एक पग भी शायद नहीं जा सके हैं । यही तो उलझन है । किन्तु श्रीमन्, इन्सान हैरान होता है, उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे ? इसी भवन में माननीय सदस्यों की विरोधी दल के एक कोने से यह आवाज आती है कि यहां फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन नहीं है । दूसरी ओर से यह आवाज आती है कि यह प्लानिंग समाजवाद की देन है और रूस और चीन ने जो कुछ कर दिखाया है हमको उस रास्ते पर चलकर शीघ्र से शीघ्र वह कर दिखाना है । एक सज्जन

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

कहते हैं कि फ्रीडाम आफ एक्सप्रेशन नहीं है और दूसरी ओर से आवाज आती है कि उनका अनुकरण करो जहां पर कि फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन क्या शायद फ्रीडम आफ थाट भी नहीं है।

श्रीमन्, श्रमदान के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं जानना चाहूंगा कि उन देशों में जहां पांच, सात या दस वर्षों में बहुत कुछ कर दिखाया गया, वहां क्या श्रमदान मांगा जाता है ? वहां क्या श्रम की भीख सरकार मांगती है ? वहां के एम० एल० ए० या एम० पी० या वहां के गवर्नमेन्ट आफिसर क्या गांवों में जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि श्रमदान करो ? वहां पर श्रम लिया जाता है और जबरदस्ती लिया जाता है। श्रीमन्, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि हरएक माननीय सदस्य को और केवल उनको ही नहीं हर एक नागरिक को यह तय कर लेना पड़ेगा और अपना दिमाग साफ कर लेना पड़ेगा कि वह किस प्रकार का नियोजन यहां चाहते हैं। वह किस तरह का शासन यहां चाहते हैं, क्योंकि श्रीमन्, यह हो नहीं सकता कि राजनीतिक स्वतंत्रता हर प्रकार की आपको प्राप्त हो, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन हर प्रकार का आपको प्राप्त हो, फ्रीडम आफ थाट और फ्रीडम आफ ऐक्शन भी आपको प्राप्त हो और फिर हम इतनी जल्दी वह चमत्कार भी दिखा दें जिसमें कि हर प्रकार की उन्नति पांच या सात वर्षों में आपके सामने आ जाय।

श्रीमन्, कहा जाता है गरीबों पर आप टैक्स लगाते हैं, कहा जाता है गरीबों को उनकी काटेज इंडस्ट्री या और किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिये जो पैसा जाता है वह उनको नहीं पहुंचता। श्रीमन्, मुझे दुख होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी की वही दशा है जैसे किसी व्यक्ति के ५ बच्चे हों और उनके लिये वह बेचारा १ लड्डू ही घर ले जा सकता हो, कुछ दाने ही बांट पायेगा। और जब पैसे का सवाल आता है तब तो टैक्स की दुहाई दी जाती है किन्तु अपने पोलिटिकल गेन के लिये देहातों में प्लान के खिलाफ, अनेक प्रकार की और योजनाओं के खिलाफ आन्दोलन किये जाते हैं। टैक्स न लिया जाय तो रुपया कहां से आये ? कहा जाता है कि रुपया और दिया जाय ताकि गरीबों के पास पहुंच सके, लेकिन उधर यह भी कहा जाता है कि मालगुजारी न दो, सिंचाई का लगान न दो तथा अनेक प्रकार के आंदोलन किये जाते हैं। तो श्रीमन्, अगर रूस का चमत्कार यहां देखना चाहते हैं तो रूस की शासन प्रणाली का भी अनुकरण करना होगा। क्या उसके लिये आप तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहां भी ५,७ या १० वर्षों में रूस और चीन का सा चमत्कार दिखाई पड़े तो आपको अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता में कुछ कमी करनी पड़ेगी। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं, हम वह चमत्कार इतनी जल्दी लाने को तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, यह कहा गया कि हमारा प्लान अफसरों के द्वारा बनता है। वह पीपुल्स प्लान नहीं है और उसमें जनता का सहयोग नहीं है, जनता की राय नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि जो माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं उनके जिले में क्या होता है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वहां पर जनता की राय ली जाती है कि नहीं ? क्या वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है और वहां पर जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि, एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, एम० पी० और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहते ? क्या वहां कुछ क्षेत्र से चुने हुये प्रधान नहीं आते हैं ? और अगर आते हैं तो क्या वहां पर वादविवाद नहीं होता ? क्या हर एक प्वाइन्ट पर विवाद हो कर जनता ही के प्रतिनिधि अपने वोट द्वारा तय नहीं करते ? वहां पर क्या अफसर दखलन्दाजी करते हैं ? क्या वह अफसर वोट में भाग लेते हैं ? शासन की ओर से आर्डर्स हैं कि डी० पी० सी० की कमेटियों में हरएक डिपार्टमेन्ट का अफसर जाया करे। लेकिन वह कभी डिस्कशन में तो भाग नहीं लेते। वह तो वहां पर इसलिये रहते हैं कि यदि कोई टेक्निकल ऐडवाइस की आवश्यकता पड़ जाय तो वह दे सकें।

समय कम है एक बात और कहना चाहता हूं। काटेज इंडस्ट्री के बारे में कहा गया कि छोटे व्यक्ति को कोई सहायता नहीं मिलती। श्रीमन्, जानता हूं कि जिसके पास कोई जमीन या बाग नहीं है जिसको वह जमानत पर रख सके तो क्या डेवलपमेन्ट विभाग से वह गरीब व्यक्ति २ हजार रुपया तक अपनी पर्सनल सेक्योरिटी पर नहीं पा सकता है कहा जाता है काटेज इंडस्ट्री

में जो सहायता दी जा रही है वह बड़े-बड़े लोग ही पा रहे हैं ? मान लीजिये कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ५० हजार रुपया व्यय होना है । यदि सरकार अपने पास से २५ हजार रुपया देती तो बाकी २५ हजार रुपया तो वह अपने पास से ही लगायेगा । २० हजार रुपये वही लगायेगा जिसके पास २० हजार रुपया होगा । मैं जानता हूं ऐसा होता है । लेकिन हो क्या ? सरकार प्रोत्साहन देती है, अनुदान देती है, सहायता देती है, किन्तु अपने पास भी तो कुछ न कुछ पूंजी होनी चाहिये जिससे वह व्यवसाय कर सके । यही कारण है कि जिनके पास कुछ पूंजी है उन्हीं के पास वह सहायता पहुंचती है ।

मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं । हमारे माननीय सदस्य इस बात को तय कर लें और समझ लें कि इस प्रकार की प्लानिंग, जिस प्रकार की प्लानिंग हमारी है, और इस प्रकार का नियोजन, जैसा हमारा है, वहां हर प्रकार की स्वतंत्रता को रखते हुये हम शनैः शनैः ही कहीं पर पहुंच सकेंगे, । हम धीरे-धीरे ही कुछ काम कर सकेंगे, हम धीरे-धीरे ही गरीबों की उन्नति कर सकेंगे और आमदनी की असमानता को घटा सकेंगे जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं "पोलिटिकल फ्रीडम इज इनकम्पेटिबिल विथ मेटीरियल एडवान्समेंट" मैं तो इतना कहने को तैयार हूं "विथ क्विक मेटीरियल एडवान्समेंट" ।

श्री चन्द्रजीत यादव––मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज सवा ५ बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––तो सवा ५ बजे तक आज हम लोग बैठेंगे ।

***श्री बलवान सिंह** (जिला कानपुर)––श्रीमन्, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । श्रीमन्, जितनी स्पीचेज आज इस सदन में हुयी हैं उनको सुनने के उपरान्त भी मैं यह कहने को तैयार हूं कि नियोजन के सम्बन्ध में सरकार के पास ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है जिससे यह पता चल सके कि कितनी मुद्दत के अन्दर यह सरकार लोगों के अन्दर से बेकारी को दूर कर सकेगी और किसानों के लिये आबपाशी का इन्तजाम कर सकेगी । अगर उसकी योजना के हिसाब से देखा जाय तो मेरा तो साफ कहना है और माननीय मुख्य मंत्री भी इसको मानेंगे कि कम से कम ७५ साल तो उनको इस बात के लिये लगेंगे कि यू० पी० का हर बालिग आदमी इस काबिल हो सके कि वह पढ़ सके और १०० साल इस बात में लगेंगे कि किसान के हर खेत पर पानी का इन्तजाम हो । तो मैं सरकार से यह पूछता हूं क्या यही उसकी प्लानिंग है ? प्लानिंग पर यह सरकार पंचसाला योजना में ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है । इसमें लोगों को क्या मिलेगा ? योजना पर अमल तो हिन्दुस्तानी ढंग पर होता है लेकिन खर्चा अमेरिका जैसा होता है । कितना फैशन है ? बी० डी० ओज० पर कारें हैं । चारों तरफ खर्चा ही खर्चा होता है । एग्जीबीशंस होती हैं और उनमें कोई हिसाब-किताब नहीं होता और किसानों के ऊपर टैक्सेशन होता है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपोजीशन के जो सदस्य हैं वे तो केवल विरोध ही विरोध करते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग का आपका जो विभाग बना है उसके लिये सरकार ने कोई कोड नहीं बनाया । यह विभाग ही टेम्पोरेरी है । मुख्य मंत्री जी जरा इस बात पर ध्यान दें और उस विभाग की पर्मानेन्सी के सम्बन्ध में कुछ रूल्स बनायें ।

मुझे मुख्य मंत्री जी से यह भी कहना है कि इस प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गयी और दूसरी शुरू हो गयी लेकिन प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम कम हुयी, पर एकड़ ईल्ड कम हुई, और बेकारी ज्यादा बढ़ी । ये तीनों चीजें प्लानिंग के आधार स्तम्भ होते हैं । किसी भी देश की प्लानिंग का आधार इसी से आंका जा सकता है कि वहां खेती की पैदावार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवान सिंह]

बढ़े, लोगों के अन्दर बेकारी टूटे और लोगों की आमदनी बढ़े, लेकिन यहां ये तीनों चीजें कम हुई, तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार की प्लानिंग का आधार ही गलत है। सरकार कमल की खेती करना चाहती है। सरकार कुछ चन्द लोगों पर खर्च करना चाहती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि ७ करोड़ आदमियों को ले कर उसे चलना है और ७ करोड़ आदमियों के मुताबिक उसे योजना बनानी है और गांव वालों को इलाज बतलाना है ताकि उनके दिल में चाह पैदा हो कि वे इस प्रदेश के लिये काम-काज करें। सरकार पुलिया बनाने के लिये कह दे और पत्थर उनको सड़कें बनाने के लिये दे दे तो मैं कहने को तैयार हूं कि प्रदेश के अन्दर जितने गांव हैं, उनमें जितनी सड़कें हैं उनको बनाने के लिये करोड़ों लोग फावड़े लेकर आ जायेंगे। सरकार की जो प्लानिंग है वह अमीरों की प्लानिंग है और गरीब गरीब हो रहा है। यह अमीरों और बालकों की प्लानिंग है। यशपाल जी ने ठीक कहा था कि छोटे-छोटे बालकों से श्रमदान कराया जा रहा है। होना यह चाहिये था कि इस किस्म का ऐलान होता कि हम कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर उसी को मानेंगे, इंजीनियर उसी को मानेंगे जो बी० ए० और एम० ए० करने के बाद, टेक्निकल एजूकेशन लेने के बाद दो साल तक गांव में काम करे। उनको आप डिग्निटी आफ लेबर सिखाइये। ५–६ साल के बच्चों से डिग्निटी आफ लेबर नहीं होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार यह नीति निर्धारित करे कि सौ रुपये की आमदनी जिन लोगों की नहीं है उनके लिये आप इस बात की तरजीह दें कि नौकरियों में उनके बच्चे आयें। जिनके घर में एक-एक, दो-दो डिप्टी कलेक्टर होता है और किसी भी तरीके से सरकारी अफसर होता है तो वह हेरेडिटरी हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के सबेरे के भाषण से, कुछ बातों से तो मैं समझता हूं हर एक आदमी को अग्रीमेंट होगा। हमारे मुल्क में सबसे मुख्य स्थान इकानामी में खेती का है। जैसा कि उन्होंने कहा, यह ठीक ही है। तो इसलिये मैं अवश्य सोचता हूं कि शुरू-शुरू में मैं दो–तीन सुझाव उनको दे दूं तो अच्छा होगा। बहुत रुपये के सुझाव तो लोग दे सकते हैं, लेकिन कुछ सस्ते सुझाव मैं देना चाहता हूं, अगर उन पर विभाग कुछ विचार कर सके तो अच्छा होगा। एक तो यह कि खेती की पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकता है नये बीजों का देना, बीजों का बदलना। अगर बीज बदले जा सकें तो मैं समझता हूं १० प्रतिशत की उपज यों ही बढ़ सकती है, बिना किसी दूसरे काम के करने के। अदल–बदल कर बीज देने का मेरा मतलब है, इसमें चाहे कुछ रुपये खर्च हों, लेकिन जरूर ध्यान किया जाना चाहिये—खास तौर से रबी और खरीफ के बीज में। खरीफ के बीज में तो थोड़ी सी अहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन रबी के बीज में कोई बहुत अहतियात की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

दूसरी बात मवेशियों के सुधार के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सांड़ पाने और सांड़ छोड़ने की प्रथा बहुत दिनों से रही है और उनके लिये कोई खाना–खूराक नहीं देता था। यह जरूर था कि कहीं उनके साथ बदसलूकी भी होती थी, लेकिन ज्यादा व्यापक पैमाने पर चाहे भैंस के या बैल के या बकरी के हों, इन सभी तरह के सांड़ों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको व्यापक पैमाने पर हम छोड़ सकें, बिना इस बात का ख्याल किये कि प्लानिंग या किसी डिपार्टमेन्ट को उनके खर्च को उठाना पड़ेगा। जैसे कि पुरान सांड़ रहते थे वैसे ही उनका गुजारा हो सकता है और जो व्यापक पैमाने पर हमारा काम बढ़ रहा है तो गांव वालों का यह फर्ज होगा, पंचायतों का यह फर्ज होगा कि उनको मरने मारने से बचा सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात पानी की है। अगर पीने का पानी और खेती के लिये पानी सही तरीके पर नहीं दे सकेंगे तो हमारी खेती की इकानामी चल नहीं सकती। इसके लिये बड़े प्रोजेक्ट की बात का कहना मैं छोड़ता हूं, क्योंकि वह युग नहीं है। वह युग बीत गया जिसमें हम को जगना चाहिये था, उस समय मुख्य मंत्री नहीं जगे। सरकार तो सोती रही और वह युग बीत गया, दूसरे सूबों ने ले लिया। तो हम मैसोनरी वेल्स के जरिये और छोटे-छोटे तरीकों पर लोगों को अगर पानी पहुंचा सकें तो इस पर हमको विशेष आयोजन की आवश्यकता है। ये तीन चार बातें मैं जरूर चाहता था कि कह दूं।

खेती के सिलसिले में प्लान का जो मकसद है मैं समझता हूं वह दो बातों पर बहुत जोर देती है, एक कोआपरेटिव फार्मिंग और दूसरे कंसालिडेशन आफ होल्डिंग। कोआपरेटिव फार्मिंग को तो सरकार ने मना कर रखा है। कोआपरेटिव फार्मिंग में लोगों की रुचि नहीं मालूम होती है। लेकिन कंसालिडेशन आफ होल्डिंग के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का यह आफर है कि वह कंसालिडेशन आफ होल्डिंग का ५० प्रतिशत खर्चा बर्दाश्त करेगी। तो स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से इसका एलान होना चाहिये कि किसानों के ऊपर खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ५० प्रतिशत गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बर्दास्त करेगी और जो कागजात की दुरुस्ती का काम है यह काम सरकार का है जिसको आज ७ करोड़ की जगह २३ करोड़ रुपये की मालगुजारी किसान दे रहा है। मैं समझता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को कंसालिडेशन का काम नहीं करना चाहिये। मेरी ईमानदारी की राय यह है कि अगर यह काम प्लानिंग को दिया जाय तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से ज्यादा बेहतरी से वह कर सकता है, कुछ धीरे भले ही हो, लेकिन काम अच्छा होगा और कागजात की दुरुस्ती का काम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक बहस में तो नहीं जाऊंगा, इसलिये नहीं जाऊंगा कि प्लान तो बन चुका है, उसके लिये जो उसूल मुकर्रर हो चुका है वह है। मैं उसी उसूल के ऊपर कुछ बातें जानना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्लान जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने "पीपुल्स प्लान" का नाम दिया है उसका कुछ कन्सेप्शन उन्होंने कर रखा है कि उसमें होगा क्या ? ज्यादा समय नहीं है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में उस तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेकेंड फाइव इयर प्लान पर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से क्वेश्चन ऐंड ऐंसर का एक पब्लिकेशन निकला है। उसे मैं उनकी सेवा में रखना चाहता हूं। उसमें एक सवाल है—

"It is said that the Second Plan aims at setting up a socialist pattern of society. How does it differ from the earlier concept of a Welfare State ?"

इसका उत्तर भी इसी में लिखा है—

"In fact it stresses that the objective of economic planning should be social gain rather than private profit. In other words, the Plan while seeking to increase production tries to ensure that the extra wealth does not go into the pocket of the rich but to improve the life of the less fortunate section of the society."

मैं पहली पंचवर्षीय योजना के काल को तो छोड़े देता हूं और यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गुजरे हैं यह सरकार किस तरह से अपने इस उद्देश्य में सफल हुई और किस कदर वह उधर गयी ? मैं, जो सबसे बड़ा शोषित वर्ग है, वह किसान को मानता हूं। उसकी अनएकोनामिक होल्डिंग है, उसके खाने का ठिकाना नहीं, वह अपना कर्जा नहीं चुका सकता, अपनी मालगुजारी नहीं दे सकता, सरकार ने इधर दो वर्ष के भीतर क्या मदद की ? यह तो साफ बात है कि कोई मदद नहीं की है और न आसमान से दौलत बरस सकती है। लेकिन जो वह पैदा करता है उसकी कीमत तो आप

[श्री गेंदासिंह]

उसको ठीक से दिला दीजिये और जो वह खरीदना चाहता है उसको ठीक कीमत पर दिला दीजिये। लेकिन जो वह खरीदना चाहता है वह उसको मंहगा मिलेगा। इसके लिये सरकार के पास कोई चारा नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हमारे सूबे की इकानोमी गड़बड़ हो जायगी अगर हमारे यहां का शुगरकेन बरबाद हो। मैं जानता हूं कि इस का जवाब मुझे नहीं मिलेगा। मैं एक बदकिस्मत आदमी हूं। मैं जो सवाल करता हूं उसका जवाब पाने का हकदार नहीं समझा जाता हूं चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या इस साल भी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सलाह नहीं दी है कि गन्ने की कीमत न बढ़ाई जाय जब कि आंध्र, बम्बई और मदरास में बढ़ाई गई है। गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यू० पी० के किसानों का है और यू० पी० गवर्नमेंट सलाह देती है कि कीमत न बढ़ाई जाय। गुड़ की उसकी तिजारत है वह सीजन भर नहीं बिक सकेगा। यह बात माननीय जगदीश शरण जी अग्रवाल ने कही। गुड़ के लिये मारकेटिंग का कोई बन्दोबस्त नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार को बन्दोबस्त करना चाहिये। जूट की खपत क्यों नहीं हुई? जूट की कीमत गिरी, कपास की कीमत गिरी और सभी चीजों की कीमत गिरी। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये कुछ कोशिश की? सरकार मदद नहीं कर सकती है। सरकार ने ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग में मदद नहीं की। लेकिन मिल मालिकों की मदद के लिये सरकार आई। इसलिये आई कि जब ३० रु० ८ आने मन चीनी बिकती थी तो गन्ने का दाम १ रुपये १२ आने मन था और आज जब कि ३८ रुपये मन बिकती है तो गन्ने का दाम १ रुपये ८ आना मन है। किसी भी पंचायत में सिद्ध करा दीजिये कि मैं गलत कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का ध्यान है कि आप वक्त नहीं बढ़ायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है उससे खेत मजदूरों की हालत भी अच्छी नहीं हो सकती है और जब दोनों की हालत बिगड़ गई तो इंडस्ट्री कैसे चल सकती है? आज हजारों मजदूर बेकार बैठे हैं। लाखों बार हमने श्रम मंत्री जी से सुना कि आज मिलों में कपड़ा जमा है। यह क्या मजाक है? दुनिया में कहीं नहीं देखा है कि जहां प्लानिंग हो वहां क्राइसिस भी हो। मैं चीन की बात छोड़ देता हूं, मैं रूस की भी बात छोड़ देता हूं और योगोस्लेविया की बात कहता हूं। वहां की जो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है उसका हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का सा ही पैटर्न है। वहां की जो माली हालत दुरुस्त हुई है उस से तो हमारी तुलना होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ६६ लाख एकड़ जमीन चीन में डूबी। इसके बाद वहां की गवर्नमेंट पिल पड़ी कि हम जनता को तकलीफ नहीं उठाने देंगे।

मैं आपको बताऊं कि पिछले तीन साल में एक करोड़ एकड़ से ज्यादा खेती बरबाद हुई है बाढ़ से। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि तुम लोगों को डिमोरेलाइजेशन की ओर ले जाना चाहते हो। अगर हम ले जाते तो माननीय मुख्य मंत्री जी आज वहां न बैठे होते। हम तो उनका मौरल ऊपर उठाते हैं। उन्हें ऐसी बात भूल कर भी नहीं कहनी चाहिये। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे सूबे की इकोनोमी दूसरी तरफ जा रही है .....

श्री उपाध्यक्ष—समय काफी हो गया है। एक बात जो आप कह रहे थे वह पूरी कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह—मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग की बहुत जरूरत है। इस वक्त एक करोड़ २९ लाख टन अनाज पैदा हो गया है। हमारी ७५ लाख एकड़ की खेती बरबाद हो गई फिर भी इतना अनाज पैदा हो गया। एक तरफ तो हमने इतना अनाज पैदा कर लिया है और दूसरी तरफ चवन्नी पर लाखों आदमी आज काम करने के लिये तैयार हैं, यह हमारे सूबे की प्रौसपैरिटी है। भूख से लोग मरें

और तबाह हों और ४ आने पर काम देना उनके लिये बन्द कर दिया जाय और उनको काम न मिले यह प्रोसपैरिटी का चिन्ह नहीं है। इस विषय पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्लानिंग के विषय पर काफी बातें कही जा चुकी हैं। मैं तो केवल प्लानिंग के विषय में, जो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्लानिंग यहां है और उसके मूल में जो गड़बड़ी है, उसको सदन के सामने रखने का प्रयास करूंगा।

यह तो सब लोग मानते हैं कि सन् १९४८ में जिस समय कि प्लानिंग नहीं थी उस समय जितना एग्रीकल्चर का प्रोडेक्शन था उस से आज सन् १९५७ में एग्रीकल्चर का प्रोडेक्शन गिरा। इससे क्या हुआ? ५ साल लगातार प्लानिंग करने पर भी पर कैपिटा इनकम घटी, अनइम्पलायमेंट बढ़ गया। इन सब का क्या कारण है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने सरकार के आंकड़े के विभाग से प्रार्थना की थी कि मुझे प्राइस इन्डेक्स और विशेषकर कन्ज्यूमर्स का प्राइस इन्डेक्स भेजने की कृपा करें। उन्होंने मेरे पास आंकड़े भेजे हैं। अरबन एरिया में सन् १९४८ में अगर १०० माना जाय तो सन् १९५६ में वह ९१ हो गया और सन् १९५७ में वह ९५ हो गया। इसी तरह से रूरल एरिया में अगर देखा जाय और सन् १९४८ में प्राइस इन्डेक्स १०० माना जाय तो वह सन् १९५६ में १३१ हुआ और सन् १९५७ में आकर वह १४४ हो गया। पहले साल वह १३१ पर रहता है और फिर दूसरे साल १४४ हो जाता है। इसमें एक बात और विचार करने की है कि अरबन में जहां प्राइस इन्डेक्स ९१ के नीचे गिरता है वहां रूरल एरिया में प्राइस इन्डेक्स १३१ पड़ता है। क्या कारण है? आपने सारी योजनायें बनाईं और उन योजनाओं से जो समाज का सर्वांगीण लाभ होना चाहिये वह नहीं हुआ तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है? जो मैं एक कारण इस का समझ पाया वह यह कि दुनिया के सारे देशों में आर्थिक योजना और आर्थिक ढांचा एक ही स्तर का रहता है। उन दोनों में एक ही समन्वय रहता है। वही चीज समाज में प्राइस फिक्शेसन की पालिसी हुआ करती है। हमारे समाज में और विशेषकर हमारे प्रान्त के अन्दर जहां पर आर्थिक उत्थान का नारा बहुत लगता है और जहां इस बात की दलील दी जाती है कि ग्रामीण जनता बहुत अधिक सम्हली है और इन पांच सालों में उनको अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया गया है वहां पर आज उनकी उत्पादित सामग्री का कोई प्राइस फिक्शेसन आपके यहां नहीं है। मैं यह पुस्तिका देख रहा था। इसमें बतलाया गया है कि आपके यहां मारकेटिंग सोसाइटी बनाई गई। बहुत अच्छा है। जरूर होना चाहिये क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि जिस समय उसके पास सामान पैदा होता है वह उसको अपने पास रख सके और उसका जो माल है उसको वह न बेच सकें। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जिसके कारण उसको मजबूर होकर खरीददार के हाथ अपने माल को सस्ते दाम पर देना पड़ता है। उसको सब चीजें मारकेटिंग सोसाइटी से मिलनी चाहिये। परन्तु जब उसको वहां से मिलती नहीं हैं तो मारकेटिंग सोसाइटी को लाभ उसका कम गया। उसको लाभ तब होगा जब आप प्राइस फिक्शेसन की पालसी बनायें। जो चीजों का निर्माता है, और विशेषकर किसानों के द्वारा जो चीज पैदा होती है उसका मूल्य तय करें और वह मूल्य ऐसा तय करें जो उसके लिये लाभकर हो। अब आपने जहां समझा वहां पर निम्नतम मूल्य घटा दिया और जहां पर समझा वहां पर बढ़ा दिया या मिल मालिक के लाभ के लिये आपने उसको ऊपर नीचे कर दिया। यह इकानामी की पालसी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आज दुनिया के जितने देश हैं सब जगह किसी न किसी प्रकार से प्राइस फिक्शेसन की पालिसी है। अमेरिका में तो प्राइस सपोर्ट की पालिसी चल रही है। इसी पालसी को मानकर जितनी घटी या बढ़ोतरी होती है सरकार उसको प्राइस सपोर्ट की पालसी मानकर चलती है। अगर आप कांटीनेन्ट पर आइये तो रूस में भी प्राइस फिक्शेसन है और जब तक आप इसे नहीं करते तब तक आप कृषक, उत्पादक को उसकी उत्पादित सामग्री

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

का मूल्य पूरा-पूरा नहीं दिला सकते और इसके बिना उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती। यह प्राइस इंडेक्स और मंहगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसका एक ही कारण हो सकता है और वह है कि उत्पादन कम होता है और यह भाव जो हैं, उनसे जो मनुष्य उत्पादन करता है, उसको पूरा लाभ नहीं हो पाता, वह उसकी इकोनामी को ठीक नहीं चला पाते और यह एक ऐसा विशेष सर्किल हो गया है कि जिसको दूर करने के लिये सरकार ने अपनी योजना में कोई चीज न हीं रखी है। जड़ में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया, वाह्य उपचार आप कर रहे हैं, तो इस से कोई लाभ नहीं हो सकता।

इसके अलावा एक और शिकायत है लैक आफ कोआर्डिनेशन की। आप विभागों का निर्माण करते हैं लेकिन उनमें कोआर्डिनेशन पैदा नहीं कर पाते हैं। हर एक विभाग अपने को एक अलग वैकुअम में बैठा हुआ पाता है। मैं इसका उदाहरण दूं। आपने बताया कि अच्छे बियों की पुड़ियां बटवायीं, लेकिन क्या वह बिये समय से किसानों को मिल सके? अगर वे समय से उनको नहीं मिले तो उनका लाभ क्या? एग्रीकल्चर अफसर कहते हैं कि हमने तो पूरा इंडेन्ट कर दिया था, बी० एल० डब्लू० कहते हैं कि हमने दिये, लेकिन उन्होंने पाये नहीं। तो यह जो डिपार्टमेंटल राइवलरी है, उस से स्पष्ट है कि आपस में और उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है और जहां कोआर्डिनेशन नहीं होगा वहां पूर्णरूपेण सफलता मिलना असंभव है। वहां जनता को हैरेस्मेंट होगा और आपको असफलता मिलेगी। एक और उदाहरण दूं। श्रमदान के द्वारा सड़क बनायी जाती हैं। यह बड़ा अच्छा है, होना चाहिये। जनता का सहयोग लेने की दृष्टि से, लोगों में स्वावलंबन तथा अपनत्व की भावना पैदा करने की दृष्टि से आवश्यक है कि श्रमदान हो। लेकिन उसके साथ जो सरकार ने वायदे किये हैं और जिनके लिये वह जिम्मेदार है, उनकी पूर्ति उसे करनी चाहिये। अगर आप उनकी पूर्ति नहीं करते तो जनता में अविश्वास पैदा होता है। मेरे जौनपुर में दो सड़कें श्रमदान से बनायी गयीं। आपके यहां नियम है कि जो गांव वाले सड़क बनाते हैं श्रमदान से उनकी पुलिया आप विभाग के द्वारा बनवाते हैं। मिट्टी पड़ गयी और एक बरसात और बाढ़ आने के बाद वह बह भी गयी, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बनी। अगर नाम चाहेंगे तो वह भी मैं बता सकता हूं . .

एक सदस्य---कौन पुलिया नहीं बनी?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---आप सुनने का कष्ट करें। सुन्दर स्वप्नों में यदि आप न रहें तो सुन सकते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष ---सड़क का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं उठ सकती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो मैं कह रहा था कि सारी रामायण की कथा हो गयी और उनको पता नहीं कि राम रावण था या रावण, रावण था। तो मैं यह कह रहा था कि लोगों ने मेहनत की और यदि उसके बाद आपके वायदों की पूर्ति समय से नहीं होती है और वे अपनी मेहनत बरबाद जाते देखते हैं तो उनमें शिथिलता और अविश्वास आता है। आपके उद्देश्यों में है कि हम चाहते हैं कि गांव वालों में स्वावलम्बन की भावना पैदा हो, लेकिन यह स्वावलम्बन कहां से आयेगा यदि आपके कामों से उनमें अविश्वास पैदा हो? और यह अविश्वास होने का कारण कोआर्डिनेशन का न होना है। कभी-कभी तो रेड टेप के कारण ही सारा काम नष्ट हो जाता है। मैं एक उदाहरण दूं। प्रश्न यह उठा कि वह सड़क बन गयी तो उस पर पुलिया कैसे बने? ठेके से या गांव समाज द्वारा बनवायी जाय? वहां के कुछ अधिकारी चाहते थे कि ठेके से बनायी जाय और क्यों ठेके से बनायी जाय कारण की कल्पना मैं मंत्री जी के ऊपर सोचने के लिये छोड़ देता हूं। और कुछ अधिकारी चाहते थे कि पंचायतों द्वारा बनायी जाय। यह झगड़ा डेढ़ साल हो गया, लेकिन निपटा नहीं। तो यह जो राइवलरी है इसको रोकने की आवश्यकता है। श्रीमन्, मुझे दो मिनट और देदिये जायं, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हो गया है। १० मिनट के लिये आपने प्रार्थना की थी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--कोआर्डिनेशन को सरकार ठीक करे। दूसरे, प्राइस फिक्सेशन करे और तीसरे, विभागीय राइवलरी को समाप्त करे। इस से बहुत मात्रा में नियोजन की योजना सफल हो सकती है। अन्यथा इसमें त्रुटियां होती रहेंगी और उनके परिणाम स्वरूप विपरीत फल होंगे जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में दिखायी पड़ता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में रूस और चीन की चर्चा प्लानिंग और सहकारी खेती के सम्बन्ध में की थी। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में रूस और चीन का नाम सुनकर बैचेनी पैदा हो जाती है। यह प्रतिक्रियावादिता की पराकाष्ठा है। इन देशों का साहित्य कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी निराला स्थान है और उसकी बहुत बड़ी देन है। यदि वह ऐसा सोचते हैं कि हमारे देश की पद्धति चीन की होगी या रूस की होगी तो वह बहुत बड़ी गल्ती करते हैं। हमारे मुल्क की समाजवादी पद्धति को केरल ने स्पष्ट कर दिया है। अपने मुल्क की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और अपने मुल्क की परिस्थिति और परम्परायें ही यहां के समाजवाद की पृष्ठभूमि, बन सकती हैं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि अच्छाई किसी भी मुल्क की हो, हमें उसे ग्रहण करना चाहिये। हमारी सस्कृति इसमें बहुत उदार रही है।

दूसरी बात नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी प्रदेशीय सरकार की नीति केन्द्रीय नियोजन आयोग की नीति के ठीक विपरीत रही है। केन्द्रीय नियोजन आयोग चाहता है कि खेती सहकारी ढंग पर हो, कृषि सम्पत्ति पर कर लगाया जाय, हदबन्दी हो, उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों को सरकार प्राथमिकता दे, लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार इन तमाम बातों में उनके सिद्धांतों और निर्देशों की अवहेलना करती है। इसलिये मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हमारा नियोजन उतना जनहित में नहीं है जितना पूंजीपतियों और दूसरों के हित में है।

पिछली पंचवर्षीय योजना और वर्तमान पंचवर्षीय योजना होते हुये भी हमारे देश में ग़रीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है। सरकार के ही आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं। नियोजन का अर्थ केवल यही नहीं है कि उत्पादन और धन बढ़े, बल्कि उसका वितरण न्यायसंगत हो और सामाजिक क्षेत्रों में क्रान्ति हो। हमारी सामाजिक कुरीतियों को हम दूर कर सकें इसलिये शिक्षा, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों में भी नियोजन की आवश्यकता है। जहां ब्लाक के अन्दर एक बी० डी० ओ० की जिम्मेदारी है वहीं हमारे देश की समाजिक रूढ़िवादियां हैं, जिनको हम बुरा समझते हैं उनको दूर करने का विशेष ध्यान रखा जाय। बी० डी० ओ० ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति हो जो जनता की तमाम भावनाओं को सब तरह से जानता हो। सामाजिक क्रान्ति जैसे बाल-विवाह, अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता, जातिवाद को दूर होना चाहिये। संप्रदायवाद का उन्मूलन भी हमारे लिये उतना ही हितकर है।

मान्यवर, मैं इसी समय यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे देश की जन-संख्या जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसके बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिये। यदि जनसंख्या के बढ़ने की प्रगति यही रही, तथा इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो समस्या जल्द न सुलझ पायेगी। फैमली प्लानिंग के बारे में सरकार ने जितना ध्यान दिया है, जितनी कार्यवाही की है, उतनी प्रर्याप्त नहीं है। फैमिली प्लानिंग के जो माने हुये तरीके हैं, मैं यह नहीं कहता कि दूसरे तरीके और नहीं हो सकते, सरकार उन सब के बारे में देहात में प्रचार करके, समझा कर लोगों को परिवार नियोजन की महत्ता को बतलाकर, इस काम को कर सकती है और इसको करना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

माननीय मुख्य मंत्री जी ने गृह उद्योगों के बारे में घोषणा की है कि वे इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। उस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गृह उद्योगों के बारे में हम यह विचार करें कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे बढ़े, वहां हम यह भी विचार करें कि उनके विक्रय की क्या व्यवस्था होगी ताकि लोगों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके। सामान्यतः चीजों का उत्पादन तो हो जाता है लेकिन उनको बेचने की व्यवस्था नहीं हो पाती। नतीजा यह होता है कि देहात के गरीब मजदूर जो इन कामों में लगे होते हैं उनकी लूट होती है और मिडिलमैन उनको लूट लेता है। इसलिये इस सम्बन्ध में इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और मार्केटिंग सोसाइटी का निर्माण होना चाहिये। इन सुझावों के साथ में अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस वक्त अनुदान की स्वीकृति के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस वक्त नियोजन के विषय पर काफी प्रकाश डाल दिया था। तत्पश्चात् माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी सुझाव नियोजन के सम्बन्ध में दिये हैं, उनको हमने लिखा है। उनके ऊपर विचार किया जायगा तथा जो भी उचित सुझाव होंगे, उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा की जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी रोग या व्याधि से मुक्ति पाने के लिये निदान की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात् उपचार की। जब वैज्ञानिक युग नहीं था तो लोग तंत्र मंत्र से काम लिया करते थे। उसी प्रकार से हमारे देश में गरीबी दरिद्रता की यह व्याधि है और उसके निदान भी करने की आवश्यकता है और तत्पश्चात् इसका उपचार भी हमारे प्लानिंग कमीशन ने विचार करके किया। यहां पर भी आज बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत उत्तम और सुन्दर सुझाव दिये मगर कुछ ने मंत्र तंत्र से भी काम लेने की पुरानी वृत्ति की पुनरावृत्ति की। कुछ ऐसे भी हकीम और वैद्य थे जिनने इसका निवारण तो किया कि कुछ वैज्ञानिक ढंग से काम लिया जाय, मगर जब मैंने उनके नुस्खे को देखा तो जितने अनुदान आये हैं और शायद आयेंगे, वे हर समय उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करते जायेंगे। कोई गोल्डेन गोली उनके पास है।

कृषि के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्न के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारी पार्टी के ही शायद एक सदस्य ने कहा और उनका सुझाव था कि डेफिसिट एरियाज में, जैसे पूर्वी जिलों में और पहाड़ी इलाकों में, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था कि यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तथापि उसकी बुनियाद अधिक अन्न उत्पादन पर ज्यादा ध्यान रखा गया है। ऐसे हमने इस योजना में उद्योगों के लिये अवश्यमेव ज्यादा खर्चा रखा है लेकिन उसके मुकाबले में अधिक अन्न उत्पादन के लिये कोई कमी नहीं की गयी है। पिछली योजना में भी अगर आप उसे बारीकी से देखें, तो बाज-बाज माननीय सदस्य ने कहा कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाये हैं। मेरा कहना यह है कि हम लक्ष्य को ही नहीं प्राप्त किये हैं बल्कि उससे आगे बढ़ गये हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है।

कुछ सदस्य---वाह वाह।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर आपको आंकड़े में कोई विश्वास नहीं हो तो उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। इसकी दवा लुकमान के पास भी नहीं थी और ऐसे वहम की कोई दवा नहीं है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो अन्न उत्पादन के विषय में ११·७७ मिलियन टन जो हमारी पहली योजना का लक्ष्य था, उसको हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व ही एक्सीड (बढ़कर) करके लगभग १२ मिलियन टन तक पहुंच गये थे।

अब अगर एकाध साल कहीं कमी होती है, तो प्रकृति के ऊपर किसी का वश तो है नहीं। मेरा यह खयाल है कि बाढ़ और सूखा तो निरन्तर आते रहे हैं और अनादि काल से आते रहे हैं।

लेकिन अफसोस की बात जरूर है और इसे हर एक को मानना पड़ेगा कि यह बाढ़ और सूखा सन् ५२ से पहले आते रहे होंगे पर उस वक्त भूख से मौतें कहां हुई थीं ? मैं भी इस माननीय सदन का सन् ३६ से सदस्य हूं लेकिन इसकी चर्चा सन् ५२ के पहले कभी सुनने में यहां नहीं आयी कि कोई भी किसी भी साल पूर्वी जिलों में भूख से मरा हो। यहां तक कि हम ने कभी भी बाढ़ और सूखे पूर्वी जिलों में पड़ा है, की बात नहीं सुनी थी। हम पहाड़ के लोग अन्नाभाव के विषय में चिल्लाते थे, मगर वह इस कदर चिल्लाहट नहीं थी कि वहां भूख से मृत्यु हो रही हैं। उस वक्त के पूर्वी जिलों के प्रतिनिधियों का मारल बहुत ऊंचा था और वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे इसलिये व्यर्थ में नहीं चिल्लाते थे। इस में कोई सन्देह नहीं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यदि आज वह इस प्रकार की चर्चा हर समय इस दर्जे तक करते हैं तो वह अपने नैतिक स्तर को स्वयं नीचे गिराते हैं। यह जरा सोचने की बात है। हो सकता है कि नेपाल के पहाड़ कटने से पूर्वी जिलों में बाढ़ अब अधिक आती हो। श्री गेंदासिंह जी ने इस बात को कहा कि हमारा उत्पादन घट रहा है चाहे वह कपड़े का हो या अन्न का हो। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि कानपुर में कपड़ा भरा पड़ा है। दूसरे उन्होंने कहा कि नेशनल आय तो बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इन्कम घट रही है। इस का इलाज फैमिली प्लानिंग के सिवा और क्या है ? पर कैपिटा आय तो आबादी के हिसाब से घटेगी किन्तु नेशनल आय उसके मुकाबले में बढ़ेगी और बढ़ रही है। अब फैमिली प्लानिंग के लिये भी क्या कोई डिपार्टमेंट चलाया जाय या कानून बनाया जाय कि कोई बच्चे पैदा न करे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य बीच में बार-बार न टोकें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––फेमिली प्लानिंग का जहां तक सम्बन्ध है इसके लिये और जितने भी सोशल लाज होते हैं उनके लिये पहले जनता में इस बात का एक वातावरण पैदा करने की जरूरत पड़ती है चाहे वह प्लानिंग हो या कोई भी काम हो उसके लिये उपयुक्त वातावरण पहले से होना चाहिये।

पीपुल्स प्लान की बात कही गयी। ठीक है किसी भी प्लान को सफल बनाने के लिये सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होती है। वह कहते हैं कि यह विभाग जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जिला प्लानिंग कमेटियों में सब एम० एल० एज० हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, कोआपरेटिव के प्रतिनिधि हैं, जितने फंक्शनल आसपेक्ट्स हैं उन सब में यह लोग हैं वह प्रतिनिधि जनता के नहीं हैं तो और कौन हैं ? कहा जाता है कि यह जनता का प्लान नहीं है। जब आप कमेटियों में जाते हैं तो झगड़ते हैं कि कहां पर क्या है और क्या नहीं है और जो अन्य रचनात्मक बातें हैं अन्न की, उत्पादन आदि की उनको सामने न लायें और सुबह से शाम तक झगड़ते रहें कि मेरे क्षेत्र में यह हो और वह हो तो हम जनता में कैसे वह वातावरण पैदा करें। हमारे एक मित्र ने कहा कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इस प्लान को समझने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि उनको इसका कोई आधार व उद्देश्य नहीं दिखाई दिया। प्लान का लक्ष्य हमारा यह है कि हम अपने देश के अन्दर से गरीबी को किस तरह से मिटा दें, पर कैपिटा इनकम को किस तरह से बढ़ा दें, तो किसी दूसरे मित्र ने कहा कि चाहे हमारा भौतिक विकास हो या न हो, हमारी इकानामिक हालत सुधरे या न सुधरे यह तो एक गौण चीज है, सेकेंड्री चीज है। प्राइमरी क्या है ? कि एक एटमास्फेयर बन जाय प्लानिंग का। यह ठीक है। मैंने इस बात को इनकार नहीं किया, न करता हूं। अगर आज यह धारणा बन जाय और यह जनता की समझ में आ जाय कि यह प्लान हमारा है, इसे हमको कार्यान्वित करना है, तो इसमें भी हमारी सफलता है। लेकिन इसमें मैं उन्हीं मित्र से कहता हूं, उन्होंने पिछली दफा मुझ पर कटाक्ष भी किया था, अपनी पुस्तक कंटेम्परेरी सोशलिज्म में जान स्ट्रेची ने यह कहा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिये, उसके एफेक्टिव फंक्शनिंग के लिये जरूरी है कि उसका एक सर्टेन इकोनामिक लेविल जरूर होना

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

चाहिये । उस लेविल से नीचे अगर वह गिरे तो डेमोक्रेसी रह नहीं सकती उस देश में और उसके लिये आजकल जैसे कि इटली को बताते हैं कि ५४७ रुपया पर कैपिटा इनकम है, उससे बिलो अगर चले जायेंगे तो आप समझ लीजिये कि वहां डेमोक्रेसी रह नहीं सकती । बलवानसिंह जी बड़ा बल देकर इस बात को कह रहे थे कि हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है । मैं आपसे यह बताता हूं कि हमारा लक्ष्य यह है कि अगर १९, २० वर्ष के अन्दर अगर ५४६ पर कैपिटा इनकम हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमें मुश्किल हो जायगी अपने देश में डेमोक्रेसी को रखने में और उसके लिये उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हम कटिबद्ध व प्रयत्नशील भी हैं । छोटी-छोटी बातें जैसी कि दुबे जी ने कहीं कि कोआर्डिनेशन नहीं है या बीज टाइम पर नहीं मिला या एक पुलिया नहीं बनी या मोटे तौर पर मान लीजिये कहीं भी कोई छोटी सी बात हो गई तो आप कहते हैं कि सारा प्लान ही खराब हो गया, तो बाज-बाज वक्त जो यह कहा जाता है कि हंड़िया का तो एक चावल देखा जाता है लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं है कि हमारी प्लानिंग में तो हजारों हड़ियां चढ़ी हैं । इसकी सफलता की सही जानकारी के लिये हर एक हड़िया को देखना पड़ेगा । (व्यवधान) यही तो मैं कह रहा हूं आप कोशिश कर रहे हैं उसको फोड़ने की । उसकी मरम्मत करने की, टीप लगाने की तथा सहयोग प्रदान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि देश का स्तर ऊंचा हो । मैं नही समझता कि इस प्रकार की असहयोग की भावना और छिद्रान्वेषण की भावना से, किस प्रकार उनके कारनामों से, देश का स्तर ऊंचा हो सकता है ? मैं आपसे बताता हूं मोटे तौर पर आप देखें सारे हिन्दुस्तान की और सब स्टेट्स के मुकाबिले में १० हजार मील नयी सड़क आपके पी० डब्लू० डी० ने बना दी पहली योजना के अन्तर्गत । यह क्या कम अचीवमेंट है ? बावजूद इतने कम स्टाफ के, बावजूद इतने कम धन के । मैं तो कहता हूं कि यह बड़ा जबर्दस्त लक्ष्य था जिसकी उन्होंने पूर्ति की । स्कूलों की शिक्षा की दशा में आप देखिये । इर्रीगेशन, बिजली उत्पादन, भू-व्यवस्था आदि सभी में उन्नति की है । अब इसमें किसी ने कुलाबों की शिकायत की कि यह ऊंचा नहीं हुआ जिसके कारण पूरी सिंचाई नहीं हो पाई या पुलिया नहीं बन पायी और इस तरह की छोटी मोटी बातों की शिकायत की । लेकिन आप देखें इर्रीगेशन की फिगर्स को, मैं उन्हें पढ़कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक मोटे तौर पर बताना चाहता हूं (व्यवधान) पैसा होता तो एक दिन में भी कर देते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर कुल कल्टीवेटेड लैंड का वैसे ३० परसेंट एरिया को इर्रीगेट कराने का लक्ष्य है हमने लगभग १५० करोड़ पिछली पंचवर्षीय योजना में खर्च किया और अब २५० करोड़, इतनी बड़ी धनराशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रहे हैं जिसमें अनुपात से किया गया काम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है । तो इससे सुनकर सबका दिल दहल गया होगा लेकिन अगर हिसाब लगावें द्वितीय योजना में हम प्रदेश में तो ४० रुपया प्रति आदमी पड़ता है विकास कार्यों में। तो ४० रुपये में आप ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं कि एक-एक आदमी का स्तर ऊंचा हो जाय । यह कैसे सम्भव हो सकता है । २५२ करोड़ सुनकर तो दिल दहल जाता है लेकिन प्रदेश के प्रत्येक आदमी का हिसाब लगाने पर वह ४० रुपया फी आदमी आता है ।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि जहां पर विरोधी दल रचनात्मक बात करता है, वह हमको ग्राह्य है । बहुत सी बातें आपने सुझाव के लिये कहीं कि इस प्रकार खेती हो । एक सुझाव गेंदासिंह जी ने दिया । उनमें बहुत सी बातें सोचने और समझने की हैं । माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि १ फसल के बजाय तीन, चार फसलें करायी जायं । यह नई बात नहीं है, इंटेंसिव कल्टीवेशन तो जरूरी है । जो यह कहा गया कि खेती को बढ़ाने के लिये सीलिंग फिक्स कर दी जाय, और बटवारा कर दिया जाय यह कोई जरूरी नहीं है । अगर बटवारा कर भी दिया जाय तो १.१५ एकड़ फी आदमी भूमि आती है । ऐसा करने से हम देश को बरबाद नहीं कर सकते हैं । जब तक यह सरकार है वह ऐसी अलाभकर जोत बनाकर इस बरबादी को हरगिज नहीं करेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मंत्री जी ने फरमाया कि १.१५ एकड़ फी आदमी जमीन आती है। जिस दिन माल विभाग का विवाद हो रहा था मेरे पास जो आंकड़े दिये थे उसमें था कि १११ लाख एकड़ जमीन कल्टीवेबिल हैं। और ३६ लाख परसन्स हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं। तो यह आंकड़े कौन से सही माने जायं। मंत्री जी जरा स्पष्ट कर दें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—आप समझे नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर प्रदेश की कृषि-योग्य सारी भूमि को बांटा जाय तो लगभग १.१५ एकड़ भूमि फी आदमी पर पड़ती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्लान में लिखा हुआ है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये जमीन का।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं बता रहा हूं, किताब में तो बहुत बातें लिखी हैं। किताब में तो यह भी लिखा है कि कलेक्टिव फार्मिग या कोआपरेटिव फार्मिग हो उनकी उपयोगिता को कौन इनकार करता है। परन्तु उनके अनुसार कार्य करने में पूर्ण काम तभी हो सकता है जब हम वेस्ट लैंड को कल्टीवेबिल बना लें। स्वायल कनजर्वेशन की स्कीम चल रही है। मैं आपको बताऊं वेस्ट लैंड को भी रिक्लेम करने की योजना है। यह जब रिक्लेम हो जायगी और कृषि योग्य भूमि में काफी बढ़ोत्तरी हो जायगी तब ही थोड़ी बहुत इकानोमिक होल्डिंग बन सकती हैं। तब जाकर अन्य बातें जैसे भूमि वितरण इत्यादि हो सकती हैं। अलावा इसके केवल .४ परसेंट आदमी ऐसे हैं जो दीगर आक्यूपेशन को करते हैं सूबे में। उन ८.४ परसेंट आदमियों को छोड़कर बाकी सब कल्टीवेशन में चिपटे हुये हैं। तो जब तक कम से कम १५, १६ परसेंट का औसत दीगर आक्यूपेशन करने वाले आदमियों का नहीं बढ़ता है तब तक लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन या सीलिंग फिक्स करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि नतीजा अलाभकर जोत होने का भय होगा।

एक बात मैं आपसे बताता हूं। अगर आप ईमानदारी से देखें तो ११ साल में वह क्रान्ति की है कि अनादिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से अब तक और अंग्रेज भी गये तब भी उतनी नहीं हुई। अगर आप हर चीज को दूसरे दृष्टिकोण से ही देखें तब तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने भाषणों को आप स्वयं मनन कीजिये, मैं टीका टिप्पणी करने वाला कोई नहीं। परन्तु फिर भी प्रत्येक माननीय सदस्य विरोधी दल का अगर अपने भाषण का स्वयं विश्लेषण करे तो उसको विरोधाभास पगपग परमिलेगा अपनी बातों को स्वयं काटते हुये वह चले जायेंगे। और अगर आज नहीं काटेंगे तो कलको जरूर काटते जाते हैं जहां पर जैसा तर्क देने की आवश्यकता होगी वहां वैसा ही देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना मैं आपके द्वारा जरूर कह दूं, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, असत्य शब्द मैं नहीं कहता, सत्य शब्द भी नहीं कहूंगा मगर वह तथ्य से बाहर जरूर है। अभी माननीय चन्द्रजीत यादव जी कह रहे थे "कि जो मजदूर भदोही में काम करते हैं उनको कम वेतन भी मिलता है भदोही की कालीन की इंडस्ट्री भी खत्म हो गई है और पहले एक्सपोर्ट होता था लेकिन आज कुछ नहीं होता।" किन्तु मैं कहता हूं कि भदोही कार्पेट्स के सम्बन्ध में फीगर्स आप देखें। वैल्यू इन लैक्स आफ रूपीज में बतला रहा हूं। १९५२ में १३१.४० लाख रुपये का माल एक्सपोर्ट होता था और १९५६ में २१६.६० लाख रुपये का एक्सपोर्ट हुआ। मजदूरी पहले एक वीवर को ४५ रुपया वेतन मिलता था अब वह ७० रुपये हो गया है और डेली वर्कर को १ रुपये ४ आने से १ रुपये ८ आने है। बनारस के सिल्क गुड्स का एक्सपोर्ट ७० लाख से ७८ लाख पर पहुंच गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—मुनाफा बतला दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुनाफे और कैपिटलिस्ट्स की मदद करने का सवाल अक्सर उठा करता है। शुगर इंडस्ट्री के विषय में गेंदासिंह जी ने कुछ कहा। आखिर को हम भी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

चाहते यही हैं कि किसानों को फायदा हो लेकिन जब मिल ही बन्द हो जायंगी तो उनका शुगर केन कहां सप्लाई किया जायगा ? इससे किसानों को फायदा होगा कि नुकसान (व्यवधान) यह तो दृष्टिकोण की बात है । आप तो चाहते हैं कि सोने की मुर्गी के अंडे एक ही बार में निकाल लो और हम चाहते हैं कि बराबर अंडे देती रहे । बिहार, मद्रास जिनका आप बराबर उदाहरण दिया करते हैं हम इस बात के लिये निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गन्ना उतना रिटर्न दे सके जितना उनका । इसके लिये आप भी कोशिश कीजिये कि रस ज्यादा निकले, ईल्ड पर एकरेज ज्यादा हो, चीनी ज्यादा बने ।

श्रमदान के बारे में यशपालसिंह जी कुछ कह रहे थे । मेरी समझ में उनकी दलील आई नहीं । एक माननीय सदस्य अगर कहते हैं कि अफसरों से काम न लिया जाय तो दूसरे कहते हैं कि उनकी पर्मानेन्सी नहीं हुई और तीसरे कहते हैं कि यह सरकार अफसरों के बंगुल में खेल रही है । एक चौथे माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती । तो किस चीज को माना जाय । विरोधी दल के अनेक सदस्यों में अनेक मत मतान्तरों में हम किसके मत को मानें और किस चीज को ठीक समझें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अपनी बात मानिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अपनी बात मान कर ही ठीक चल रहे हैं, उधर की बात मान ली होती तो बेड़ा गर्क था । आप अपने दिलों पर हाथ रखें तो मेरी बात का यकीन हो जायगा ।

जहां तक छोटे और बड़े उद्योगों के पृथक्ककरण का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री ने सारी बातों पर प्रकाश डाल दिया है कि भविष्य में हमारी क्या योजना है ।

पहाड़ों में मेगनेसाइट के सम्बन्ध में गोविंद सिंह जी ने जो बात कही उस सम्बन्ध में ६ महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कहा था। पत्रकारों ने भी उसे देखा होगा और माननीय सदस्यों ने भी उसे देखा होगा। सब सेम्पिल्स मंगा कर माननीय मुख्य मंत्री ने अपने यहां रखे हैं और एक सर्वेक्षण हो रहा है और दोबारा हमारे ज्योलाजी डिपार्टमेन्ट के लोग वहां जा रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन खरीद ली गयी है । यह बात भी सच है कि हमारा मेगनेसाइट सारे इंडिया में केवल मद्रास में मिलता है और उससे भी बेहतर है। और उसके लिये सारी कार्यवाही जारी है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बार में भी उसी तरह से जैसे कि माननीय गोविंद सिंह जी बहुत से पत्थर इकट्ठा कर के ले आये थे, थोड़े से पत्थर अपने साथ ले आया था ।

श्री गेंदासिंह—कितने वर्ष पहले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—३-४ वर्ष पहले । मैं कोयला भी ले आया था । वह मैंने अपनी गवर्नमेन्ट में भी दिया और सेंट्रल गवर्नमेन्ट को भी भेजा क्योंकि यहां उस वक्त कोई जिओलाजिस्ट नहीं थे । इत्तफाकिया पिछली गर्मी में चीलागोरी के पास वहां के जिओलाजिस्ट मुझे मिल गये । उन्होंने मुझसे कहा कि एक मेरी दरख्वास्त है । मैंने कहा क्या ? उन्होंने कहा कि उनकी राय यह है कि प्राइमरी स्कूलों में जहां और सब सब्जेक्ट्स हैं वहां जिओलाजी भी रखी जाय । मैंने कहा क्यों ? उन्होंने कहा इसलिये कि इसमें गवर्नमेन्ट का बहुत काफी रुपया बरबाद हो रहा है । उन्होंने कहा कि हमको जाना पड़ता है और सर्वे करना पड़ता है और निकलता कुछ नहीं । तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा अगर लोगों को भूगर्भ के विषय में हो तो ऐसी गलती न करें । मैंने कहा कौन सी गलती की है ? हिमालय एक न्यु माउन्टेन है और एक्सेप्शनल केस में वहां कोई मिनरल्स निकलें । उन्होंने कहा कि कोयला है मगर एक इंच की परत पर है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिस्टर ब्लेक को वहां भेजा था मगर वे जिन जगहों पर गये वहां पहली शाम को गये और दूसरी शाम को चलते बने । यह

ठीक है कि वह अमरीकन हैं और अमरीकन्स हमारे दोस्त हैं लेकिन मैं तो समझता हूं कि इससे तो यह अच्छा हो कि रूस वगैरह से या और जो हमारे दोस्त मुल्क हों, जिनको हमसे हमदर्दी हो वहां के लोगों को इस काम के लिये बुलाया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो मैंने कह दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रयत्न में हैं कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो और हमारे माननीय सदस्य इस बात से भिज्ञ हैं कि किस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सरकार से काफी तादाद में छोटे और बड़े उद्योग लिये हैं।

टूरिज्म के सम्बन्ध में तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा लेकिन फारेस्ट पंचायतों का कोई जिक्र नहीं किया गया। शायद उनको मालूम नहीं है कि प्लानिंग के अन्दर क्या-क्या चीजें हैं। प्लानिंग के अन्दर टूरिज्म के अलावा फारेस्ट पंचायतें भी हैं। प्रान्तीय रक्षा दल भी उसमें है। टूरिज्म पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तार के साथ कहा और बताया कि यह हमारी इनविजिबिल इन्कम का एक जरिया हो सकता है और उसको बढ़ाने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक है कि स्विटजरलैन्ड जैसे देश में जो कि टूरिस्ट्स का सेंटर है आधी रेवेन्यू टूरिज्म से प्राप्त होती है। तो हमारा भी इस तरफ काफी ध्यान है कि हम अपनी इस इनविजिबिल इन्कम को काफी बढ़ा सकें और उसके लिये मिर्जापुर, आगरा, बनारस, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ और पहाड़ों में गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, पंडारी ग्लेशियर आदि जगहों में काफी इन्तजाम किये हैं। माननीय गोविन्दसिंह जी कह रहे थे कि वहां पर काफी दिक्कतें होती हैं। शायद वे जंगल के रास्ते गये होंगे, अगर सड़क के रास्ते गये होते तो उन्हें मालूम होता कि अब यहां नये बंगले बन गये हैं और पाश्चात्य देशों के लोगों के ठहरने के लिये बर्तनों, गद्दे, बिछौने वगैरह का भी इन्तजाम हो गया है। तो इस तरह से हम हर रूट को डेवलप कर रहे हैं ताकि अकेले गरमी में ही नहीं बल्कि साल भर टूरिस्टस् हमारे प्रदेश में आ सकें। जंगलों में शिकार से लेकर वन जन्तुओं की फोटो लेने तक का इन्तजाम कर दिया गया है। जहां तक सर्वांगीण उन्नति का सवाल है माननीय सदस्यों ने कहा था कि आप देश की सर्वांगीण उन्नति करना चाहते हैं। किसी महानुभाव ने यह भी सजेशन दिया कि एक ब्लाक में १०० गांव हैं और उसमें अगर ६ ए० डी० ओज हैं तो उनको टुकड़ों में बांटकर एक-एक हिस्सा एक-एक ए० डी० ओ० के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं आपको बतला दूं कि असली मतलब यह है कि कृषि से संबंधित जो विषय हैं उनके सम्बन्ध में यदि कृषक कोई राय लेना चाहता है तो ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर वहां पर रहता है और कोआपरेटिव बनाने के निमित्त यदि नियमों की जानकारी करना हो तो ए० डी० ओ० कोआपरेटिव वहां है और हार्टीकल्चर आदि विषयों के जानकर लोग भी वहां मौजूद हैं। इस तरह से हमने प्रबंध किया है। अब यह कहा जाय कि वह कुछ नहीं करते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि आपके हर एक आर्गूमेंट में कंट्राडिक्शन है। वह यह है कि कल लेबर का जिक्र था तो सूर्यप्रसाद अवस्थी जी के लिये यह कहा गया कि उनकी क्या क्वालीफिकेशन्स हैं? कोई अच्छा क्वालीफाइड आदमी रखा जाय और जब हम ए० डी०ओ० की जगह पर क्वालीफाइड आदमी रखते हैं तो कहा जाता है कि यह तो कालेज से अभी निकले हैं इनको कुछ नहीं आता है इसलिये किसी अनुभवी आदमी को रखा जाय। अब बताइये कि हम किस सलाह को मानें।

आज कौन कहता है कि यह पीपुल प्लान नहीं है। पीपुल प्लान होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि वह प्लान पीपुल द्वारा ओरीजिनेट हुआ हो और दूसरा यह कि वह जनता द्वारा ही कराया जाय। पहली बात तो यह है कि यह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों द्वारा बनाया गया है यानी जनता द्वारा बनाया गया है। क्या अब सोशलिस्ट भाई यह कह सकते हैं कि हमने विधान नहीं बनाया है क्योंकि हमने उसके निर्माण के समय विधान निर्माण सभा में बैठने से बायकाट कर दिया था? यह तो आप ही कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से प्लान बनकर आया है और प्लानिंग कमेटियों ने बनाया है। फिर भी इसको पीपुल प्लान

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

न कहें तो यह आपकी गलती है। यदि आप सो रहे थे तो इसका मैं क्या करूं। लेकिन यह प्लान डिस्ट्रिक्ट्स से बनकर आया है। हां रुपये की कमी की वजह से यहां कुछ काट-छांट अवश्य हुई है अन्यथा यह पीपुल प्लान है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से कर रहे हैं। जब स्लम आया पहले विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिका ने हजारों मन गेहूं समुद्र में डुबो दिया, शायद आपको इसका पता नहीं है कि अमेरिका ने हजारों मन गेहूं डुबो दिया था। जैसा कि गेंदासिंह जी कह रहे थे कि कानपुर में बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है तो डेमोक्रेटिक देशों में इस प्रकार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का थोड़ा बहुत भय रहता ही है। अगर हमको प्लानिंग करना है, प्रजातांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि रूस की तरह से करना है तो हमको पहले कंट्रोल करना होगा और हर आइटम पर करना होगा और यहां तक कि खाने पर भी कंट्रोल करना होगा और डिक्टेटोरियल तरीके से चलना होगा। वैसे आप चाहे कुछ भी कह लें लेकिन जहां का आप जिक्र करते हैं वहां पर एक पार्टी रूल करती है और दूसरी पार्टी को जबान खोलने की भी इजाजत नहीं है। हमारे यहां यह नहीं है बल्कि सब जगह, कहीं पर भी आप जायं सब को फ्री एक्सप्रेशन की इजाजत है चाहे आप उसका किसी तरह से लाभ उठावें।

हम अपनी प्लानिंग के विषय में एक बात चेतावनी के साथ कह देना चाहते हैं और वह यह है कि इस समय भारतवर्ष में एक नया एक्सपेरिमेंट, बगैर किसी हथियार के जैसे हमने स्वराज्य लिया, उसी तरह योजना को प्रजातांत्रिक ढंग से सफल करने जा रहे हैं। बगैर कंट्रोल लगाये हुये, बगैर नियंत्रण लगाये हुये, बगैर किसी डिक्टेटरशिप का प्रयोग किये, खुले खजाने, श्री गेंदासिंह या नारायणदत्त जी कुछ भी कहें, हम अपनी प्लानिंग को कर रहे हैं। उसमें बावजूद आपके, डिमारलाइज्ड तरीकों को अख्तियार करने के जनता आपकी एक नहीं सुनेगी, वह हमारे साथ होगी और हम अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल होंगे और होकर रहेंगे। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन अनुदान को स्वीकृत करेगा।

श्री उग्रसेन—मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय में जो उस कमीशन ने भूमि की सीलिंग की सिफारिश की थी उसको सरकार ने क्यों नहीं माना ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३ में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ९,३१,०२,३०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

आजमगढ़ जिले में जुलाई, १९५७ से दिसम्बर, १९५७ तक सीमेंट के एलाटमेंन्ट तथा प्राप्ति का विवरण

आंकड़े टनों में

महीना				एलाटमेन्ट	प्राप्ति
जुलाई, १९५७	..	..	..	५९४	२५३
अगस्त, १९५७	..	..	..	..	३३३
सितम्बर, १९५७	..	..	..	..	२३८
अक्तूबर, १९५७	..	..	..	१,५१८	..
नवम्बर, १९५७	..	..	..	..	६८९
दिसम्बर, १९५७	..	..	..	..	५४६
			योग ..	२,११२	२,०५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर आगे पृष्ठ २८० पर)

	वर्ष	तहसील बदायूं	तहसील (दाता-गंज)	तहसील बिसौली	तहसील सहसवान	तहसील गुन्नौर	तहसील मीजान
प्रत्येक तहसील में फौजदारी के कितने मुकदमे दायर हुये।	सन १९५४ से १९५७ तक	५,००२	४,७११	४,१९५	३,८२८	२,४७३	२०,२०९
वेतन पाने वाले मैजिस्ट्रेटों द्वारा तय किये गये मुकदमे.. ..	"	२,६३०	२,७१२	२,११२	२,०५१	१,५५८	११,०६३
अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों द्वारा तय किये गये मुकदमे..	"	७४०	७५९	५५९	५९३	३१३	२,९६४
अवैतनिक बेंच मजिस्ट्रेटों द्वारा तय किये गये मुकदमे	"	५१६	५५१	३९६	४१०	२२९	२,१०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेरठ जिले की सरधना तहसील में बनने वाली सड़कों का विवरण :

सड़क का नाम	कुल लम्बाई	सरधना तहसील में पड़ने वाली लम्बाई
१—मेरठ—बरनावा	२० मील	लगभग ३ मील
२—बिनौली—बरौट	८ मील	,, ३ मील
३—सरधना—बिनौली	८ मील	,, ८ मील

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

सड़क का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत
१—बार—बेलगांव	१० मील	५.०० लाख रुपया
२—गुरसराय—कुरेठा	१० मील	५.०० लाख रुपया
३—बांसी—चखीरा	९ मील	३.२४ लाख रुपया
४—बांसी—बार	७ मील	२.५२ लाख रुपया
	कुल ३६ मील	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें बन रही हैं। उनकी लम्बाई तथा लागत उनके सम्मुख दी गई है:

सड़क का नाम	लम्बाई	लागत (रुपये)	१९५७-५८ में स्वीकृत धनराशि	टिप्पणी
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अपूर्ण कार्य				
१—चकलबंशी—औरास—संडीला सड़क (उन्नाव तथा हरदोई जिलों में)	२९ मील	१३,७०,०००	२,००,०००	इस सड़क की पूरी लम्बाई २९ मील है जिसमें से २४ मील उन्नाव जिले में है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नये कार्य				
२—अजगैन—मोहन—हसनगंज सड़क	१४ मील	१/८	४,२४,०००	शून्य	कार्य अब स्वीकृत नहीं हुआ।
३—मोहन—नेवलगंज—लखनऊ सड़क	३ मील	५/८	१,३१,०००	१५,०००	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर ।)

सूची			मद
			रुपये
वर्क सुपरवाइजर	..	..	९५
वर्क एजेन्ट	..	..	५० से ७० रुपये तक
इलेक्ट्रिशियन	..	..	१२५
ओवरसियर मेट	..	..	४०
चौकीदार	..	..	३८ से ४० रुपये ८ आने तक
लगार मिस्त्री	..	..	४५
पार्ट टाइम मेहतर	..	..	१०
वर्क मिस्त्री	..	..	७५
माली	..	..	३५
ड्राइवर	..	..	५०
क्लीनर	..	..	४५

अध्यक्ष सभा पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

तालिका १

आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में जनवरी सन् १९५७ ई० से जुलाई सन १९५७ तक निम्नलिखित संख्या में सीमेन्ट की बोरियां जनता को देने के निमित्त माहवार दी गयी।

(आंकड़े बोरियों में)

महीनों के नाम	तहसील का नाम							योग
	सदर	मुहम्मदाबाद	घोसी	सगड़ी	फूलपुर	लालगंज		
१	२	३	४	५	६	७		८
जनवरी	..	..	६००	२००	५५०	१५०	२००	१,७००
फरवरी	..	..	२००	..	..	१५०	..	३५०
मार्च	..	..	..	२५०	..	..	२५०	५००
अप्रैल	..	..	६५०	..	२५०	२००	..	१,१००
मई	..	..	..	..	..	२५०	३००	५५०
जून	..	२००	२००	..	..	२००	२००	८००
जलाई	..	२००	८७४	५१५	..	४६७	२००	२,२५६
योग	..	४००	२,५२४	९६५	८००	१,४१७	१,१५०	७,२५६

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

तालिका २

तहसील का नाम	मई से जुलाई तक हर तहसील में प्राप्त सीमेंट के प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिन पर सीमेंट दिया गया	तहसील वार प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो १ सितम्बर, १९५७ को विचाराधीन थे
१	२	३	४
सदर	३३०	२७४	५६
घोसी	४४	४४	..
सगड़ी	११९	..	११९
मोहम्मदाबाद ..	४१५	३२२	९३
लालगंज	२४०	२४०	..
फूलपुर	१७१	१७०	१
योग ..	१,३१९	१,०५०	२६९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

क्रम-संख्या	नाम दूकानदार	टिप्पणी
१	२	३
	फैजाबाद एवं अयोध्या नगर की दूकानें	
१	एक्स सर्विसमैन इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, फैजाबाद	
२	डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सभा, रीडगंज	
३	डिस्ट्रिक्ट सभा, रिकाबगंज	
४	फतेगंज कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी	
५	फतेगंज कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटी	
६	श्री के० एल० आनंद	
७	सरदार निहालसिंह आदि	
८	श्री महमूदलहसन, गुदड़ी बाजार	
९	लाल जैशंकरनाथसिंह, प्रमोदकन	
१०	प्रेसीडेन्ट नगरपालिका, बेगमगंज मकबरा	
	तहसील फैजाबाद की दूकानें	
१	कोआपरेटिव यूनियन गोशाईगंज	
२	कोआपरेटिव यूनियन मदरसा	.. कैंसिल हो गयी।
३	कोआपरेटिव यूनियन बिरौली मसोधर गेट	.. अभी चालू नहीं है।
	तहसील बीकापुर की दूकानें	
१	कोआपरेटिव यूनियन, बीकापुर	.. कैंसिल हो गयी।
२	कोआपरेटिव यूनियन, बांदा	कैंसिल हो गयी।
३	श्री राधारमनसिंह, खपराडीह	
४	करतारचन्द, खिड़की अली बेग	
५	कोआपरेटिव यूनियन, खजुरहट	.. अभी चालू नहीं हुयी।
	तहसील अकबरपुर की दूकानें	
१	कोआपरेटिव यूनियन, अकबरपुर	
२	श्री राम मनोरथ मिश्र	
३	श्री देवसिंह, बन्दीपुर	
४	श्री शिवसहाय सिंह, मालीपुर	
५	कोआपरेटिव यूनियन, सरियावन	
६	प्रियदर्शी जटली, अकबरपुर	.. कैंसिल हो गई।
	रामनाथ शुक्लअकबरपुर	.. क्रम-संख्या ६ के स्थान पर नियुक्ति हुई।
७	कोआपरेटिव यूनियन, सैदापुर	.. कैंसिल हो गई।

विधान सभा

कुल संख्या	नाम दुकानदार	टिप्पणी
१	२	३
८	कोआपरेटिव यूनियन, मईवा गोला	कैंसिल हो गयी ।
९	श्री मथुराप्रसाद गुप्त, वेवाना	
१०	मेसर्स बनवारी लाल	
	तहसील अकबरपुर की दूकानें (क्रमशः)	
११	श्री कामता प्रसाद गुप्त, दुल्हपुर ..	कैंसिल हो गयी ।
१२	श्री विशुनाथ चौधरी, सहजातपुर	
१३	श्री रामदारा अमरनाथ, अकबरपुर	कैंसिल हो गयी ।
	तहसील टांडा की दूकानें	
१	कोआपरेटिव यूनियन, सकरावल	
२	कोआपरेटिव यूनियन, हपादगंज	
३	देवरिया संघ ..	कैंसिल हो गयी ।
४	कोआपरेटिव संघ असकारी	
५	श्री मेजासिंह, कटरिया	
६	सहकारी संघ, राजे, सुल्तानपुर	
७	सहकारी संघ, देवरिया	
८	सेन्दुवा सहकारी संघ	
९	सहकारी संघ, रामनगर ..	कैंसिल हो गयी ।
१०	श्री लाल बहादुर, विशुनपुर	
११	श्री प्रभुराम , पुत्र सम्हारू हरिजन	
१२	श्री विजयी शुक्ल, गान्धीपुर इंदुवर	
१३	पल्टूराम हरिजन	कैंसिल हो गयी ।
१४	छोटुकुन निवासी, रसूलपुर	
१५	सहकारी संघ, मगमन नगर	
१६	सहकारी संघ, इनामीपुर ..	कैंसिल हो गयी ।
१७	केदारगंज संघ ..	कैंसिल हो गयी ।
१८	सहकारी संघ, अलकपुर	
१९	काजी मुस्ताक, दादपुर ..	कैंसिल हो गयी ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

स्थानीय निकाय	आमदनी
१	२
	रुपये
(क) नगरपालिका	
१—हरदोई	४,३४,८२७
२—सन्डीला	१,२३,९७०
३—पिहानी	४४,२२४—७ आना
४—शाहाबाद	३,०१,९३८
५—बिलग्राम	५८,७७९—११—६ पाई ।
नोटीफाइड एरिया कमेटी	
१—सांडी	६२,३३९—१२—६ पाई ।
टाउन एरिया कमेटी	
१—माधोगंज	१७,६६८—२—३ पाई
२—पाली	११,५०४
३—मल्लांवा	११,७९८
४—बेनीगंज	९,९७७

(ख) नोटीफाइड एरिया कमेटी, सांडी छठी श्रेणी की थी । यह १५ नवम्बर, १९५७ से नगरपालिका कर दी गयी है । तब से इसका वर्गीकरण नहीं हुआ है ।

नोटः—तारांकित स्थानीय निकायों के आगे लिखे गये आंकड़ों के बारे में यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उनमें प्रारम्भिक शेष (opening balance), ऋण (loan) और अनुदान (grant) भी सम्मिलित है या नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

फर्रुखाबाद-कायमगंज-कम्पिल सड़क के निम्नलिखित मीलों का सन् १९५७–५८ में पुनःनिर्माण किया गया:—

मील नं० १८ का १ फर्लांग
मील नं० २० के ८ फर्लांग
मील नं० २२ के ८ फर्लांग
मील नं० २३ के ४ फर्लांग
मील नं० २४ के ४ फर्लांग

इस सड़क के मील संख्या ५ से लेकर मील संख्या १३ के चौथे फर्लांग तक के भाग का आधुनीकरण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा